पंचम माला, खंड 29, अंक 3, बुधवार, 25 जुलाई, 1973/3 श्रावण, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIX No. 3, Wednesday, July 25, 1973/Sravana 3, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

31 LSS/73—1.

विषय सूची CONTENTS

अंक 3, बुधवार 25 जुलाई, 1973/3 श्रावण, 1895 (शक)

No. 3, Wednesday, July 25, 1973/Sravana 3, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
41 आंध्र प्रदेश में राजनीतिक गतिरोध	Political Stalemate in Andhra Pradesh .	1
42 आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का पांचवीं योजना पर प्रभाव	Effect of Rising Prices of Essential Commodities on Fifth Plan. .	4
43 पांचवीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले टेलिविज़न केन्द्र	T.V. Stations to be set up during Fifth Plan Period	9
44 गुजरात के पिछड़े ज़िलों का विकास	Development of Backward Districts of Gujarat	11
45 अल्पसंख्यक समुदायों संबंधी आयुक्त की नियुक्ति	Appointment of a Commissioner for Minority Communities . . .	13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
46 त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना	Deployment of CRP in Tripura . .	14
47 सीमेंट के मूल्य में वृद्धि	Increase in Cement Price.	15
48 सभी इंजीनियरी स्नातकों तथा अन्य स्नातकों के लिये रोजगार	Employment for All Engineering Degree Holders and Graduates. . . .	15 16
49 कच्चे माल के मूल्य	Price of Raw Materials. . .	
50 'यह गुलिस्तान हमारा' नामक फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध	Ban on E i on of the Film 'Yeh Gulistan Hamara'.	16
51 उत्तर प्रदेश में पुलिस और सेना में मुठभेड़	Clash between Police and Army in Uttar Pradesh	17

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

त० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
52	पश्चिमी क्षेत्र में दूसरे परमाणु बिजली घर की स्थापना	Setting up of Second Atomic Power Station in Western Region. .	17
53	जमाखोरी तथा चोर बजारी करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को आदेश	Instructions to States on use of MISA to dealwith hoarders and black marketeers	17
54	दिल्ली में टेलीप्रिंटर लाइनों और टेलीफोनों की मरम्मत	Repair of Teleprinter Lines and Telephones in Delhi . . .	18
55	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्रों का निपटान	Disposal of Applications for Industrial Licences	19
56	हाल में पकड़े गए तस्कारी के टेलीविजन सेटों और साड़ियों में से कुछ के गोलमाल में तिलक नगर पुलिस का हाथ	Involvement of Tilak Nagar Police in misappropriation of a part of a recent haul of smuggled Television Sets and Saris	20
57	विदेशों में रहने वाले उन भारतीयों का सर्वेक्षण जो पंजाब में उद्योग स्थापित करने की क्षमता रखते हैं	Survey of Indians Abroad who have capacity to set up industries in Punjab	20
58	कालेजों में दाखिलों को रोजगार के अवसरों के साथ सम्बद्ध करने की दृष्टि से उनमें दाखिला विनियमित करने की योजना	Plan to Regulate Admission in Colleges with a view to link it with Employment Opportunities	21
59	उत्तर प्रदेश में सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Deployment of Army and CRP in U.P.	21
60	'प्रभात' चित्र के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध की मांग	Demand for Ban on Exhibiting the Movie 'Prabhat' . . .	23
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
401	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जयपुर में हुआ सम्मेलन	Conference of All India Muslim League held in Jaipur	23
402	बीमार कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Sick Textile Mills	23

अता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
403	नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये केरल सरकार की योजना	Kerala Government Scheme for Development of Coir Industry. .	24
404	परमाणु ऊर्जा उत्पादों का निर्यात	Export of Atomic Energy Products.	24
405	आकाशवाणी द्वारा अपने कार्यक्रमों में और अधिक विविधता तथा मनोरंजन की व्यवस्था करना	Provision of greater variety and entertainment by AIR . . .	25
406	समाचार पत्रों को डाक सुविधा	Postal facility to Newspapers	25
407	शासकीय भेद अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजी के एक दैनिक समाचार-पत्र के संवाददाता पर मुकदमा	Prosecution of a correspondent of an English Daily under Official Secrets Act	26
408	असमानताओं को घटाने और निम्नतम श्रेणी के लोगों के खपत स्तर को बढ़ाने की योजना	Plan to reduce inequalities and to raise consumption level of the lowest people	26
409	राजस्थान से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्राप्त विचारधीन आवेदन पत्र	Pending applications for Industrial Licences from Rajasthan. . .	26
410	राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश में हरिजनों की हत्या के मामले	Cases of murders of Harijans in U.P. since imposition of President's Rule.	27
411	पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रुप देने में हुई प्रगति	Progress in finalisation of the Fifth Five Year Plan. . .	27
412	टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वृद्धि-दर	Rate of growth in arrears of Telephones Bills	28
413	मैसूर में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों के लिये मकानों की व्यवस्था करने की योजना	Scheme for provision of houses to SC and and ST in Mysore . .	28
414	बंजारों तथा अन्य जनजातियों के लिये अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव	Proposal to present separate report for the Nomadic and other Tribes.	29
415	महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने का प्रस्ताव	Proposal to get certain areas of Vidarbha in Maharashtra declared as Tribal Areas . . .	29

अता०प्र०संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
416 उत्तर प्रदेश में न्यायालयों में उर्दू का प्रयोग	Use of Urdu in Courts in U.P. .	29
417 उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिये प्लाट	House sites to SC landless labourers in Orissa	29
418 उत्तर प्रदेश में हरिजनों द्वारा मकानों के निर्माण के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of land for construction of houses by Harijans in U.P.. .	30
419 एकस्वाधिकारों के प्रयोग हेतु अदा की जाने वाली स्वामित्व की राशि निर्धारित करने के खंड को विदेशी सहयोग समझौतों में सम्मिलित करना	Inclusion of clause stipulating Royalty payable for Foreign collaboration Agreement for use of Patent Rights.	30
420 जिला चमोली (उत्तर प्रदेश) में यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाना	Location of Uranium Reserves in Chamoli District (Uttar Pradesh).	31
421 बिजली फेल होने के कारण उत्पादन यूनिटो को हुई हानि	Damage caused to production Units due to Power failure . . .	32
422 सरकारी वकील की नियुक्ति के मामले में विधि और न्याय मंत्री पर पक्षपात के आरोप लगाये जाने के बारे में शिकायतें	Compaints about alegations of nepotism against the Minister of Law and Justice in the appointment of Government Counsel . . .	32
423 चोर बाजारी करने वालों और जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये राज्यों को अनुदेश	Instructions to States for action against Black Marketeers and Hoarders.	32
424 बिजली की अनुपलब्धता/कमी के कारण 1972 में उत्पादन में कमी	Loss of production in 1972 due to non-availability/shortage of electric power	33
425 सदर बाजार में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riots in Sadar Bazar, Delhi.	33
426 टेलीविजन उद्योग का विस्तार	Expansion of T.V. Industry.	34
427 आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा जन साधारण द्वारा खपत की अन्य वस्तुओं के वितरण विषयक समिति के सुझाव	Suggestions made by the Committee on distribution of essential commodities and articles of mass consumption.	35

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
428	दक्षिण पूर्व एशिया की तुलना में भारत में टेलीफोनों की संख्या	Telephone ratio in India as compared to South East Asia.	35
429	पांचवीं योजना के दौरान पर्यटन का विकास	Development of Tourism during Fifth Plan	36
430	जिला हजारीबाग बिहार में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Hazaribagh, District Bihar	36
431	भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों को दिये गये निदेश	Directives issued to State Government for effectctive implementation of land reforms	37
432	उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस द्वारा विद्रोह	PAC Revolt in Uttar Pradesh.	37
433	राज्यों में विकास योजना	Development Schemes in States.	38
434	शाहदरा में हुए झगड़ों के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन	Report of the Magisterial Enquiry into the causes of Shahdara Disturbances.	38
435	दिल्ली में 58 एक्सचेंज के खराब टेलीफोन	Defective Telephones of 58 Exchange in Delhi	39
436	राज्यों से टेलीफोन बिलों की बकाया राशि का वसूल किया जाना	Realising of arrears of Telephones Bills	39
437	जम्मू और काश्मीर राज्य में टेलिविजन का असंतोषजनक कार्य	Unsatisfactory working of Television in Jammu and Kashmir State.	40
438	बुक आफ नालिज के कारण श्रीनगर में गड़बड़ी	Disturbances in Srinagar due to the Book of Knowledge	41
439	पांचवीं योजना के प्रारूप संबंधी कार्य का मन्द पड़ जाना	Slowing down of work on Draft Fifth Plan	41
440	पांचवीं योजना के दौरान बड़े शहरों के लिये बृहत योजनाएं तैयार करने तथा लागू करने के लिये राज्यों में विकास प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of Development Authorities in States for preparation and enforcement of Master Plans for large cities during Fifth Plan.	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
441	1973-74 के विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for Special Employment programmes for 1973-74 .	42
442	पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भिड़न्त होने के कारण सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु	Death of a Jawan of Border Security Force due to the encounter with Pakistan Rangers . . .	42
443	प्रधान मंत्री के निवास स्थान में जबरन घुसने वाले जगोता बन्धुओं के मामले की जांच	Investigation into the case of Jagota Brothers who forced their entry into the Prime Minister's House . .	43
444	भरी हुई बन्दूक लेकर प्रधान मंत्री के निवास स्थान में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against the person who tried to enter Prime Minister's Residence with a loaded Gun . .	43
445	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये वित्तीय संसाधन निर्धारित करने हेतु गठित किये गये कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) का प्रतिवेदन	Report of the working Group Constituted for Assessing Financial Resources for the Fifth Five Year Plan. .	44
446	राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्जीवित करना	Revival of National Integration Council	44
447	कोलगेट पामग्रोलिव (इंडिया) लिमिटेड	Colgate Palmolive (India) Ltd. .	45
448	राजस्थान में पाली जिले का विकास	Development of Pali District in Rajasthan	46
449	पश्चिम बंगाल में नीलगिरि वृक्षों के बन का अखबारी कागज के लिये उपयोग करना	Utilisation of Eucalyptus Forest for Newsprint in West Bengal .	46
450	सिटीज ग्राफ टूमारो शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item entitled Cities of Tomorrow.	47
451	'अपराध नगरी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item under the Caption 'Apradh Nagari' . . .	48
452	राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतन	Pay of IAS and IPS Officers in States and Central Governments . .	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
453	पाकिस्तान को चोरी छिपे पान ले जाया जाना	Smuggling of betel leaves to Pakistan .	49
454	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पुनवर्गीकरण	Reclassification of Industrially Backward Districts	50
455	औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं का योगदान	Contribution of CSIR Laboratories in Industrial Research and Development	50
456	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन का दिया जाना	Grant of pension to Freedon Fighters.	51
457	सीमेंट की सप्लाई में कदाचार के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against malpractices in supply of Cement	53
458	फिल्म उद्योग का विकास	Development of Film Industry. .	54
459	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक प्रत्याशियों के साक्षात्कार का बन्द किया जाना	Stoppage of Interview of Candidates by UPSC for Jobs Abroad. .	54
460	भारत तथा बुलगारिया की संयुक्त अनुसंधान तथा विकास योजना	Indo Bulgarian Joint Research and Development Plan. . . .	55
461	मिजो विद्रोहियों की समस्या को हल करने के लिये भारत बर्मा और बंगला देश के बीच सूचनाओं विचारों का आदान प्रदान	Exchange of information and ideas between India, Burma and Bangladesh to tackle Mizo Hostiles. .	55
462	फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Film Censors Board	56
463	जनसाधारण पर रेडियो का प्रभाव और रेडियो कार्यक्रम का मूल्यांकन के बारे में किये गये अध्ययन के निष्कर्ष	Findings of the Study Re: Impact of Radio on Masses and Assessment of Radio Programme. .	56
464	'स्कीम फार इन्टग्रेटिड रूरल अपलिफ्ट अबन्डन्ड' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	New-report entitled 'Scheme for Integrated Rural Uplift Abandoned' . .	56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
465	ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योजनाओं के पुर्नविलोकन संबंधी टास्क फोर्स का प्रतिवेदन	Report of the Task Force on review of the Special Schemes in Rural Areas.	57
466	मोवला विद्रोह के स्वतन्त्रता सेनानियों का पेंशन का दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters of Moplah Rebelion . .	57
467	केरल में सूक्ष्म उपकरण कागज तथा टायर के कारखाने	Precision Instrument Paper and Tyre Factories in Kerala. . .	58
468	केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागान के राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश	Ordinance on Nationalisation of Foreign Owned Plantations in Kerala. .	58
469	महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Boundary Dispute	59
470	विशेष रोजगार सैल	Special Employment Cell.	59
471	इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विदेशी सहयोग प्रबन्धों को समाप्त किया जाना	Termination of Foreign Collaboration Arrangements of Indian Telephone Industries, Limited. .	60
472	बिहार को सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement to Bihar.	60
473	बिहार के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन का दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar .	61
474	बिहार के लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small Scale Industries, Bihar. ..	61
475	सीमेंट की कमी	Shortage of Cement.	63
476	तारापुर आणविक बिजली घर के बन्द हो जाने की जांच की मांग	Demand for an inquiry into the Failure of Tarapur Atomic Station	63
477	विदेशी सहयोग परियोजनाएं	Foreign Collaboration Projects .	64
478	उत्तर प्रदेश में विकास खंड और विशेष क्षेत्र परियोजना	Development Blocks and Special Area Projects in U.P. . .	64
479	विभिन्न राज्यों में सर्वण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों की निर्मम हत्या तथा उनके सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं	Instances of brutal murders and Social Boycott of Harijans by Caste Hindu in various States	64
480	अनुसूचित जन जातियों की सूची में गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के कुछ बहुकंकेमर लोगों का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Polyandrous of certain district of Garhwal (U.P.) in the list of Scheduled Tribes	64

अतां० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
481	प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सुरक्षा गार्ड द्वारा गोलियां चलाये जाने की जांच	Enquiry into the shots fired by the Security Guard of the Prime Minister's House	65
482	समाचार पत्रों को आवंटित अखबारी कागज के कोटे में कटौती करने का प्रस्ताव	Proposal regarding reduction in the newsprint quota allotted to the Newspapers	65
483	सरकार द्वारा नियंत्रित मिलों का रूस को सूती कपड़ा न भेजा जाना	Default of Government controlled Mills in Shipment of Cotton Textiles to Russia	65
484	छुट्टी पर होने वाले पोस्टमैनों द्वारा पत्रों के वितरण में विलम्ब	Delivery of letters delayed by Postman on leave . . .	66
485	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	Number of persons arrested under Maintenance of Internal Security Act.	66
486	केरल में टिटेनियम कम्पलेक्स की स्थापना	Titanium Complex in Kerala .-	68
487	इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के एक एकक के लिये उचित स्थान का चयन	Selecting a suitable place for a unit of ITI	69
488	केरल में टिटेनियम कम्पलेक्स स्थापित करने के लिये जारी किये गये आशय पत्र	Letters of intent issued for setting up Titanium Complex in Kerala. .	69
489	विदेशों से भारतीय वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकीविज्ञों को स्वदेश लौटने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु योजना	Scheme to encourage Indian Scientists and Technologists to return from abroad	69
490	उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries. .	70
491	अनिवार्य वस्तुओं का उचित दरों का वितरण	Distribution of Essential Commodities at Reasonable Prices . . .	72
492	मैसर्स इनचेक टायर्स आफ इंडिया लिमिटेड की विस्तार योजना को पश्चिमम बंगाल से अन्य राज्य को स्थानान्तरित करना	Shifting of Expansion Scheme of M/s. Incheck Tyres of India Ltd., from West Bengal to other States . .	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
494	मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की आवश्यकता	Requirements of Automobile Tyres and Tubes	73
495	आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की जांच	Enquiry into A.P. Small Scale Industrial Development Corporation .	73
496	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिये नीतियां बनाना	Formulation of Policies for various Sectors of Development during Fifth Plan	74
497	विभिन्न मंत्रालयों के अध्यक्ष पद पर प्रौद्योगिकीविज्ञों की नियुक्ति के लिये कार्मिक नीति का पुन-रीक्षण	Recasting of personnel policy to appoint Technocrats to head various Ministries	74
498	सीमा सुरक्षा बल के एक भूतपूर्व कमांडेंट का कूच बिहार शरणार्थी सेवा से संबंध	Association of Former BSF Commandant with Cooch Bihar Refugee Service . . .	74
499	वर्ष 1973 में देश में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Incidents in the country during 1973 . . .	75
500	पूना में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Poona.	76
501	उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा नियम लागू किया जाना	Imposition of Civil Service National Security Rules by U.P. . . .	76
502	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में विदेशी भागीदारी	Foreign Holdings in Indian Telephone Industries . . .	77
503	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को एक सरकारी निगम बनाने संबंधी निर्णय	Decision on Conversion of PTI in a Public Corporation . . .	77
504	समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने संबंधी विधेयक	Bill on Diffusion of Ownership of Newspapers	78
505	स्वर्गीय इस्पात और खान मंत्री के कागजातों के गायब होने के संबंध में जांच	Investigation into Missing Papers of Late Minister of Steel and Mines	78
507	स्वतन्त्रता सेनानी परिचय का प्रकाशन करने के लिये मैसूर सरकार को सहायता	Assistance to Mysore for bringing o Who is Who of Freedom Fighters.	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
509	कनाडा से टेलीफोन उपकरणों का ग्रायात	Import of Telephone Equipment from Canada . . .	79
510	परमाणु बिजली घरों का बन्द हो जाना	Breakdowns in Atomic Power Stations.	79
511	दिल्ली के पुलिस मैनों को ग्रतिरिक्त ड्यूटी के लिये उपलब्ध लाभ	Benefits available to Delhi Policemen for Extra Hours on Duty.	80
512	भारतीय ग्रौद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा प्रबन्धित गणेश फलोर मिल्स दिल्ली द्वारा काले बाजार में सीमेंट की खरीद	Purchase of Cement in Black Market by Ganesh Floor Mills, Delhi Managed by IRC of India . .	80
513	'पुलिस एक्टिव इफ वी० ग्राई० पीज० ग्रार विक्टिम्स ग्राफ थेफ्टस' शीर्षक के ग्रन्तर्गत समाचार	News item 'Police Active if VIPs are Victims of Thefts' . .	81
514	ग्रगरतला के कुर्माबाड़ी क्षेत्र में चीन की प्रचार सामग्री का पाया जाना	Recovery of Chinese Propaganda Material in Kurmabari Area of Agartala .	81
515	कलकत्ता में टेलीफोन उपभोक्ताग्रों से प्राप्त शिकायतें	Complaints from Telephone Subscribers in Calcutta . . .	81
516	'शेख टाक्स ग्राफ ग्राटोनामी ग्रगेन' नामक समाचार	News item Sheikh Talks of Autonomy again . .	82
517	जमादारों द्वारा तंग किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ग्रातंक	Terror in Banda District, U.P. due to Harassment by Landlords .	82
518	कृषि संबंधों के बारे में कार्मिदल की रिपोर्ट की जांच	Examination of the Report of the Task Force on Agrarian Relations. .	82
519	क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज में त्रुटियां	Defects in Cross Bar Telephone Exchange	83
520	चावल के छिलके से कार्बन बनाने के लिये क्षेत्रीय ग्रनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया	Process Developed by Regional Research Laboratory, Hyderabad for manufacture of Carbon from Rice Husk	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
521	उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के विद्रोह में आनन्द मार्गियों की भूमिका	Role of Anand Margis in PAC Revolt in U.P.	85
522	केन्द्रीय सचिवालय में 'डेस्क आफिसर प्रणाली' चालू होने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees as a result of Introduction of 'Desk Officers System' in the Central Secretariat .	85
523	विशेषज्ञों के एक दल द्वारा तारापुर के निकट स्विच यार्ड तथा नवारी गुजरात के विद्युत प्राप्तकर्ता स्टेशनों का निरीक्षण	Inspection of Switch yards near Tarapur and the Power Receiving Stations at Navaari, Gujarat by a Team of Expert	85
524	परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में कनाडा का संकोच	Canada's Hesitation in Cooperating with India in Atomic Energy Field .	86
525	पांचवीं योजना के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग की आवास समस्या का प्रस्ताव	Atomic Energy Department's proposals for Fifth Plan	86
526	पांचवीं योजना के लिय अंतरिक्ष विभाग के प्रस्ताव	Space Department's Proposals for Fifth Plan	87
527	परमाणु ऊर्जा विभाग की आवास समस्या का समाधान	Solution of Housing problem of Deptt of Atomic Energy.	87
528	सीमेंट का उत्पादन और सप्लाई	Production and Supply of Cement	87
529	राज्य तथा जिला स्तरों पर समान विकास कार्य सुनिश्चित करने हेतु पांचवीं योजना में परिवर्तन	Changes in Fifth Plan to ensure equal Developmental Activities at State and District Levels	90
530	आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजली घर	Atomic Power Station in Andhra Pradesh	90
531	आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement to Chittoor District, Andhra Pradesh	91
532	रूग्ण इंजीनियरिंग और सीमेंट कारखानों का सरकारीकरण	Take over of Sick Engineering and Cement Units	91
533	उत्तर प्रदेश में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गए अथवा लम्बी छुट्टी पर भेजे गए अधिकारी	Officials Compulsory retired or forced to proceed on long leave in Uttar Pradesh	92
534	उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrests of PAC Personnel in U.P.	92

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
535	अनुसंधान तथा विकास के लिये धन के आवंटन में कटौती	Reduction in allocation for Research and Development	93
536	जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में आटोमैटिक ट्रंक डायलिंग सिस्टम	Automatic Trunk Dialling System in District Bahraich (U.P.). . .	93
537	इंडस्ट्रियल एस्टेट चित्तौड़ ब्लाक, बहराइच	Industrial Estate Chittaura Block, Bahraich	93
538	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार	Jobs for Educated unemployed.	94
539	महानगरों में टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रबंधात्मक ढांचा	Managerial structure of Telephone Exchanges in Metropolitan Cities. .	95
540	संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम में तीन करोड़ रुपये का घोटाला	Embezzlement of rupees three crores in the Union Territory of Mizoram.	96
541	बिजली की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पादन में हुई हानि	Loss of production in West Bengal due to Power Shortage. . .	96
542	तकनीकी विशेषज्ञों तथा आई० ए० एस० अधिकारियों के बीच विवाद	Conflict between Technocrats and IAS Officers.	96
543	फैडरेशन आफ इंजीनियर्स एण्ड टेक्नीकल आफीसर्स की ओर से प्राप्त हुआ मांगपत्र	Charter of Demands received from the Federation of Engineers and Technical Officers.	97
544	रशियन रोटरी फार टाइम्स आफ इंडिया शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News Items Russian Rotary or Times of of India . . .	97
545	लघु उद्योगों का सर्वेक्षण	Survey of Small Scale Industries. .	98
546	नई दिल्ली में पी० आई० बी० टुडे एण्ड टूमारो शीर्षक पर आयोजित गोष्टी	Seminar on PIB to-day and tomorrow held in New Delhi.	
547	बाल फिल्म सोसायटी को फिल्म प्रभाग के अधीन करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to put Children's Film Society under Films Division . . .	99
548	विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना की प्रस्तावना	Preamble to the Science and Technology Plan	99
549	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड का विलय	Merger of National Research and Development Corporation of India and Inventions Promotion Board . .	100

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
550	सीमेंट का वितरण	Distribution of Cement .	100
551	रायलसीमा (आंध्र प्रदेश) के आर्थिक विकास के असन्तुलन	Imbalance in Economic Development of Rayalseema (Andhra Pradesh).	101
552	मैसर्स मारुति लिमिटेड के बड़े बड़े शेयर धारियों को आशय पत्र और औद्योगिक लायसेंस जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent and Industrial Licences to Major Shareholders of M/s. Maruti Limited .	102
553	प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में विदेशी कम्पनियों का भाग और उनके द्वारा विदेशों में भेजी गई धन राशि	Share of Foreign Companies in the Manufacture of Toilet Articles and Amounts Repatriated by them Abroad	102
554	विज्ञापनदाताओं पर सरकारी दबाव	Government's Pressure on Advertisers.	103
555	विलासिता और आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन	Production of Luxury and Essential Articles. . .	104
556	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस् कर्मचारी कल्याण केन्द्र ऊटाकमंड से ज्ञापन	Memorandum from Hindustan Photo Films workers Welfare Centre, Ootacamund	105
557	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने के संबंध में जारी किए गए निदेश	Directive Issued to Central Government Employees not to engage themselves in any Political Activity. . .	105
558	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये गुजरात में परियोजना मूल्यांकन सैल की स्थापना	Project Appraisal Cell set up in Gujarat to Evaluate various Schemes in Fifth Plan	106
559	गुजरात फिल्मस् को फिल्म वित्त निगम द्वारा दिए गए अपर्याप्त ऋण	Insufficient Loans to Gujarat Films by Film Finance Corporation. .	107
560	गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in backward Areas of Gujarat . .	107
561	पांचवीं योजना में आर्थिक सहयोग के बारे में मित्र देशों से बातचीत	Discussion with Friendly Countries on Economic Co-operation in Fifth Plan	107
562	दिल्ली में डाके, हत्या और बलात्कार की घटनाएं	Incidents of Robbery, Murder, and Rape in Delhi . . .	108
563	कुपोषण के कारण उड़ीसा में हुई मौतें	Deaths in Orissa due to Malnutrition.	109

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
564	आसाम के दारंग जिले के उपायुक्त को प्रेषित किए गए पत्र बम	Letter Bomb Addressed to the Deputy Commissioner of Darrang District of Assam	109
565	मुजफरनगर उत्तर प्रदेश के निकट कथित पाकिस्तानी राष्ट्रिकों स पकड़ा गया साहित्य	Seizure of Literature from Alleged Pak. Nationals near Muzaffarnagar, U.P.	109
566	भारत और कनाडा में आणविक तकनीक का आदान प्रदान	Exchange of Nuclear Technology between India and Canada. .	110
567	केरल में उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के लिए केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Kerala for setting up a Fertilizer Plant	110
569	चम्वल खादर को उपयोगी बनाने के लिए सात वर्सीय योजना	Seven-year Plan to Reclaim Chambal Ravines	110
570	पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सैल बनाना	Cells for Backward and Hill Areas .	111
571	उत्तर प्रदेश में जिला योजनायें	District Plans in U.P.. . .	111
572	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० के कर्मचारियों की सेवा शर्तें	Service conditions for Employees of Central Government Employees Consumer Cooperative Society, New Delhi	111
573	पूर्वी उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Eastern U.P..	112
574	फैजाबाद के लिये टेलीफोन सलाहकार बोर्ड	Telephone Advisory Board for Faizabad	113
575	पांचवी योजना में औद्योगिक कार्यक्रम में अत्यधिक कटौती	Drastic cuts in industrial programmes during Fifth Plan	113
576	स्वतन्त्रता सेनानियों के अनुभवों को लिपिबद्ध करने का प्रस्ताव	Proposal to record the experience of the freedom fighters	114
577	गुजरात में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिये आर्थिक सहायता	Financial assistance for modernisation of Police Force in Gujarat	114
578	गुजरात के उद्योगों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Furnace Oil in Gujarat Industries	114
579	राज्यों में जनशक्ति एकक	Manpower Units in States .	115

31 LSS/73—2.

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
581	तकनीकी विशेषज्ञों (टेक्नोक्रेट) और प्रशासनिक अधिकारियों (ब्यूरोक्रेट) में मतभेद	Friction between Technocrats and Bureaucrats	115
583	ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा	Problem discussed with a Deputation of Eastern Indian Motion Pictures Association	116
584	वर्ष 1973-74 में उड़ीसा में शिक्षित युवकों के लिये रोजगार	Employment for Educated Youths in Orissa During 1973-74 . . .	117
585	उड़ीसा में तालचेर में भारी जल संयंत्र	Heavy Water Plant at Talcher in Orissa	118
586	उड़ीसा में टेलीविजन कारखाना स्थापित करने के लिये लघु उद्योग निगम को लाइसेंस जारी करना	Licence issued to Small Scale Industry Corporation to establish T.V. Unit in Orissa	118
587	सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर बिक्री	Sale of Essential Commodities at Low Prices through Public Distribution System	119
588	परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिये कनाडा तथा अन्य देशों को भारत द्वारा माल का निर्यात	Export of Goods by India for Nuclear Power Reactor to Canada and other Countries . .	119
589	मैसूर राज्य के लिये पांचवीं योजना	Fifth Plan for Mysore State.	120
590	उत्तर त्रिपुरा के तितंजेपारा में सशस्त्र मिजो विद्रोहियों द्वारा ठेकेदारों के शिविरों का लूटा जाना	Looting of Camps of Contractors by Armed Mizo Rebels at Titanjaypara North Tripura	120
591	पांचवीं योजना में संयुक्त क्षेत्र का कार्य	Role of Joint Sector under Fifth Plan.	120
592	शोलापुर, महाराष्ट्र में प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Station at Sholapur, Maharashtra	121
593	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production.	121
594	क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या जिनमें टुडे इन पार्लियामेंट कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है	Number of Regional Languages in which the Programme (Today in Parliament) is Broadcast	121
596	डाक तथा तार क्षेत्रीय सलाहकार समितियां	P & T Regional Advisory Committees.	122

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
597	संसद् सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाना	Providing Telephones in the Constituencies of M. Ps. .	122
598	छोटा नागपुर और संथाल परगना में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Chotanagpur and Santhal Parganas . .	122
599	पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विकास	Development of Industries in West Bengal .	123
600	खाद्य पदार्थों की दुकाने लूटने के कारण की गई गिरफ्तारियां	Arrest of Persons due to Looting of Shops of Food Stuffs . .	123
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance. .	124
	समाचार पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती का समाचार	Reported thirty per cent cut in newsprint quota .	124
	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandraker .	124
	श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral .	124
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	131
	वित्तीय समिति 1972-73 (एक समीक्षा)	Financial Committee—1972-73 (A Review)	135
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions . . .	135
	28 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Twenty-eight Report-*Presented* .	135
	अधिनस्थ विधान संबंधी समिति— सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Committee on Subordinate Legislation–Seventh Report– *Presented* .	135
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. .	135
	अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखे गए	Reports of Study Tours—Laid.	135
	विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक—	Disturbed Areas (Special Courts) Bill .	135
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of report of Joint Committee . .	136
	कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Thirtieth Report of Business Advisory Committee . .	136

अता०प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की मांगें (आंध्र प्रदेश), 1973-74	Demands for Grants (Andhra Pradesh), 1973-74	137
श्री एम० सुदर्शनम्	Shri M. Sudarsanam	137
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	139
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao.	139
श्री एस० बी० गिरि	Shri S.B. Giri	140
श्री अप्पालानायडू	Shri Appalanaidu.	141
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G.S. Melkote.	142
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh.	143
आंध्र प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 पुरःस्थापित तथा पारित	Andhra Pradesh Appropriation (No 2) Bill, 1973—Introduced and passed .	147
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh.	147
अनुदानों की मांगें (उड़ीसा), 1973-74	Demands for Grants (Orissa), 1973-74	148
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya.	151
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda.	154
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	156
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhry .	157
श्री पी० गंगा देव	Shri P. Ganga Deb	158
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	159
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion .	161
औषधि निर्माता फर्मों को सी० ओ० बी० लाईसेंस	C.O.B. Licences to Drug Manufacturing Firms	161
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	161
श्री डी० के० बरूआ	Shri D.K. Barooah	164

लोक–सभा
LOK SABHA

बुधवार, 25 जुलाई, 1973/3 श्रावण, 1895 (शक)
Wednesday, July 25, 1973/Sravana 3, 1895 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आन्ध्र प्रदेश में राजनीतिक गतिरोध

*41. **श्री पी० वेंकटासुबैया:**

श्री वाई ईश्वर रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पृथकतावादी आन्दोलन द्वारा आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्न किए गए राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए केन्द्र ने कुछ और प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समस्या का समाधान ढूढ़ने में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश के नेताओं के साथ आगे विचार विनिमय किया गया है, और कोई ऐसा समाधान ढूढ़ने के प्रयत्न जारी हैं जो राज्य के लोगों के विभिन्न वर्गों को अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान कर सके।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: मैं मंत्री महोदय का ध्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों की ओर दिलाना चाहता हूं और साथ ही तेलंगाना प्रादेशिक समिति के अध्यक्ष, श्री राजामलू और नरसिम्हाराव सरकार के अधिकांश सदस्यों के उस वक्तव्य की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस बोर्ड के गठन में आने वाली अड़चनें तुरन्त दूर की जाएं जो तेलंगाना सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास और तेलंगाना की जनता को रोजगार के अवसर देने के लिए बनाया जाना है और पृथकतावादी नेताओं के वक्तव्य की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिना शर्त एकीकरण पर विचार करने को वे तैयार हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए श्री दीक्षित तथा कुछ अन्य मंत्रियों द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास किये गये थे, जब वे हैदराबाद गए थे। तो क्या सरकार एकीकृत राज्य के ढांचे के अन्दर ही वहां मत जानने के लिए प्रयास करेगी क्योंकि मतभेद काफी कम हो गए हैं यदि? ऐसा है तो वहां लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए सरकार कब तक हल ढूंढ लेगी?

31 LSS/73—3.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्तः हमें उच्च न्यायालय के उस नियमों की जानकारी है जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि आंध्र और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों के लोगों को स्वीकार्य हल ढूढने के प्रयास जारी हैं और मंत्री महोदय ने भी इसी उद्देश्य से हैदराबाद में बातचीत की थी, परन्तु कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। शनैः शनैः मत बनता दिखाई देता है और इस ओर अभी और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

श्री वेंकटासुब्बयाः : आंध्र क्षेत्र के लोगों को, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के संयुक्त नगरों में रहते हैं, शिक्षा संबंधी कुछ कठिनाइयां हैं और यह आश्वासन दिया गया है कि तेलंगाना के लोगों के हितों को प्रभावित किए बिना उन्हें अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973-74 में बिना किसी आरक्षण के शिक्षा सुविधाओं के लिए इन दो नगरों में वित्तीय सहायता देना सिद्धांततः मान लिया है। इन सुविधाओं में मेडीकल, इंजीनियरिंग, डिग्री, जूनियर और प्रि-जूनियर कालेजों में अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करना और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुविधाएँ बढ़ाना शामिल है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि राष्ट्रपति शासन के बाद नए नियुक्त किये गए छः के छः न्यायाधीश आंध्र क्षेत्र के ही हैं? यदि हां, तो क्या इससे दोनों को स्वीकार्य और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की संभावनाएं धूमिल नहीं हो जाएंगी और अन्तर-क्षेत्रीय तनाव बढ़ नहीं जाएगा?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्तः यह सूचना मुझे हाल ही में मिली है और मैंने पहले ही इसका व्यौरा तलब किया है। इसके बिना मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इस मामले को ध्यान में न रखते हुए, नियुक्ति ऐसे ही अन्य मामलों में चयन मंडल के समक्ष साक्षातकार के लिए आने वाले सभी प्रत्याशियों पर कुछ प्रक्रियाएं लागू होती हैं और हो सकता है कि चुने जाने वालों में एक या दूसरे पक्ष के प्रत्याशियों को अधिक उपयुक्त समझा गया हो। इसी कारण से ही यह निष्कर्ष निकालना कि ऐसा किसी पक्षपात या क्षेत्रीय भावना के अधीन किया गया हो, ठीक नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या 1956 में किया गया अनौपचारिक समझौता जो 31 दिसम्बर, 1974 तक लागू रहना था, किसी नए समझौते में बाधक है और क्या उस पुराने समझौते के स्थान पर कोई नया अनौपचारिक समझौता किया जाएगा?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आंध्र प्रदेश के संदर्भ में इनका विशेष इतिहास है और मेरे विचार में इन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए जबकि हम जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री के० सूर्यनारायण : मंत्री महोदय ने कहा कि वह इस समस्या का हल मंत्रियों और सरकार के प्रतिनिधियों से ही मिल कर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वह कर्मचारियों और छात्रों से भी मिलने पर विचार करेंगे क्योंकि वही इन क्षेत्रीय नियमों से प्रभावित हैं और इन सभी आंदोलनों के लिए जिम्मेदार हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्रीय सरकार किसी से भी बातचीत नहीं कर रही है। गृह मंत्री जी से जो लोग मिलने आए थे, उनमें सभी तरह की विचारधारा वाले लोग थे और उनमें कर्मचारी और छात्र भी हो सकते हैं। जो कोई भी हम से मिलना चाहता था हम उनसे मिले और मैं छात्रों तथा कर्मचारियों से भी मिला था।

श्री पीलू मोदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब गृह मंत्री स्वयं यहां उपस्थित हैं, तो श्री पन्त ने यह क्यों कहा कि हो सकता है कि वे उनसे मिले हों। स्वयं गृह मंत्री बता सकते थे कि उनसे कौन-कौन मिला था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तथापि यहां दो गृह मंत्री उपस्थित हैं।

श्री पीलू मोदी : इसे मेरा निवेदन समझ लीजिए जो दूसरे मंत्री यहां हैं तब उन्होंने यह क्यों कहा कि पता नहीं उन्हें कौन-कौन मिलने आया ?

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार आंध्र समस्या पर अब भी विचार करने को तैयार है। या उन्होंने अपने मन में कोई निश्चित धारणा बना ली है। जब श्री पन्त हैदराबाद गए थे तब शिकायत थी कि वह एकीकरण के समर्थकों से ही मिले थे और यह कि वह इन्हीं लोगों के दो गुटों—सशर्त एकीकरण और बिना शर्त एकीकरण के समर्थकों के मतभेद दूर करने वहां आए थे। वह पृथकतावादियों से क्यों नहीं मिले और क्या सरकार आंध्र समस्या के प्रति गंभीर है या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कहना ठीक नहीं है कि हैदराबाद में मैं केवल किसी गुट विशेष से ही मिला था। वास्तव में मैं दोनों पक्षों के पृथकतावादियों से मिला था। मेरे वहां पहुंचने पर कुछ सम्वाददाताओं ने मुझे बताया कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं और मैंने उन्हें कहला भेजा था कि मुझे उनसे मिलकर हर्ष होगा।

Shri Jagannath Rao Joshi : Government had reiterated many a time that peaceful atmosphere would facilitate evolution of a solution to this problem. I want to know the obstacles in the way of finding a solution and in the convention of State Assembly Session to elect a new leader ?

Shri K. C. Pant : We think that it would be easier to find a solution under President's Rule in the State. If this responsibility is put on the shoulders of tomorrow's Government, they would face grater difficulty in the situation as it prevails today. The conditions in which the popular Government was removed there still persist there in the sense that no solution has been evolved so far. If a solution were possible under Popular Government, President's Rule had not been imposed there.

श्री एस० बी० गिरि : पिछले सत्र में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि राज्य के विभाजन के संबंध में वह पुर्वाग्रही नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि स्थिति सामान्य होने पर वह विभाजन सहित सभी प्रश्नों पर चर्चा करने को तैयार हैं।

दूसरे प्रधान मंत्री के पांच उपबन्धों वाले सूत्र का क्या हुआ जो अधिनियम बन चुका है ? विभाजन कब किया जायेगा। स्वयं कांग्रेस के लोग श्री दीक्षित और पंत के प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं। गत चार वर्षों से ये प्रयत्न जारी हैं—ये कब तक जारी रहेंगे ? तेलंगाना की जनता को पृथक राज्य से क्यों वंचित रखा जा रहा है जिसके बिना उन्हें अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त न हो सकेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गत चार वर्ष से बातचीत चल रही है। मैं श्री गिरि को याद दिलाना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के मुल्की नियमों संबंधी निर्णय से पूर्व सभी मामले तय हो गए थे और हम सम्पूर्ण समझौते को लागू करने की स्थिति में थे और सभी पक्ष कुछ मामलों पर सहमत

थे। उक्त निर्णय से ही नई स्थिति पैदा हुई। जैसा श्री गिरि ने कहा है प्रधान मंत्री ने उक्त बात कही थी कि स्थिति सामान्य होने पर बातचीत आरम्भ की जा सकती है और हम बातचीत कर रहे हैं। ......(**अन्तर्बाधाएं**) हम विभाजन, एकीकरण और कुछ अन्य मत रखने वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोई हल निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम सभी से बातचीत कर रहे हैं।

Effect of rising prices of essential commodities on Fifth Plan

*42. **Dr. Laxminarayan Pandeya†** :

Shri C. K. Chandrappan :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the increase registered in the prices of essential commodities would affect the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) : ऐसी किसी भी वृद्धि का अपना प्रभाव जरूर पड़ेगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार किया जा रहा है। इसे अन्तिम रूप देते समय आवश्यक जिन्सों की कीमतों में हुई वृद्धि को भली भांति ध्यान में रखा जायेगा। फिर भी असमानताओं को कम करके तथा आत्म निर्भरता को प्राप्त करते हुए विकास के मूल-भूत उद्देश्य से नहीं हटा जायेगा।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : The Hon. Minister has admitted that any such increase is bound to affect our Five-Year Plans. In this context may I know the percentage increase in the prices of these items which were determined while preparing the Fifth Plan and the proposed percentage increase or cut in the entire Plan estimates necessiatated by this price-rise ?

श्री मोहन धारिया : दृष्टिकोण पत्र में उल्लिखित आंकड़े 1971-72 के मूल्यों पर आधारित हैं और यदि मेरे मित्र चाहें तो मैं उन्हें दोहरा सकता हूं......

अध्यक्ष महोदय : ये आंकड़े यहां बताए जा चुके हैं।

श्री मोहन धारिया : मैं उन्हें पुनः बता सकता हूं। खाद्य पदार्थ—ये आंकड़े थोक मूल्यों में वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताते हैं..........

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यहां इनका उल्लेख कब किया गया था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इनका किसी चर्चा में उल्लेख नहीं हुआ है......

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इनका उल्लेख किया गया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस प्रश्न का तो यही आंकड़े आधार हैं।

श्री मोहन धारिया : वर्ष 1972-73 में खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक में 13.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि जून 1972 से जून, 1973 तक यह वृद्धि 22.7 प्रतिशत है। इन पदार्थों में अनाज, खाद्य तेल, वनस्पति, चीनी और इनसे तैयार वस्तुएं हैं। रसायनों में 1971-72 और 1972-73 के बीच 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जून, 1972 से जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह तक यही वृद्धि 5.3

प्रतिशत थी। मशीनरी और परिवहन उपकरणों में 1971-72 से 1972-73 के बीच 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जून, 1972 से जून, 1973 तक यही वृद्धि 4.4 प्रतिशत थी। इसी प्रकार लोहा, इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं के मूल्यों में 1971-72 और 1972-73 के बीच 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जून, 1972 से जून, 1973 तक 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : The hon. Minister has admitted that although there had been steep rise in prices upto 22.7 per cent. yet they would certainly not to fail to achieve self-sufficiency and shall implement the Fifth Plan on that very basis. I, therefore, want to know the ways and means being adopted by Government to achieve that goal. Whereby they shall be able to implement the Fifth Plan successfully ?

श्री मोहन धारिया : यह सब कुछ पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में वर्णित है। जैसा कि इस पत्र में कहा गया है, कोर सेक्टर में तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर होने को कटिबद्ध हैं। यह सब कुछ उक्त दस्तावेज में विस्तार से दिखाया गया है।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Besides the measures shown in the Approach Document of the Fifth Five Year Plan, have the Government suggested, any others measures in view of the heavy increase in the prices of essential consumer's goods through which we can complete the Fifth Five Year Plan on the basis of self-reliance ?

श्री मोहन धारिया : हमने वित्तीय संसाधनों के बारे में विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है जो कि इन सभी पहलुओं की जांच करेगा।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि यह सच है कि सभी आवश्यक वस्तुओं, विशेष कर खाद्य-पदार्थों, के मूल्य 22 प्रतिशत तक बढ़े हैं जबकि मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों और ऐसे ही अन्य आधार भूत उद्योगों में 4 से 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वभावतः ही, ये सब बातें ध्यान में रखी जानी हैं। अब हम यह सोच रहे हैं कि क्या क्या वित्त-संबंधी निर्णय किये जाने चाहिये और किस प्रकार हम अपने साधनों को अधिक उत्पादनशील बना सकते हैं और किस प्रकार हम इस बीच की अवधि को न्यूनतम करें। इन सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और हम इस प्रतिवेदन को दो या तीन सप्ताह में प्राप्त करने की आशा रखते हैं।

श्री भगवत झा आज़ाद : सामान्य रूप से दिये गये सरकार के उत्तर की प्रशंसा करते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि गत जून में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत रूप में योजना-पत्र में दिये गये आंकड़ों की तुलना में, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जुटाये गये संसाधनों में वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में क्या वृद्धि की जायेगी ? यह हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : यह सर्वव्यापी सत्य है कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई और इस पृष्ठि भूमि में संसाधनों की उपलब्धि के लिए व्यापक रूप से तथा गहनता के साथ प्रयास करने होंगे। इसीलिए श्री ज्योतिर्मय बसु के व्यंग्य पूर्ण कह कहे के बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि योजना आयोग सक्रिय हो जाये, और मूल्यों में वृद्धि के हमारे संसाधनों पर प्रभाव कर हमने विस्तृत रूप से विश्लेषण करना पहले से ही आरम्भ कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा है हमने योजना की मात्रा संबंधी तथा वित्तीय संदर्भों में नई दिशायें देनी हैं और इस समय इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

श्री पीलू मोदी : योजना—छुट्टी कितने वर्षों की होगी, (**व्यवधान**) आप इसे किसी भी अन्य नाम से पुकार सकते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : गत कुछ वर्षों के मूल्य सूचकांकों से पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जबकि ऐश्वर्य की वस्तुओं तथा धनवान लोगों के उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में इस सीमा तक वृद्धि नहीं हुई हैं। इस तथ्य की दृष्टि से क्या सरकार के पास ऐश्वर्य की तथा धनवानों के उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन पर एक अस्थाई रोक लगाने अथवा उनका उत्पादन कम करने का कोई प्रस्ताव है ताकि योजना की समृद्धि में सुविधा पैदा हो ?

श्री डी० पी० धर : यह एक अत्यन्त उपयोगी तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है। हम जो उपाय करेंगे उनमें से एक यह भी होगा कि हम समाज के धनवान वर्ग के लोगों के उपभोग स्तर को निश्चय ही नीचे लायेंगे। जब मैं यह कहता हूं तो श्री मोदी को दुख होता है क्योंकि वह अपने स्थान पर उछल रहे हैं। यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि सम्पन्न लोगों के उपभोग-स्तर तथा निवेश को घटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार हमें अनावश्यक खर्चों के संबंध में भी कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे। स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम जरूर ही कुछ करना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नये प्रतिबन्ध लगाने के नाम पर योजना आयोग यह सोच रहा है कि जब तक चौथी योजना की अपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक, मूल्यों में असाधारण रूप से हुई वृद्धि को देखते हुए पांचवी योजना में नई परियोजनायें आरंभ न की जायें ? यदि हां, तो क्या इससे योजना की समृद्धि में व्यवधान नहीं पड़ जायेगा ?

श्री डी० पी० धर : ऐसी बात नही है और न ही ऐसा हो सकता है क्योंकि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में भारत के लिए अब यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था के उन क्षेत्र में पूरे जोर-शोर से निवेश करें जहां पर इस समय आयात पर आश्रित रहने की स्थिति बड़ी ही विकट हो गई है। जब हम योजना में नियतन के संबंध में संसाधन-स्थिति की बात करते हैं तो हमें न केवल अपने सामान्य वस्तुओं के बढ़ रहे मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि को भी नजर में रखना होता है जहां कि उनके मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का ही उदाहरण लीजिए। उनके मूल्य दुगुने से भी अधिक हो गये हैं। जबकि विदेशों में बढ़ते हुए मूल्यों से हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है तब हमें सारे मामले पर नये सिरे से दृष्टिपात करना पड़ता है। इसी लिए यह आवश्यक है कि देश में योजना-कार्य को नये महत्व, नई दिशाएं तथा नये अर्थ दिये जायें। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट में (जिसके फलस्वरूप हम आयातों पर कम निर्भर रहेंगे) तेजी लाई जायेगी।

श्री वसन्त साठे : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत, कोर सैक्टर से अतिरिक्त अन्य आवश्यक क्षेत्रों से संबंधित आगामी योजना-नियतन में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है ? क्या ऐसी कोई कमी पर कटौती करने का प्रस्ताव मंत्री महोदय को मिला है। क्या वह यह आश्वासन देंगे कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं। उस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति क्या है ?

श्री डी० पी० धर : जैसा कि मैंने कहा, इस समय इस सम्बन्ध में अध्ययन चल रहा है और इस अध्ययन के फलस्वरूप की जाने वाली सिफारिशों के बारे में अभी मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं।

परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि पूंजीनिवेश की कमी के कारण अत्यधिक क्षेत्र के किसी क्षेत्र को हानि नहीं पहुंचने दी जायेगी परन्तु फिर भी हमें अपनी अर्थव्यवस्था और इस की स्वाधीनता की रक्षा के लिये कुछ त्याग तो करने ही होंगे।

श्री वसन्त साठे: मेरे विचार से ऐसा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में होगा।

श्री डी० पी० धर : निश्चय ही।

श्री पीलू मोदी: लगता है मंत्री महोदय को योजना छुट्टी (प्लान होलीडे) शब्द से कुछ चिढ़ है और इसीलिये वह इसे मेरे नाम के साथ जोड़ते हैं। हमें यह समझना चाहिये कि मूल्यों में भारी वृद्धि के फलस्वरूप उन्हें अपनी योजना को मोडी-फाई, हानि कुछ परिवर्तित करना पड़ेगा। वह चाहे किसी भी नाम से इस पुकारे परन्तु सत्य यह है कि . . .

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के सम्मानित मित्र भी इस सभा में यही शब्द इस्तेमाल करते थे।

श्री पीलू मोदी: मेरे विचार से इस शब्द का पुनः प्रयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है।

अतः मुझे आशा है कि वह स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने जो बातें बताई हैं उनके संदर्भ में वह योजना की पूर्ति के लिये कहां से तथा कैसे संसाधन जुटायेंगे अर्थात् कि कोर सैक्टर आदि आदि में धन की कमी नहीं रहने दी जायेगी और हम अपने देश पर विदेशों में बढ़े हुये मूल्यों के दुष्ट प्रभाव को कैसे रोकेंगे। वह उक्त संसाधन कहां से जुटायेंगे? मुझे इस प्रकार का हास्यस्पद उत्तर नहीं चाहिये जैसा कि उन्होंने कहा कि वह श्री पीलू मोदी-द्वारा वस्तुओं के उपभोग में कमी करना चाहते हैं क्योंकि यदि मुझे अपने उपभोग में कमी करनी ही पड़ी तो वह केवल स्वास्थ्य के कारण होगी; परन्तु मैं तो पूरी तरह तन्दुरुस्त हूं।

श्री डी० पी० धर: मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि मैं योजना को मोडी-फाई' (परिवर्तित) कर पाता क्योंकि तब मुझे उसके आकार की चिन्ता न होती। और मुझे श्री पीलू मोदी के स्वास्थ्य के प्रति पूरी सहानुभूति को लेकर ही कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे अनावश्यक पदार्थ जिनका वह अत्याधिक उपयोग करते हैं, उनमें कटौती करनी पड़ेगी।

श्री पीलू मोदी: इस प्रकार उत्तर तो वही हास्यस्पद ही रहा।

डा० के० एम० इसहाक: क्या यह सच है कि आरम्भ के समय अनुमानित उत्पादन लागत क्रियान्विति के बाद हमेशा ही अधिक पाई जाती है और क्या यह सच नहीं है कि क्रियान्विति के पश्चात् की उत्पादन लागत 100 या 200 प्रतिशत अधिक मिलती है? यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि पांचवीं योजना में निश्चित की गई परियोजनायें वस्तुतः हाथ में ली जायेंगी तथा क्रियान्वित की जायेंगी?

श्री डी० पी० धर: योजना बनाने का अर्थ ही आवश्यक फेर-बदल कर लेने का होता है। यह सच है कि प्रतिदिन और प्रतिवर्ष उन उद्देश्यों सम्बन्धी परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है जिनमें कोई योजना बनाई जाती है और फिर उसे उसी के अनुरूप रूप और आकार देना पड़ता है। इसीलिये वार्षिक योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं की परिधि में रखा गया है; और वार्षिक योजनाओं का निरूपण करते समय उन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: मंत्री महोदय के दो वक्तव्य हमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आशंकित करते हैं। एक तो यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना को नई दिशा देने के प्रयास किये जा रहे हैं वस्तुतः किसी की समझ में नहीं आता कि इस नये रूप का अर्थ क्या है।

श्री पीलू मोदी : यह एक नई अभिव्यक्ति है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या इस नये रूप का अर्थ योजना में कटौती करने से है? इस "नये पन" का अर्थ क्या है जो कि वह पांचवीं योजना में लाना चाहते हैं?

श्री पीलू मोदी : इसे सिकोड़ देना।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: दूसरे उन्होंने कहा कि वह यह आश्वासन नहीं दे सकते कि योजना के विभिन्न भौतक लक्ष्यों के लिये नियतनों में कोई कटौती नहीं की जायेगी। ऐसी परिस्थिति में तो कोई क्या जाने कि हम योजना अवकाश ही मनाते रहे हैं जैसा कि हम इस समय कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय अपने इन दोनों दृष्टिकोणों की व्याख्या करेंगे जोकि उन्होंने यहां सभा के सामने पेश किये हैं?

श्री डी० पी० धर : मैं प्रथम तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जिस में कुछ समय के लिये आयोजन का कार्य रोक देने की बात निहित है और जिसे यहां योजना छुट्टी (या योजना अवकाश) की संज्ञा दी गई और मेरा निवेदन यह है कि इस दृष्टिकोण पर इसलिये जोर दिया जा रहा है क्योंकि मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसकी कोई हिदायत नहीं कर रहा बल्कि आप स्वयं उसे व्यवहार में ला रहे हैं।

श्री डी० पी० धर : यही कारण है कि यहां योजना-अवकाश जिसका अर्थ आयोजन कार्य में व्यवधान है की यदि हिमायत नहीं तो चर्चा की जा रही है। योजना बनाने का अभिप्राय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना करना होता है। योजना के कार्य म यह सब कुछ ध्यान में रखना ही पड़ता है अन्यथा वह चीज खोखली बनती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसलिये आप किसी भी चीज को योजना कह सकते हैं भले ही उसका वास्तविक आधार कुछ भी न हो?

श्री डी० पी० धर : मैं भी योजना बनाने का अभिप्राय ठीक उसी संदर्भ, उन्हीं अर्थों में, उसी दृष्टिकोण से तथा उन्हीं शब्दों में समझता हूं जोकि स्वयं श्याम बाबू उस समय समझते थे जबकि वह स्वयं योजना मंत्री थे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : वे बातें तो वर्ष 1966 के बाद से रही ही नहीं। उस प्रकार का आयोजन कार्य अब कहां?

श्री डी० पी० धर : मुझे यकीन है कि मैं उन्हीं शब्दों को प्रयोग में लाने का गौरव प्राप्त कर रहा हूं जो कि स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से समय समय पर निकलते रहे जब कि वह योजना विभाग के अध्यक्ष थे।

इसलिये, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था सम्बन्धी वर्तमान नई चुनौती का सामना करने के लिये योजना को अनुक्रियात्मक बनाना पड़ता है और इसमें अर्थव्यवस्था के नये बिम्ब परिलक्षित होने चाहिये।

पहले प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पहले निवेदन ही काफी हैं।

श्री मोइनल हक चौधरी : क्या इस कार्यकारी दल को अर्थ सम्बन्धी वचन देने से पूर्व कोई ऐसा प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है कि इस योजना के आकार में कितनी कमी अथवा वृद्धि होगी? सरकार के विचार से अपना अध्ययन पूरा करने में यह दल कितना समय लेगा ?

श्री डी० पी० धर : यदि मैं इस सम्बन्ध में प्रारंभिक निष्कर्ष निकाल पाता कि इस योजना का वित्तीय आकार क्या होगा या इसमें कितनी कमी या वृद्धि होगी तो फिर इस कार्यकारी दल का काम जो कुछ रह ही नहीं गया था। अब मैं विनम्रता से यही कहना चाहूंगा कि हमें सब्र के साथ कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि इस कार्यकारी दल के निष्कर्ष हमारे सामने नहीं आ जाते।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : योजना आयोग में आपके पास एक पूरा संसाधन डिविजन है । क्या वह आपको प्रारंभिक प्राक्कलन भी नहीं दे सका? हम योजना आयोग में संसाधन विभाग का खर्च वहन कर रहे हैं।.........(व्यवधान)

श्री डी० पी० धर : मुझे बेहद दुःख है कि मैंने अनजाने में ही श्यामनन्दन बाबू को क्रोधित कर दिया।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नहीं नहीं ....(व्यवधान)

श्री डी० पी० धर : परन्तु मामले की वास्तविकता यह है कि संसाधन डिविजन जिसके लिये श्री श्याम-नन्दन बाबू ने सभा को बिल्कुल सही सूचना दी है कि उसका खर्च सरकारी कोष पर पड़ता है; और कि यह डिविजन अवैतनिक रूप से काम नहीं कर रहा है वस्तुतः इसी कार्य में लगा हुआ है। क्योंकि वह कृपा करके कभी कभी योजना आयोग में आते रहते हैं मैं भी उन्हें यह बताकर बहुत खुश हूंगा कि इस विभाग ने अब तक कितना कार्य किया है। परन्तु निश्चय ही वह मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि यह अनुचित होगा कि मैं सभा के सदस्यों के सम्मुख कच्चे आंकड़े लेकर आऊं। सभा कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करे ताकि मैं वे आंकड़े दे सकूं जोकि औचित्य पूर्ण तथा निश्चित होंगे।

पांचवीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले टेलिविजन केन्द्र

*43. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना की अवधि में कितने नये टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और कहां कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये कितनी धन-राशि नियत करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा): (क) तथा (ख) : टेलीविजन के विकास सम्बन्धी पांचवीं योजना के प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है और उनको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस उद्देश्य के लिये परिव्यय को बताना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : फिर मैं चौथी योजना के बारे में पूछूंगा।

(क) क्या मैं जान सकता हूं कि चौथी योजना के अन्त तक देश में टेलीविजन लगाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई और इस पर चौथी योजना के अन्त तक कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ख) टेलीविजन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी के क्षेत्र में हम किस हद तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर चुके हैं ;

(ग) क्या दिल्ली स्थित टेलीविजन केन्द्र को स्वीकार करने की कोई योजना है ? यदि हां तो इस कार्य में कितना समय लगने की संभावना है और इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) अन्त में परन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यह सच है कि श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र होने के बावजूद भी पाकिस्तानी टेलीविजन के कार्यक्रम समूची काश्मीर घाटी तक फैले हुये हैं यदि हां तो श्रीनगर स्थित टेलीविजन केन्द्र में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ताकि उसके प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से कैसे संबंधित है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): जहां तक श्रीनगर का सम्बन्ध है यह केन्द्र अब एक सम्पूर्ण केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस केन्द्र का मीनार बनने में कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि जिस ठेकेदार को यह कार्य सौंपा गया था। दुर्भाग्य से वह इसे पूरा नहीं कर सका है। हमें आशा है कि वह मीनार (टावर) सितम्बर या अक्तूबर मास तक पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न लूंगा।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मेरा दूसरा प्रश्न है पांचवीं योजना के अन्त तक कितनी ग्रामीण जनसंख्या को टेलीविजन सुविधायें पहुंचाये जाने की आशा है। यह प्रश्न का (क) भाग है और (ख) भाग . . . (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटासुब्बया : संबंधित प्रश्न के लिये कोई उत्तर ही नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस की संबंधता के बारे में पुन: बता सकने हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : पांचवीं योजना में कितने ग्रामीण क्षेत्र में टेलीविजन सुविधायें उपलब्ध हो जायेगी यह तो बिलकुल संबंधित प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पांचवीं योजना में टेलीविजन की विस्तार योजना के बारे में पूछा था। मंत्री महोदय ने कहा नहीं। क्या वह ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य प्रश्न से अलग करते हैं ? यह कैसे हो सकता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ने लिखित अथवा मौखिक रूप से गुजरात से भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री घनश्याम भाई ओझा को यह आश्वासन दिया था कि अहमदाबाद में एक टेलीविजन केन्द्र लगाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है।

श्री पी० जी० मावलंकर : श्री ओझा ने यह बात लोगों के सामने कही थी . . .

अध्यक्ष महोदय: : कृपया बैठ जाईये इस सम्बन्ध में अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ। इस प्रकार व्यवहार मत कीजियेगा जब सरकारी प्रवक्ता ने ऐसा कहा है तो फिर इस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न कैसे उठते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने इस सदन में पहले कहा था कि 1974 में कानपुर में एक टेलीविजन केन्द्र खोला जायेगा (व्यवधान) मैं पांचवीं योजना की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कौन जानता है? शायद खुल जाये?

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न क्या है ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें सदन में बताया गया था कि यह पांचवीं योजना में खोला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके जोर न दें।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह क्या है, मैं नहीं समझता। क्या मेरा प्रश्न असंगत था?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है। अगला प्रश्न।

गुजरात के पिछड़े जिलों का विकास

*44. **श्री वेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पिछड़े हुये जिलों का और उद्योग स्थापित करके विकास करने हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) जिला जूनागढ़ के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहामन अन्सारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सहायता राज्यों को क्षेत्र अथवा योजना व कार्यक्रम अथवा जिलेवार नहीं दी जाती है। फिर भी सरकार कुछ प्रोत्साहन तथा राजसहायता योजनायें यथा, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु रियायती दर पर धन तथा 10 प्रतिशत अब 15 प्रतिशत सीधी राजसहायता देती है। गुजरात स्थित 117 एककों के लिये 31 मार्च, 1973 तक केन्द्रीय वित्त संस्थानों ने रियायती दर पर 205.21 लाख रुपये ऋण स्वरूप मंजूर किये थे जिसमें जूनागढ़ जिले के 6 एककों के लिये मंजूर की गई 11.22 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है। गुजरात के पंचमहल, भड़ौच तथा सुरेन्द्र नगर तीन जिलों में जो अब 15 प्रतिशत राज्य सहायता के हकदार हैं स्थित 57 औद्योगिक एककों के लिये 7,52,512 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

श्री वेकारिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने औद्योगिक एककों ने सहायता के लिये मंत्रालय से अनुरोध किया है। और उन में से किन-किन एककों को इससे लाभ पहुंचा है और सहायता के लिये अन्य एककों के अनुरोध पर विचार न करने के क्या कारण हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं तीन जिलों अर्थात् पंचमहल, भड़ौच तथा सुरेन्द्रनगर के 57 औद्योगिक एकक अब राज्य सहायता के हकदार हैं।

श्री वेकारिया : जूनागढ़ जिले के कितने औद्योगिक एककों ने वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध किया है और जिन जिलों ने सहायता के लिये अनुरोध किया है उनमें से कितनों को सहायता के लिये इन्कार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जूनागढ़ जिले के बारे में ! आप इसके बारे में पृथक सूचना दे सकते हैं ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : उत्तर देना संभव नहीं है ।

श्री वेकारिया : जूनागढ़ जिले का विशेष रूप से उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है । ये कहते हैं कि ये उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : प्रश्न के (ख) भाग के बारे में मैं विवरण में पहले ही बता चुका हूं कि जिलेवार और मदवार नियतन बताना संभव नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न का दूसरा भाग देखें तो मालूम होगा कि इन्होंने जूनागढ़ का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : इस प्रकार का जिलेवार कोई नियतन नहीं है। हमने यह पेशकश की है कि पिछड़े जिलों में जहां भी और जब भी उद्योग स्थापित किये जाएं, वे राज्य सहायता के हकदार हैं और मंजूरी के बाद ये एकक राज्य सहायता के लिए हकदार बन जाते हैं। अतः किसी प्रकार की सीमा का कोई प्रश्न नहीं है और वह एक विशेष जिले के लिए किये गये नियतन पर आधारित नहीं होता है। अतः जितने के वे हकदार हैं, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। लेकिन उद्योग स्थापित करने संबंधी विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या के लिये पृथक सूचना जरूरी है।

श्री वेकारिया : वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन आवेदन-पत्रों के बारे में मैंने नहीं पूछा है। मैंने विशेष रूप से पूछा है कि कितने औद्योगिक एककों के आवेदन-पत्र दिये हैं। उत्तर में बताया गया है कि केवल छः औद्योगिक एकक इससे लाभान्वित हुए हैं। मैं इन छः औद्योगिक एककों के नाम जानना चाहता हूं और साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि किन कारणों से अन्य औद्योगिक एकक इससे लाभ नहीं उठा रहे हैं। प्रश्न यही है। आवेदन-पत्र जिलों में आये हुए होंगे और आप कारण भी बता सकते हैं। मैं अपने प्रश्न का विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : ये आंकड़े राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होंगे। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे पृथक सूचना दें। हम उत्तर देंगे।

श्री वेकारिया : मैंने यह विशिष्ट सूचना इसके लिये दी है। मंत्री महोदय दूसरी सूचना के लिये क्यों कह रहे हैं? यह बहुत विशिष्ठ है: "जिला जूनागढ़ के लिये कितनी धन-राशि आबंटित की गई है।" इसका एक विशिष्ट उल्लेख किया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक विशिष्ट सूचना की क्या आवश्यकता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं यह कह चुका हूं कि ज़िलेबार इस प्रकार का कोई भी आंवटन नहीं किया जाता है। उस क्षेत्र के लिये स्वीकृत प्रत्येक उद्योग राज्य सहायता का हकदार होता है और इस प्रकार किसी विशेष आंवटन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यही उत्तर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। अब आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं।

श्री वेकारिया : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है। ज़िला जूनागढ़ औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जूनागढ़ जिले को औद्योगिक राज्य सहायता देने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इन राज्यों का चयन राज्य सरकार कुछ आधार पर करती है। गुजरात सरकार ने पंचमहल, भड़ौच तथा सुरेन्द्रगढ़ ज़िलों का चयन किया है। उस राज्य के तीन ज़िले राज्य सहायता के लिये हकदार हैं। जूनागढ़ को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल करने के बारे में हम विचार करेंगे।

श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में मेहसाना और बनसक्रम बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं और वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं ? इन दो जिलों में पांचवी योजना के दौरान उद्योग स्थापित करने पर क्या आप विचार कर रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : प्रतीत होता है कि पिछड़ेपन की प्रतियोगिता चल रही है। आखिरकार हमारे पास कोई उद्देश्यपूर्ण मापदंड होना चाहिये। उसके आधार पर गुजरात सरकार तथा योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहूंचे हैं कि ये तीन ज़िले बहुत पिछड़े हुए हैं और ये राज सहायता के हकदार हैं। यदि चाहें तो अन्य ज़िलों के बारे में भी विचार हो सकता है।

श्री डी० पी० जदेजा : पिछड़े ज़िलों का चयन करने के लिये क्या मापदंड हैं और क्या सरकार जामनगर ज़िले को औद्योगिक दृष्टि से, पिछड़ा ज़िला घोषित करने के बारे में विचार करेगी और वहां के नये एककों को रियायत तथा राज सहायता के लिये हकदार बनायेगी क्योंकि राज्य संरक्षण के अभाव में गत 25 वर्षों के दौरान वहां कोई भी मध्य अथवा उच्च स्तर के कारखानों की स्थापना नहीं हुई है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पिछड़ेपन के मापदंड का जिक्र सदन में अनेक बार हो चुका है और पिछड़ेपन के आधारों के बारे में सभा पटल पर पत्र भी रखा गया है। जहां तक जामनगर का संबंध है यदि यहां के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया जाये तो हम अवश्य विचार करेंगे।

श्री नवल किशोर सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछड़े ज़िलों की एक पृथक सूची है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार ने कुछ ज़िले औचित्य के बजाये राजनैतिक कारणों से शामिल किये हैं और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार सूची को वापिस राज्यों को भेजने तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार नई सूची बनाने के लिये राज्यों को कहने के लिये तैयार है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इसका आधार केवल राज्य सरकार की सिफारिशें ही नहीं हैं। योजना आयोग ने भी इसकी जांच की है तथा सिफारिशों पर विचार किया है और एक उद्देश्यपूर्ण निर्णय के अनुसार ही इन ज़िलों को पिछड़े हुए, घोषित किया गया है। यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि कुछ गलत निर्णय किये गये हैं और यदि वे हमारी जानकारी में लाये तो हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे।

श्री डी० एन० तिवारी : यदि कोई उद्योगकर्त्ता पिछड़े ज़िले में उद्योग स्थापित करने के लिये सामने नहीं आता है। तो क्या सरकार इन पिछड़े क्षेत्रों में स्वंय उद्योग स्थापित करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस बात से परिचित हैं कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की संख्या बहुत सीमित है। पिछड़े जिलों की संख्या लगभग 220 है और एक सरकारी क्षेत्र का उद्योग हर ज़िले में स्थापित करना सम्भव न होगा। जहां तक सम्भव हो हम सरकारी क्षेत की परियोजनाओं की संख्या बढ़ाना चाहेंगे लेकिन हर प्रकार के उद्योग स्थापित करने के बारे में हमारी कुछ सीमाएं हैं।

अल्पसंख्यक समुदाओं सम्बन्धी आयुक्त की नियुक्ति

*45. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं का समाधान करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की भांति अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सांविधिक रूप से एक आयुक्त की नियुक्ति करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध संरक्षण संबंधी सभी मामलों की जांच करने तथा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 350-ख में एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की अपेक्षा है। ऐसी रिपोर्टों को को सदन में रखा भी जाता है और उन पर विचार किया जाता है। कोई अन्य वैधानिक प्राधिकारी नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bhogendra Jha: Is it fact that the Union Home Ministry through an order issued sometime ago asked the state Governments not to recruit the members of communal minorities perticularly muslim minority in the Armed Police ? Is it also a fact that muslim minority constitute only 2-1/2 per cent of the total number of employees of the Government of India. What remedial steps are being taken by the Government ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I am not aware of such orders issued from the central Government. The policy of the Government is clear......

Shri Bhogendra Jha : You have not contradicted it.

Shri Ram Niwas Mirdha : I have no knowledge about such orders.

Shri Bhogendra Jha : It is within my knowledge.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is the declared policy of the Government to provide maximum employment opportunities in Government Service to all the minorities including muslims and Government took all possible steps in this direction, tried to encourage them educationally and also tried to prevent the atmosphere about the non recruitment of minorities. We have been trying to provide equal opportunities to compete and work to all.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTION

त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना

*46. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के अकालग्रस्त लोगों द्वारा खाद्य सामग्री और राहत के लिए शान्तिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए उनके विरुद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग किया गया था ;

(ख) क्या 20 जून, 1973 को खोबीर में त्रिपुरा विधान सभा में विपक्ष नेता को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने पीटा था और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को हटाने के बारे में विचार करेगी ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) 20 जून, 1973 से 22 जून, 1973 तक की अवधि में भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा चलाये गये आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए धर्मनगर, कैलाशहर, कुमारघाट, चालनगाटा, कंचनपुर, कमालपुर, टेलियामुरा, उदयपुर, तथा अमरपुर में राज्य पुलिस की सहायता के लिये केन्द्रीय रिर्जव पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। 20-6-73 को खवाई में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेन्ट के मूल्य में वृद्धि

***47. श्री राम कंवर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने सीमेंट के मूल्य में 10 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि करने की सिफारिस की थी ;

(ख) क्या भारत सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिश मान ली हैं ; और

(ग) मूल्यों में इस प्रकार के वृद्धि करने के क्या कारण हैं और बढ़े हुए मूल्यों का देश में गृह निर्माण की गतिविधि पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) सीमेंट कारखाने से बाहर के मूल्य के संशोधन का प्रश्न प्रशुल्क आयोग के विचाराधीन है। फिर भी, उन्होंने आयोग की अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार उचित संशोधन किये जाने के अधीन मूल्य में प्रिति मी० टन 10 रु० अंतरिम वृद्धि की सिफारिश करते हुए एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) कीमतों में वृद्धि करने के प्रमुख कारण कोयले की कीमत में वृद्धि, बिजली दर, मजदूरी, मंहगाई भत्ता और जिप्सम के लिए भाड़े की दर में वृद्धि आदि के फलस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि होना रही है। भवन (निर्माण) कार्यों पर वृद्धि का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

सभी इंजीनियरी स्नातकों तथा अन्य स्नातकों के लिए रोज़गार

***47. श्री एम० एल० पुरती :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सभी इंजीनियरी स्नातकों और अन्य स्नातकों को रोजगार देने के अधीन कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० 5175/73]**

कच्चे माल के मूल्य

***49. श्री मुख्तियार सिंह मलिक:**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव:

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान इस्पात नायलोन, पोलिस्टर यार्न, रंगों और रसायनों जैसी औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन वस्तुओं के मूल्य में अनानुपातिक वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। दखिये संख्या एल टी० 5176/73].**

यह गुलिस्तान हमारा नामक फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध

***50. श्री बख्शी नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड ने "यह गुलिस्तान हमारा" नामक हिन्दी फिल्म को प्रदर्शन की की अनुमति दी थी ;

(ख) क्या सरकार ने बाद में इसका प्रमाण-पत्र वापस ले लिया तथा इस फिल्म के प्रदर्शन पर पर प्रतिबंध लगा दिया था ; और

(ग) उक्त फिल्म के प्रदर्शन पर जिसे पहले अनुमति दी जा चुकी थी और जो देश के कुछ भागों में दिखाई जा रही थी, प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) फिल्म का प्रदर्शन चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6(2) (ग) के अंतर्गत 14 मई, 1973 से दो महीने की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया था।

(ग) पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लोगों ने यह अभ्यावेदन किया था कि फिल्म उनकी भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है। फिल्म के कारण शिलांग में सार्वजनिक व्यवस्था भंग हुई।

फिल्म के पुनर्विलोकन पर सरकार ने उपरि उल्लिखित दो महीने का स्थगन आदेश दिया। स्थगन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसने रोक आदेश (स्टे आर्डर) जारी किये। बाद में आपसी समझौते के आधार पर रोक आदेश रद्द कर दिये गये। तथापि, स्थगन अवधि अब समाप्त हो चुकी है। कारण बताओ नोटिस के आधार पर फिल्म का प्रमाण पत्र रद्द करने का प्रश्न विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में पुलिस और सेना में मुठभेड़

***51. श्री सी० एच० मुहम्मद कोया:**

श्री हुकम चन्द कछवाय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1973 के अन्त में उत्तर प्रदेश में पुलिस और सेना में मुठभेड़ हुई थी; और

(ख) क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) उत्तर प्रदेश पुलिस की कुछ टुकड़ियों में गम्भीर अनुशासनहीनता से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सेना की सहायता प्राप्त की थी। प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस की कुछ बटालियनों के शस्त्रागारों पर नियंत्रण करने की कार्यवाही के दौरान प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया। जिसके परिणामस्वरुप कुछ स्थानों पर दोनों ओर से गोलियां चलीं।

(ख) 18–7–73 तक राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत 30 प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों समेत 40 पुलिस कर्मचारियों को पदच्युत किया गया है। 393 पुलिस कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 15 प्लाटून कमाण्डरों को स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति होने की अनुमति दे दी गई है। 9 प्लाटून तथा कम्पनी कमान्डरों को सेवा निवृति के लिए 3 महीने का नोटिस दे दिया गया है। 48 स्थानापन्न प्लाटून कमाण्डरों और हैड कांस्टेबलों को पदावनत कर दिया गया है।

पश्चिमी क्षेत्र में दूसरे परमाणु बिजलीघर की स्थापना

***52. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी:** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में दूसरा परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उसकी रुपरेखा क्या है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त स्थल चयन समिति ने पश्चिमी विद्युत् क्षेत्र से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तथा वह भारत सरकार के विचाराधीन

जमाखोरी तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को आदेश

***53. श्री पी० ए० सामिनाथन:**

श्री वी० मयावन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गये पत्र में उन से यह अनुरोध किया है कि जमाखोरी और चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम तथा अन्य कानूनी शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों को कितने राज्यों ने स्वीकार किया है; और

(ग) क्या जमाखोरी तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय सरकार का कोई अन्य कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) जमा किए गये भण्डारों को निकालने तथा अपराधियों को पकड़ने की दृष्टि से गृह मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मणिपुर के राज्यपालों और सभी उप-राज्यपालों व मुख्य आयुक्तों को भेजे गये एक पत्र में सुझाव दिया है कि चोर बाजारी करने वालों जमाखोरों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया और गम्भीर मामलों में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 की शक्तियां के अधीन कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) ने भी इस संबंध में उपलब्ध सभी कानूनी उपबन्धों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है।

(ख) सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सामान्य रूप से सुझावों को स्वीकार किया गया है।

दिल्ली में टेलीप्रिंटर लाइनों और टेलीफोनों की मरम्मत

*54. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रतिदिन अनेक टेलीप्रिंटर लाइनें और हजारों टेलोफोन खराब हो जाते हैं और कई दिनों तक बिना मरम्मत पड़े रहते हैं ; और

(ख) इस वर्ष के पहले छः महीनों में टेलीप्रिटरों और टेलीफोनों के बारे में अलग-अलग कितनी शिकायत प्राप्त हुई, 30 मई, 1973 को कितनी शिकायतों को दूर करने हेतु व्यक्ति भेजे गये कितनी मशीनों अथवा उपकरणों को ठीक किया गया और कितनी शिकायतों को दूर किया जाना शेष था ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): जी नहीं।

(ख) इस संबंध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

महीना	हर महीने 100 टेलीफोनों पर टेलीफोन सेवा के बारे में शिकायतों की संख्या	ठीक किए गए टेलीफोनों की संख्या
जनवरी 73	54	54
फरवरी 73 . . .	50	50
मार्च 73	60	60
अप्रैल 73	51	51
मई 73	65	65
जून 73	62	62

(तारीख 30-6-73 को टेलीफोनों की कुल संख्या-155474)

महीना	टेलेक्स सेवा के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या	ठीक किए गए टेलेक्स कनेक्शनों की संख्या
जनवरी 73	39	39
फरवरी 73	30	30
मार्च 73	13	13
अप्रैल 73	20	20
मई 73	18	18
जून 73	21	21

(टेलेक्स कनेक्शनों की कुल संख्या 1185) तारीख 31–5–73 को कोई भी शिकायत बकाया नहीं थी।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्रों का निपटान

*55. **श्री के० लकप्पा :**

श्री वर्के जार्ज :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवेदनपत्रों के शीघ्र निपटान के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने की नई प्रक्रिया पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई व्यवस्था से आवेदनपत्रों के निपटान में उपस्थित होने वाली रुकावटों और गतिरोधों को दूर किया जा सकेगा; और

(ग) यह नई व्यवस्था किस प्रकार सहायक होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए मन्त्रि मण्डल द्वारा नियुक्त मन्त्रियों के दल ने औद्योगिक प्रशासन संबंधी एक उप-दल नियुक्त किया था। इस उपदल ने औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से वर्तमान लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर गहराई से विचार किया है। इस संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव का उद्देश्य औद्योगिक लाइसेंस/पूंजीगत माल के आयात/विदेशी सहयोग तथा एकाधिकार तथा निर्बंधित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदनों की प्राप्ति तथा साथ ही उन पर कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त सचिवालय स्थापित करने का है। इस एकीकृत सचिवालय को न केवल आवेदनों की विभिन्न अवस्थाओं की प्रगति पर निगाह रखना है बल्कि लाइसेंस धारियों द्वारा की गई प्रगति की सूचना का उस समय तक देते रहना है जब तक कि कारखाना उत्पादन शुरु नहीं कर देता।

हाल में पकड़े गये तस्करी के टेलीविजन सेटों और साड़ियों में से कुछ के गोलमाल में तिलक नगर पुलिस का हाथ

*56. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री भोला मांझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि तिलक नगर दिल्ली की पुलिस ने मई 1973 में पकड़े गये तस्करी के टेलीविजन सेटों और साड़ियों में से कुछ का गोलमाल किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या उपचारी कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले में एक जांच की गई थी। समाचार में निहत आरोप सिद्ध नहीं हुए।

Survey of Indians Abroad who have capacity to set up industries in Punjab

*57. **Shri Shrikrishan Agrawal :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Government of Punjab have carried out a survey in respect of those business and entrepreneurs of Indian origin who are settled abroad and who have the capacity to establish industries in India;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) whether the Punjab Government have put forth suggestions to the Central Government to allow certain concessions to encourage those businessmen and entrepreneurs to set up industries in India and if so, Central Government's reaction thereto?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) to (c) The Punjab Government had commissioned a survey of the potential for mobilising the resources of Indian settled abroad for investment in small industries in Punjab. According to the State Government the findings of the survey indicate that the majority of the non-resident Indians particularly Punjabis settled abroad are keen to invest part of their savings in Punjab State but are unable to do so mainly because of lack of communication regarding the policy of the Government of India, incentives, offered by Punjab Government and opportunities for investment in Punjab.

Our Embassies abroad and the Indian Investment Centre are being requested to fication might be needed on the policies and procedures governing such investment.

As regards the long term measures the demand at the end of the Fifth Plan is

The Punjab Government has not put forward any suggestions to the Central Government for additional concessions to encourage non-resident Indians abroad to set up industries in India.

कालेजों में दाखिले को रोज़गार के अवसरों के साथ सम्बद्ध करने की दृष्टि से विनियमित करने की योजना

*58. **श्री नरेन्द्र सिंह:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालेजों में दाखिले को रोजगार के अवसरों के साथ सम्बद्ध करने की दृष्टि से विनियमित करने की प्रस्तावित विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो उस की रूप रेखा क्या है; और

(ख) क्या यह योजना चालू शैक्षिक सत्र से लाग कर दी गयी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में सेना तथा केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस का तैनात किया जाना

*59. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के विद्रोह को दबाने के लिए केन्द्र द्वारा सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गई थी और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी ;

(ख) इस विद्रोह में हताहतों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ग) प्रान्तीय सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ; और

(घ) क्या सरकार समूची घटना की संसदीय जांच कराने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस में गम्भीर अनुशासनहीनता से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की साढ़े छः बटालियनें उपलध कराई गई थी । उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति से निपटने में सेना की भी सहायता मांगी थी और सेना के प्राधिकारियों ने नागरिक शासन की सहायता में पर्याप्त प्रवन्ध किये ।

(ख) रिपोर्ट दी गई है कि 37 व्यक्ति मारे गये तथा 101 व्यक्ति घायल हुए ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

विवरण

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किये गये उपायों का विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारियों तथा प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(I) पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सुख-सुविधा निधि, जो 2.75 लाख रुपये थी बढ़ा कर 12.75 लाख रुपये कर दी गई है।

(II) निःशुल्क भोजन अथवा भोजन भत्ता के पात्र होने के लिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी के 18 घंटे की न्यूनतम अवधि घटाकर 9 घंटे अथवा उससे अधिक कर दी गई है।

(III) आसूचना, सी० आई० डी० और रेलवे पुलिस की विशेष शाखा, जो असैनिक वर्दी भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे थे, इसके पात्र बना दिये गये हैं।

(IV) प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के कांस्टेबल तथा हवलदार, जो अपने मुख्यालयों से बाहर की यात्रा के लिए दैनिक भते के बदले में 10 रु० मासिक एक नियत भत्ता प्राप्त कर रहे थे, अब पुलिस की अन्य शाखाओं की भांति दैनिक भते के पात्र बना दिये गये हैं।

(V) प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को अब विशिष्ट दरों पर रेल यात्रा के लिए आकस्मिक खर्च स्वीकृत किया जाता है।

(VI) पुलिस कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित वेतन आयोग की रिपोर्ट में असमानताओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए आश्वासन दिया गया था।

(VII) सरकारी चिकित्सालयों में पुलिस कर्मचारियों के परिवार पुलिस डिस्पेंसरियों में इलाज कराने के लिए पात्र कर दिये गये हैं। इससे पहले केवल कर्मचारी ही इलाज करा सकते थे।

(VIII) उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस आवास कार्यक्रम की गति तेज करने का निश्चय किया है।

(IX) प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के लिए जिन स्थानों पर नियमित आवास उपलब्ध नहीं है, वहां पर्याप्त तम्बू आवास की व्यवस्था करने के लिए 6.63 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(X) राज्य के मैदानी जिलों में नियुक्त असैनिक पुलिस और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के सभी कांस्टेवलों , हेड-कांस्टेबलों के लिए ऊनी पेंट खरीदने के आदेश दे दिये गये हैं।

(XI) अपराध अनुसंधान ब्यूरो और आसूचना विभाग के निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों को 1,500 रुपये अथवा मोटर-साइकिल की लागत का 40 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान करने की सुविधा दे दी गई है।

'प्रभात' चित्र के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध की मांग

*60. **श्री मूल चन्द डागाः**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवालाः

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संस्थाओं, नेताओं, आर्य समाजियों, सनातनधर्मियों ने 'प्रभात' चित्र में राम और सीता के चरित्र को वीभत्स रूप से प्रस्तुत करने पर अत्यधिक रोष प्रकट करते हुए उस के प्रदर्शन पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब की गई थी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) 8 जून, 1973 को पहली शिकायत मिलने के तुरन्त बाद ही फिल्म देखी गई । इससे पहले कि कोई कार्रवाई की जाती, निर्माता ने स्वयं ही 17 जून, 1973 को सिनेमाघरों से यह फिल्म हटाली और इसके मुख्य पात्रों के नाम रामू और सीता से बदल कर क्रमशः रमेश और सरिता कर दिये।

Conference of All India Muslim League held in Jaipur

402. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development** to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent Conference of All-India Muslim League held in Jaipur (Rajasthan) in which a scheme to make effective the activities of Muslim League in the areas adjoining Pakistan borders has been chalked out; and

(b) whether Government propose to declare Muslim League as unlawful organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) and (b) Government have seen reports appearing in the press about the Conference of Muslim League held in Jaipur on 22nd May, 1973. Details are awaited from the Government of Rajasthan.

Nationalization of Sick Textile Mills

402. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2398 on the 7th March, 1973 regarding the sick textile mills taken over by Government and state the number of sick textile mills proposed to be nationalised ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : It is proposed to nationalise 103 textile undertakings, the management of which has been takenover by Government under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972.

नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये केरल सरकार की योजना

403. **श्री वयालर रवीः** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्रीय सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) योजना को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि नारियल जटा उद्योग के लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ग) केरल सरकार, योजना आयोग तथा (नारियल जटा), उद्योग सम्बन्धी भारत सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय पिछले कुछ समय से केरल राज्य में नारियल जटा (कयर) उद्योग को सशक्त बनाने पर विचार कर रहा है। विस्तृत विचार विमर्श के फलस्वरूप भारत सरकार ने हाल ही में इस प्रयोजन के लिए एक योजना की स्वीकृति दी है जिसके द्वारा केरल में इस उद्योग के प्रशासनिक, वित्तीय, और विनियमनकारी पहलुओं को शक्तिशाली बनाने का विचार है । यह योजना केरल सरकार को बता दी गई है जिसने इसे कार्यान्वित करना भी शुरू कर दिया है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादों का निर्यात

404. **श्री वयालार रविः** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा उत्पादों का अन्य देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात करने सम्बंधी कोई योजना प्रारम्भ करने का है

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्य-वाही की गई है ; और

(ग) इस कार्य के लिए किन-किन देशों के साथ समझौते हो चुके हैं और समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख) इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप , दक्षिणी अमरीका एवं आस्ट्रेलिया के 50 देशों को रेडियो-आइसोटोप एवं उपकरण निर्यात किए जाते हैं । अब तक लगभग 20 लाख रुपये का माल निर्यात किया जा चुका है । इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में चल रहा एक सरकारी उपक्रम है, प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य की विरल मृत्तिकाओं एवं अनु-सूचित खनिजों का निर्यात करता है । निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करने की योजनायें कम्पनी द्वारा बनाई जा रही हैं । परमाणु ऊर्जा विभाग का एक अन्य सरकारी उपक्रम इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस विभाग का विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग परमाणु बिजली-घरों के लिए आवश्यक संघटकों एवं प्रणालियों में रुचि रखने वाले कुछ देशों को ऐसे माल का निर्यात करने की सम्भावना का अध्ययन संयुक्त रूप से कर रहे हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा के उत्पादों के निर्यात के लिए अभी तक किसी भी देश के साथ कोई करार नहीं किया गया है तथा विभिन्न देशों के ऐसे माल के प्रयोक्ताओं से प्राप्त होने वाले विशिष्ट आर्डरों के आधार पर उत्पादों की सप्लाई की जाती है।

आकाशवाणी द्वारा अपने कार्यक्रमों में और अधिक विविधता तथा मनोरंजन की व्यवस्था करना

405. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने और अधिक विविधता लाने तथा मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए हाल ही में कुछ नए कार्यक्रम प्रारम्भ किए है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण नए कार्यक्रम, जो आकाशवाणी ने हाल ही में आरम्भ किये हैं, इस प्रकार हैं :-]

(1) लोक और प्रादेशिक संगीन का अखिल भारतीय कार्यक्रम जो हर महीने के पहले वृहस्पतिवार को प्रसारित किया जाता है।

(2) अखिल भारतीय खैलकूद सेवा जो सायंकाल 4-15 बजे से 5-50 बजे तक दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता केन्द्रों से प्रतिदिन प्रसारित की जाती है।

(3) हिन्दी क्षेत्रों के 15 केन्द्रों से रेडियो नाटकों की श्रृंखला।

(4) प्रादेशिक भाषाओं की फीचर फिल्मों पर आधारित दिल्ली टेलीविजन केन्द्र से 'चित्रहार' कार्यक्रम।

(5) दिल्ली टेलीविजन केन्द्र से महीने में एक बार उर्दू में टेलीविजन पत्रिका कार्यक्रम।

(6) 'पर्सपैक्टिव' शीर्षक के अन्तर्गत टेलीविजन पर अंग्रेजी में सामयिक मामलों पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम।

(7) 'फूल खिले हैं गुलशन गुलशन' शीर्षक के अन्तर्गत बम्बई टेलीविजन केन्द्र से एक विविध कार्यक्रम।

(8) उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, विविध भारती सेवा के अन्तर्गत प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भी नवीनताओं का श्रीगणेश किया गया है ।

समाचार पत्रों को डाक सुविधा

406. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के लिए डाक सुविधा संबंधी नियमों में जुलाई, 1973 मास में कोई ढील की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) जी नहीं। अलबता, समाचार पत्रों के पंजीकरण से संबंधित नियमों में जून, 1973 में कुछ संशोधन किए गए थे। ये संशोधन इस प्रकार है :—

(i) समाचार पत्रों के पंजीकरण के अधिकार डाक डिवीजनों के अधीक्षकों वरिष्ठ अधीक्षकों को सौंपना

(ii) समाचार पत्रों के असली ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करने और बाद में उनकी जांच करने की पद्धति हटा दी गई है। ये संशोधन इसलिए आवश्यक समझे गए कि समाचार पत्रों के पंजीकरण में कोई विलम्ब या परेशानी न हो।

शासकीय भेद अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजी के एक दैनिक समाचार-पत्र के संवाददाता पर मुकदमा

407. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई स्थानों से प्रकाशित होत वाले अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के किसी संवाददाता के विरुद्ध जुलाई, 1973 में शासकीय भेद अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असमानताओं को घटाने और निम्नतम श्रेणी के लोगों के खपत-स्तर को बढ़ाने की योजना

408. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असमानताओं को घटाने और जनसंख्या के निम्नतम स्तर के 30 प्रतिशत लोगों के खपत-स्तर को बढ़ाने और जनसंख्या के ऊपरी स्तर के लोगों के लोगों के खपत-स्तर को घटाने संबंधी नीतियों और उपायों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनधारिया) : (क) और (ख) समाज के सबसे ऊंचे वर्ग से लेकर जनसंख्या के सबसे निचले 30 प्रतिशत वर्ग तक असमानताएं घटाने तथा उपभोग व्यय के पुनर्वितरण के लिए विस्तृत नीतियां तथा उपाय तैयार किये जा रहे हैं। इसके परिणामों को, तैयार किए जा रहे पांचवीं योजना प्रारूप में समावेश किया जाएगा।

राजस्थान के औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र

409. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए अनेक औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन आवेदन पत्रों की संख्या क्या हैं और वे किन-किन उद्योग के संबंध में है ; और

(ग) सरकार के पास आवेदन-पत्रों के रुके रहने के क्या कारण हैं और क्या औद्योगिक प्रगति की धीमी गति को देखते हुए सरकार उक्त आवेदन पत्रों का निपटारा शीघ्रता से करने पर विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) राजस्थान में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए 31-12-72 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों में से केवल 57 आवेदन पत्र एक साथ 73 तक विचाराधीन हैं। ये आवेदन-पत्र मुख्यतः धातु कार्मिक, विद्युत उपकरण, दूर संचार औद्योगिक मशीनरी, रसायन, खाद्य परिष्करण, वस्त्र तथा सीमेंट एवं जिप्सम उत्पाद उद्योगों से संबंधित हैं ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए बहुत से प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों के विभिन्न पक्षों की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होती है और उनके निपटान में अनेक कारणों से देरी होती है। कभी-कभी आवेदन-पत्रों में पहली बार पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और अतिरिक्त जानकारी मंगानी पडती है। फिर भी सरकार अनिर्णीत आवेदन-पत्रों का शीघ्र से निपटान करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है ।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश में हरिजनों की हत्या के मामले

410. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश में हरिजनों की हत्या के कितने मामले सूचित किए गए हैं और सरकार द्वारा कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई है ;

(ख) मृतकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में हुई प्रगति

411. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रुप दिये जाने के कार्य में अब तक पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है ; और सरकार को कम से कम एक वर्ष के लिए योजना का क्रियान्वयन रोकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ; और

(ख) क्या योजना परिव्यय में कटौती की जा रही है और कठिन संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट प्रस्तावों में भारी कटौती की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से उनके पांचवीं योजना के प्रस्तावों के बारे में विचार विमर्श अभी हाल में ही आरंभ हुआ है । अतः अभी केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के परिव्ययों के बारे में ठीक ठीक बताना संभव नहीं ।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वृद्धि-दर

412. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया राशि की वृद्धि-दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) प्रत्येक राज्य में बकाया राशि की तत्संबंधी वसूली की दर क्या है और बकाया राशि की धीमी गति से वसूल होने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी संगठनों पर बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और क्या उनके बारे में वसूली की दर प्राइवेट कनेक्शनों की ही भांति है और यदि हां, तो धीमी गति से वसूली होने के क्या कारण हैं ।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) टेलीफोन बिलों की बकाया रकम से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :—

नीचे लिखी तारीख को	करोड़ रुपयों में
1–4–71	5.56
1–4–72	6.52
1–4–73	6.65

(ख), (ग) और (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है । इसे बाद में सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मैसूर में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों के लिए मकानों की व्यवस्था करने की योजना

413. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में अनुसूचित जातिय और अनुसूचित जनजातीय आवास निगम के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मकान देने की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) मैसूर सरकार से ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही, सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे ।

ंजारों तथा अन्य जनजातियों के लिए अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्तांव

414. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां और अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियां ही केवल ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनके संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंजारों तथा अन्य जनजातियों के संबंध में अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का है, जो इस 'समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में भी सम्मिलित हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने का प्रस्ताव

415. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रपति के आदेश की उद्घोषणा के द्वारा "जनजातीय क्षेत्र" घोषित करवाने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाएं उन क्षेत्रों को भी दी जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में विदर्भ के किसी क्षत्र को "जनजाति क्षेत्र" धोषित करके महाराष्ट्र में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की सूची में कुछ समुदाय से के संबंध में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि उन्हें विदर्भ क्षेत्र में भी सूचीबद्ध किया जा सके। अनु-सूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सूची के संशोधन के सामान्य प्रश्न के साथ यह मामला विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में न्यायालयों में उर्दू का प्रयोग

416. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में न्यायालयों में उर्दू के प्रयोग के कारण कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिए प्लाट

417. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में तीसरी तथा चौथी योजना अवधि में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिए कितने प्लाट दिए गये ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अनुसूचित जाति के भूमिहीन मजदूरों को मकान स्थल के आवंटन के लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं है। उड़ीसा सरकार के कल्याण विभाग ने राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के अन्तर्गत सामान्य रूप से अनुसूचित जातियों को निम्नलिखित मकान-स्थल प्रदान किये हैं :—

	III योजना	IV योजना
राज्य क्षेत्र	350	132
केन्द्रीय क्षेत्र	770	232

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने 1972-73 के दौरान अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को 3365 मकान-स्थल आवंटित किये हैं।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों द्वारा मकानों के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन

418. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की नानपारा तथा बहराइच तहसीलों में हरिजनों को मकानों के निर्माण के लिए कोई भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या जिले में उक्त भूमि के अधिग्रहण ,और आवंटन के ब्यौरे दिखाने वाला कोई रजिस्टर तैयार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं तथा जैसे ही उपलब्ध होंगे सभा पटल पर रखे दिये जाएंगे।

एकस्वाधिकारों के प्रयोग हेतु अदा की जाने वाली स्वामित्व की राशि निर्धारित करने के खण्ड को विदेशी सहयोग समझौतों में सम्मिलित करना

419. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :

श्री वी० मायावन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशी वस्तुओं के उत्पादन के लिए, जिनके संबंध में भारत में एकस्वाधिकार विदेशी कम्पनियों के अधिकार में हैं, विदेशी सहयोग प्राप्त करने वाली कम्पनियों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बताए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने सभी कंपनियों को यह भी परामर्श दिया है कि सहयोग संबंधी उनके सभी समझौतों में, उक्त एकास्वाधिकार के प्रवृत्त रहने तक एकस्वाधिकार के उपयोग हेतु सहयोग के लिए सदा की जाने वाली निर्धारित राशि के स्वामित्व की शर्त हो और यदि हां, तो कितनी कंपनियां इससे सहमत हुई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) हाल ही में जारी किये गये एक प्रैस नोट में सरकार ने विदेशी सहयोगियों द्वारा किए जाने वाले विदेशी सहयोग के उन करारों के विषय में जिनमें वस्तुऐं बनाने के पेटेन्ट अधिकार भारत में होते हैं, के संबंध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण किया है । सरकार के सामने ऐसे उदाहरण आये थे जिनमें केवल इस आधार पर सहयोग के करार की अवधि बढ़ाने को कहा गया था कि बनाई जाने वाली वस्तु भारत में विदेशी पक्षकारों के पेटेंन्ट के अंतर्गत आती है तथा विदेशी सहयोग की पूर्वानुमत्ति लिए बिना भारतीय पक्षकार वह वस्तु करार की अवधि समाप्त होने तक नहीं बना सकेगी । औद्योगिक उत्पादन निरन्तर अबाध रुप से बनाए रखने तथा संबंधित भारतीय पक्षकारों की किसी भी प्रकार की कठिनाई दूर करने की दृष्टि से सकार ने इस बात पर जोर दिया है कि विदेशी सहयोग करने के इच्छुक भारतीय पक्षकारों को सहयोग के करार के लिये बातचीत करते समय विशेष रुप से जांच करनी चाहिए कि क्या बनाए जाने वाली वस्तु भारत में पेटेन्ट की हुई है और यदि हां, तो उन्हें यहां सुनुश्चित करना चाहिए कि सहयोग के करार में एक धारा यह भी सम्मिलित है कि करार की अवधि के लिये पेटेन्ट की अवधि समाम्त होने तक रायल्टी का भुगतान पेटेन्ट अधिकार के प्रयोग हेतु, एक मुआवजा माना जायेगा तथा भारतीय पक्षकार सहयोग के करार की अवधि समाम्त होने पर भी कोई अतिरिक्त भुगतान किये बिना उस वस्तु का उत्पादन करने के लिये स्वतंत्र होगा । दिनांक 8 जून 1973 के प्रैस नोट की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 5177/73]

Location of Uranium Reserves in Chamoli district (Uttar Pradesh)

420. **Shri Chandulal Chandrakar :.**

Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether Government have located huge reserves of uranium in Chamoli District;

(b) if so, the quantity thereof likely to be found there; and

(c) when exploration work is due to commence ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronic, Minister of Information & Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): (a) No Sir. No huge reserves of uranium have been located so far in Chamoli district but some uranium mineralisation has been located in the Pokri-Tunji, Tunji-Dungar, Deothan-Khetarpal, and Jamwar-Ghintoli-Khali tracts.

(b) and (c) Exploration work by survey and drilling is already in progress in the area. It will be possible to assess the uranium reserves in the area only when the exploration work is completed.

बिजली फेल होने के कारण उत्पादन यूनिटों को हुई हानि

421. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में बिजली फेल होने के कारण विभिन्न उत्पादन यूनिटों को अनुमानतः कुल कितनी क्षति पहुंची ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : यद्यपि अधिकांश राज्यों ने बिजली की कमी रहने की खबर दी है। फिर भी सिर्फ बिजली की कमी के कारण उत्पादन में हुई क्षति का व्यौरे वार अनुमान लगाना संभव नहीं हुआ है। बहरहाल, कुछ विशेष उद्योगों के क्षेत्र में, मुख्यतः मझोले तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में, प्रधानतः बिजली की कमी के कारण हुई क्षतियों का अनुमानित व्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5178/73]

सरकारी वकील की नियुक्ति के मामले में विधि और न्याय मंत्री पर पक्षपात के आरोप लगाये जाने के बारे में शिकायतें

422. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विधि और न्याय मंत्री द्वारा हेग न्यायाधिकरण अथवा भारत में न्यायालयों और जांच आयोगों में सहायता करने या पेश होने के लिए अपने निकट संबंधियों को सरकारी वकीलों के रुप में नियुक्त किये जाने में पक्षपात करने के आरोपों के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) एक ज्ञापन सितम्बर 1972 में मिला था, जिसमें विधि और न्याय मंत्री के विरूद्ध इस प्रकार के आरोप थे और जिस पर, समझा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वकीलों ने हस्ताक्षर किये थे ।

(ग) विधि और न्याय मंत्री ने इन आरोपों का पूर्ण रूप से खण्डन किया । किसी प्रकार की जांच कराने की जरुरत नहीं समझी गई ।

चोर बाजारी करने वालों और जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए राज्यों को अनुदेश

423. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों से कहा था कि चोर बाजारी करने वालों और जमाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ; और क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र के निदेश को कार्यान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितने चौर बाजारी करने वालों और जमाखोरों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें क्या सज़ा दी गई ; और

(ग) क्या इन गिरफ्तारियों के परिणामस्वरूप चोर बाजारी और जमाखोरों की कमी हुई है और यदि हां, तो कहां तक ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आज के तारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

Loss of production in 1972 due to non-availability/shortage of electric power

424. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :**

Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of factories whose production was adversely affected last year as a result of the non-availability of shortage of electric power;

(b) the amount of loss suffered by them;

(c) whether Government are considering any long-term and expeditious scheme to check the recurrence of such a situation; and

(d) if so, the broad outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) to (d) Though most of the States have reported existence of power shortage, it has not been possible to assess the details of losses in production attributable solely to power shortage. Estimates of losses largely due to power shortage in respect of some industries, mainly in the Medium and large scale sector are, however, indicated in the statement attached. [Placed in Library. See No. LT 5179/73]

The Ministry of Irrigation & Power has considered the problem at regional power conferences, at which recommendations have been made both for immediate measures and for taking action during the V Plan. These generally include acceleration of work on power projects and repairing units, which may have gone out of commission on priority basis, as an immediate measure. In some cases, attempts are being made to bridge the gap by borrowing power from nearby surplus areas. The matter is also under constant review by a Cabinet Committee constituted for this purpose.

The long term measures include setting up of new projects to be commissioned in the Fifth Plan to meet the increasing power requirements of the country.

Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi

425. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :**

Shri Jagannath Mishra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether communal riots had broken out in Sadar Bazar, Delhi on the 12th June, 1973;

31 LSS/73—5.

(b) if so, the number and names of the persons arrested in this connection;

(b) whether the Police had prior information in regard to the possibility of such riots; and

(d) whether Government have made any enquiry into the communal riots and if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (d) According to the information received from Delhi Administration, a quarrel between some boys on the night of 12th June 1973 escalated into a clash between two groups in which there was heavy brick-batting, throwing of soda water bottles, fire balls and iron pieces. The police had to resort to the use of tear-gas, cane-charge and ultimately to firing to disperse the violent mobs. One person died and 55 persons, including 43 police personnel, were injured. Loss of property is estimated as Rs. 4,76,395/-. 41 persons were arrested in connection with the cases registered following this incident. The names of the persons arrested are attached. [Placed in Library. See No. LT 5180/73].

The Lt. Governor had ordered an administrative inquiry into the circumstances and causes which led to the clashes that took place during the night between 12th and 13th June, 1973. The report of the inquiry has been received by the Lt. Governor and is under examination.

टेलीविजन उद्योग का विस्तार

426. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि के दौरान टेलीविजन उद्योग के विस्तार संबंधी व्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) पांचवीं योजनावधि का उत्पादन लक्ष्य क्या है और अनुमानित मांग की इससे कहां तक पूर्ति संभव हो सकेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान आकाशवाणी टी० वी० तन्त्र की वृद्धि के लिए अपनी योजनाएं योजना आयोग के सम्मुख प्रस्तुत कर दी हैं। अन्तरिक्ष विभाग द्वारा सुझाए गये एक प्रस्ताव के आधार पर, व्यापक रूप से टेलीविजन प्रयोजनों के लिये, भारत के ऊपर एक भू-तुल्यकाली कृत्रिम उपग्रह (आई० एन० एस० ए० टी० के रूप में चर्चित) के प्रयोग से संबंध सभी पक्षों का परीक्षण करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने एक कृन्तिक बल की नियुक्ति की है, जो भूमि पर टेलीविजन केन्द्रों तथा अभिग्रहित्रों के संभव फैलाव के संबंध में, देश के पूर्व आच्छादन को सिद्धांततः तथा एक अर्थपूर्ण आच्छादन को व्यवहारतः समर्थ बनायेगा, इस कृन्तिक बल ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। पांचवीं योजना हेतु समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन की वृद्धि से सम्बद्ध व्यौरों को योजना आयोग द्वारा अब अन्तिम रूप दिया जाना है। जैसे ही यह कार्य सम्पन्न होगा, आवश्यक टी०वी० अभिग्राहित्रों की संख्याओं तथा टी० वी० घटकों के साथ-साथ इनके उत्पादन, से सम्बन्ध अन्य पक्षों को अन्तिम रूप दिया जायेगा, और उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्यवाही की जाएगी।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा जन-साधारण द्वारा खपत की अन्य वस्तुओं के वितरण विषयक समिति के सुझाव

427. श्री वेकारिया : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा जनसाधारण द्वारा खपत की अन्य वस्तुओं के वितरण विषयक समिति द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : ग्राम उपभोग की आवश्यक जिन्सों तथा वस्तुओं संबंधी समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी। समिति की सिफारिशों प्राप्त होने पर उन पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

दक्षिण-पूर्व एशिया की तुलना में भारत में टेलीफोनों की संख्या

428. श्री वेकारिया:

श्री राम भगत पासवान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की तुलना में भारत में टेलीफोनों की संख्या सबसे कम है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) भारत की जनसंख्या के अनुपात में यहां टेली-फोनों की संख्या कम जरूर है। लेकिन यह संख्या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में सबसे कम नहीं है। वर्ष 1970 के दौरान भारत में टेलीफोनों का घनत्त्व (हर 100 जन संख्या पर टेलीफोनों की संख्या) 0.2 थी जबकि अधिकतम घनत्त्व सिंगापुर में 7.9 और न्यूनतम घनत्त्व लाओस और बर्मा में 0.1 था।

(ख) इसके संभावित कारण इस प्रकार हैं :—

(1) टेलीफोनों की ज्यादा तर मांग शहरी इलाकों में है जबकि भारत की ज्यादा आबादी देहातों इलाकों में है ।

(2) साधनों की कमी की वजह से टेलीफोन सेवा की ज्यादा तर मांगें पूरी नहीं हो पाती । यदि ये मांगें पूरी हो जाती, तो टेलीफोन का इस्तेमाल बढ़ जाता और नए टेलीफोन लेने की नई मांगें आती रहती ।

(3) टेलीफोनों के घनत्व का संबंध प्रति व्यक्ति (Per capita) वास्तविक आय से है । यह आय भारत में अभी कम है । आय में यह कमी दूसरे कारणों के अतिरिक्त विशाल जनसंख्या के कारण भी है ।

(4) भारत का अर्थ व्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान नहीं ।

(ग) सरकार ने देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए एक के बाद एक लगातार पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर रही है । जैसे जैसे ये योजनाएं पूरी हो रही हैं, टेलीफोन प्रणाली में भी

वृद्धि हो रही है । पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में अर्थात् वर्ष 1951-52 में जहां टेलीफोन का घनत्व 0.05 था वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में अर्थात् वर्ष 1969-70 में यह घनत्व बढ़ कर 0.2 हो गया । आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में अर्थात् वर्ष 1974-75 में यह अनुपात 0.3 हो जायगा और वर्ष 1981-82 में यह अनुपात बढ़ कर 0.5 हो जाएगा ।

पांचवीं योजना के दौरान पर्यटन का विकास

429. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पांचवीं योजना के दौरान राज्य-वार, पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है । अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार, पर्यटन विकास के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ।

जिला हजारीबाग, बिहार में साम्प्रदायिक दंगे

430. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जिला हजारीबाग में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के वास्तविक कारण क्या हैं और उनसे उल्पमत सम्प्रदाय की कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) उन दंगों के लिए कौन-सी शक्तियों, समूह अथवा व्यक्ति उत्तरदायी थे और दोषी व्यक्तियों और इनके पीछे के तत्व के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अमरीका के कलकत्ता स्थित वाणिज्य दूतावास के कुछ अधिकारी दंगों से एक सप्ताह पूर्व हजारीवाग गये थे और वहां पर कुछ लोगों से मिले थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हजारीबाग में हुए दंगों के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 19 अप्रैल, 1973 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है । बाद में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दंगों के परिणामस्वरूप 14 व्यक्ति मारे गये थे तथा 60 व्यक्ति घायल हुए थे । 29,700 रुपये की सम्पत्ति की क्षति का अनुमान किया जाता है ।

(ग) और (घ) सरकार को "दंगे से पूर्व के सप्ताह में हजारीबाग" जाने की कोई सूचना नहीं है । किन्तु यह मालूम है कि कलकत्ता स्थित अमरीका के वाणिज्य दूतावास का अधिकारी अपने सहायक के साथ बिहार में कुछ स्थानों के दौरे पर जाने के दौरान 23 और 24 मार्च की रात्रि को हजारीबाग के सरकिट हाउस में ठहरा था । ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसके दौरे का उन दंगों के साथ संबंध था जो 12 और 17 अप्रैल के बीच हुए थे ।

भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को दिए गए निदेश

431. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भूमि सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और राज्य सरकारों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) भारत सरकार भूमि सुधारों की सेवा से तथा प्रभावशाली रीति से कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है । योजना आयोग ने राज्यों को अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए भूमि सुधारों के संबन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । मोटे तौर पर, समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इनमें विभिन्न भूमि सुधार नियमों में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न कानूनी उपाय अपनाने तथा पट्टेदारी कारिकार्ड तैयार करने और रखने के विस्तृत कार्यक्रम को प्राथमिकता देने का काम भी शामिल है । राज्य सरकारों का ध्यान अतिरिक्त भूमि शीघ्रातिशीघ्र वितरण करने के साथ-साथ निवेश और विनियोजन के रूप में सहायता देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया है । गांव, तहसील, जिला और राज्य स्तरों पर एक कुशल प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता का विशेष उल्लेख किया गया है । यह भी सुझाव दिया गया है कि भूमि सुधारों के संबन्ध में दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया जाय तथा लाभान्वित होने वाले गरीब व्यक्तियों को कानूनी मदद देने के लिए सचल भूमि सुधार अदालतें स्थापित की जाएं। भूमि सुधारों को तेजी तथा प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए इस कार्यक्रम पर जन सहयोग प्राप्त करने के काम पर जोर दिया गया है । इस उद्देश्य से ग्राम तथा खण्ड स्तर पर लाभानुभोगियों की समितियां गठित करने का सुझाव भी दिया गया है । राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करें ।

राज्य सरकारों से उनकी ोजनाओं के प्रारूप अभी प्राप्त होने हैं ।

उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस द्वारा विद्रोह

432. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय सशस्त्र में पुलिस विद्रोह के कारणों और उसके पीछे छिपे तत्वों का पता लगा लिया गया है और उत्तरदायित्व नियत कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या पुलिस एम्पलाइज़ एसोसियेशन ऑफ उत्तर प्रदेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका औचित्य त । वांछनीयता क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) कुछ असंतुष्ट तत्वों ने पुलिस कर्मचारियों में उनके वेतन-मानों, सेवा की शर्तों, आवास तथा अन्य सुविधाओं के मामलों में असंपोष पैदा किया। उन्होंने "पुलिस कर्मचारी परिषद्" नाम से एक संघ बनाया जिसको मान्यता नहीं दीगई थी। परिषद् ने ी० ए० सी० समेत उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को अनुशासनहीनता के अनेक कार्य करने के लिए उकसाया जिससे उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर सेना तथा उत्तर प्रदेश पी० ए० सी० में सशस्त्र संघर्ष हुआ।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई पुलिस कर्मचारी संघ नहीं है। किन्तु उपरोक्त "राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्" को उसकी अवैध गतिविधियों के कारण भारत रक्षा नियमों के नियम 33 के अन्तर्गत लाया गया है। मामला निर्णयाधीन है।

राज्यों में विकास योजना

433. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने राज्यों में विकास के लिए योजना आयोग को अपनी योजनाएं भेज दी हैं;

(ख) क्या सरकार ने विकास कार्य के लिए कोई विशेष कक्ष (सेल) स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) प्रश्न अस्पष्ट है। विकास से सम्बद्ध पांचवीं योजना प्रस्तावों के प्रारूप अभी तक 8 राज्यों, यानी, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ख) योजना आयोग में प्रस्तावों के प्रारूप की जांच करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम प्रशासन प्रभाग की है। यह काम वह विषय से संबन्धित प्रभागों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से सलाह मशवरा कर सकता है। राज्यस्तर पर, योजना तैयार करने और योजना लागू करने का काम राज्य आयोजन विभागों द्वारा देखा जाता है। हाल में, कई राज्यों में आयोजन मण्डलों का गठन किया जा चुका है और योजना आयोग की सलाह तथा वित्तीय सहायता से राज्य आयोजन विभागों को तकनीकी कर्मचारियों से सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की योजना आयोग तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जांच की जा रही है। बाद में, प्रत्येक राज्य की योजना की विषयवस्तु और आकार को अंतिम रूप देने से पूर्व इनके बारे में सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों से विचार-विमर्श किया जायेगा।

शाहदरा में हुए झगड़ों के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन

434. **श्री बक्शी नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा के झगड़ों के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है?

यदि हां तो ״ का वचार व्यक्त किये गये हैं तथा क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) इस संबन्ध में सरका ा यदि कोई कार्यवाही की जा रही हैं, तो वह क्या है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) : जांच आयोग ने, जिसे घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट परीक्षाधीन है।

दिल्ली में '58'—एक्सचेंज के खराब टेलीफोन

435. **श्री बक्शी नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1973 के "टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में "58" एक्सचेंज के लगभग 2500 टेलीफोन खराब हैं;

(ख) क्या सरकार ने टेलीफोन विभाग की ऐसी निन्दात्मक स्थिति के बारे में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस मामले की विस्तार से जांच की गई थी। जांच से पता चला कि जिन टेलीफोनों के बारे में यह रिपोर्ट की गई थी कि वे काम नहीं कर रहे थे उनकी संख्या सही नहीं है। 58 एक्सचेंज में सुधार काम चल रहा है। इस कारण शुरू में इस एक्सचेंज के 540 टेलीफोनों की डायल टोन खराब हो गई थी। इन टेलीफोनों को यथासंभव शीघ्र ठीक करने के लिए कदम उठाए गए थे।

राज्यों से टेलीफोन बिलों की बकाया राशि वसूल किया जाना

436. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 तथा 1972 में, पृथक-पृथक, टेलीफोन बिलों की कुल बकाया राशि कितनी है;

(ख) क्या बकाया की राशि 6.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और राज्यों से टेलीफोन बिलों की बकाया राशि वसूली करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):

(क) नीचे लखी तारीख को	करोड़ पयों में
1-4-71	5.56
1-4-72	6.52

(ख) (i) बकाया रकम 6 करोड़ 50 लाख रुपयों तक पहुंच गई है ।

(ii) राज्य सरकारों से प्राप्य रकम की वसूली से संबन्धित संपूर्ण स्थिति में सुधार हो रहा है ।

(ग) ऊपर (ख) (i) में दिए गए उत्तर के संबन्ध में यह सूचित करना है कि स्थानीय और ट्रंक दोनों प्रकार की टेलीफोन सेवाओं के बिल टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करने के बाद ही जारी किए जाते हैं । सिर्फ टेलीफोन किराए के बिल अग्रिम जारी किए जाते है । इसलिए जब भी किसी समय हम देखेंगे तो कुछ बिल ऐसे अवश्य पाए जाएंगे जिनकी अदायगी नहीं की गई होगी । बकाया रकम की वसूली के लए प्रस्तावित उटाए जाने वाले कदमों का जहां तक संबन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि बकाया रकम की वसूली का कार्य लगातार चलता रहता है और प्रक्रिया में समय लगता है । रकम की वसूली के लिए शुरू में उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर याद दिलाया जाता है और जो टेलीफोन उपभोक्ता बिलों की रकम जमा नहीं कराते उनके टेलीफोन काट दिए जाते हैं । इसके बाद उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जाता है और लिखा-पढ़ी भी की जाती है । आखिर में जिन मामलों में जरूरी समझा जाता है, उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

कानूनी कार्यवाही से सिर्फ प्राइवेट उपभोक्ताओं के मामले में ही संभव है और ऐसे मामलों में वास्तव में यह सुनिश्चित करना होता है कि बकाया रकम की वसूली की पर्याप्त संभावनाएं है । तथापि, डाक-तार विभाग ने बकाया रकम को कम करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी ज ा ी ।

जम्मू और काश्मीर राज्य में टेलीविजन का असन्तोषजनक कार्य

437. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री वी० मायाथन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य में लगाया गया टेलीविज़न प्रतिदिन न ीं चलता है ·

(ख) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में स्थानीय कार्यक्रमों की अपेक्षा पाकिस्तानी कार्यक्रम आस नी से देखे जा रहे हैं · और

(ग) सरकार का इस संबन्ध में क्या कदम उटाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) श्रीनगर टेलीविज़न केन्द्र अब प्रतिदिन सायं 6.30 बजे से रात्रि 10.30 तक, चार घंटे चल रहा है। सके अतिरिक्त हर रविवार को अपरान्ह में दो घंटे का कार्यक्रम भी देता है ।

(ख) पाकिस्तानी कार्यक्रम काश्मीर की घाटी के कुछ भागों में दिखाई देते हैं परन्तु सिगनल की शक्ति तथा इनके दिखाई देने का स्तर बहुत से स्थानों में ठीक नहीं है ।

(ग) टेलीबिज़न टावर अभी तक मुकम्मल न होने के कारण, श्रीनगर टेलीविज़न केन्द्र के कार्यक्रम अभी कुछ सीमित क्षेत्रों में ही देखे जा सकते हैं । टावर को शीघ्र मुकम्मल करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि केन्द्र पूरी शक्ति से कार्य कर सके ।

'बुक ग्रांफ नालिज' के कारण श्रीनगर में गड़बड़ी

438. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में जो गड़बड़ी हुई उसकी योजना पहले से बनी हुई थी ग्रौर उसमें पाकिस्तान एजेन्टों का हाथ था;

(ख) यदि हां, तो क्या गड़बड़ी 'बुक ग्रांफ नालिज' के कारण हुई जो 1911 में प्रकाशित हुई थी; ग्रौर

(ग) इस पुस्तक के प्रकाशित होने के 62 वर्ष बाद इस पर रोक लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) ग्रब तक ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तथा (ग): ग्रार्थर मी की 'बुक ग्रांफ नालिज' बाल विश्वकोष में कुछ ग्राप त्तजनक भागों पर जम्मू ग्रौर कश्मीर में ग्रान्दोलन हुग्रा था। संभावित प्रतिक्रियाग्रों को रोकने ग्रौर लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाग्रों के संरक्षण के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार ने भारत रक्षा नियम, 1971 के संबद्ध उपबन्धों के ग्रन्तर्गत पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया। भारत सरकार ने दूसरी राज्य सरकारों ग्रौर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का ध्यान जम्मू व कश्मीर राज्य की ग्रधिसूचना की ग्रोर ग्राकर्षित किया है ।

पांचवीं योजना के प्रारूप सम्बन्धी कार्य का मन्द पड़ जाना

439. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना ग्रायोग में पांचवीं योजना के प्रारूप का कार्य मन्द पड़ गया है ग्रौर राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को ग्रपनी योजनायें तथा कार्यक्रम ग्रभी प्रस्तुत करने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना ग्रायोग को किसी भी राज्य ने ग्रपना योजना प्रारूप निश्चिय समय में नहीं भेजा है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ग्रौर योजना ग्रायोग द्वारा इस संबन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग): केन्द्रीय मंत्रालयों तथा बहुत-सी राज्य सरकारों ने ग्रपनी योजनाग्रों के प्रारूप पहले ही भेज रखे हैं । ग्राजकल राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से, स उद्देश्य क लि ाये गये कार्यक्रम के ग्रनुसार विचार-विमर्श चल रहा है । विचार-विमर्श कार्यक्रम के ग्रनुसार पूरा हो जाने की ग्राशा है ।

पांचवीं योजना के दौरान बड़े शहरों के लिए बृहत योजनाएं तैयार करने तथा लागू करने के लिए राज्यों में विकास प्राधिकरण की स्थापना

440. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे पांचवीं योजना के दौरान बड़े शहरों के लिए ब्रहुत योजनाएं तैयार करने एवं लागू करने के लिए विकास प्राधिकरणों की स्थापना करें;

(ख) यदि हां, तो क्या नगरीय कार्यक्रमों आवास, पानी की सप्लाई तथा सफाई के आयोजना के लिए भी राज्यों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों की उनकी पांचवीं योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए जारी किए गए थे । अन्य बातों के साथ-साथ उनमें योजनाओं को क्रियान्वित और लागू करने के लिए विकास प्राधिकरणों की स्थापना का सुझाव भी शामिल था। इस प्रस्ताव पर, राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया न तो मांगी ही गई थी और न ही उनसे प्राप्त हुई है।

1973-74 के विशेष रोज़गार कार्यक्रमों के लिए धनराशि का नियतन

441. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1973-74 के विभिन्न विशेष रोज़गार कार्यक्रमों के लिए कोई धनराशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) उनकी 'क्रियान्विति किस सीमा तक सफल हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5181/73]

'पाकिस्तानी रेंजर्स' के साथ भिड़न्त होने के कारण सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु

442. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मई, 1973 को फिरोज़पुर सेक्टर के जलालाबाद क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल तथा 'पाकिस्तानी रेंजर्स' के बीच गोली चलने की घटना में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई घुसपैठिये गिरफ्तार किये गये है ; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से कोई हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) सीमा सुरक्षा बल द्वारा दो 303 की राइफलों और 107 चालू राउंडों समेत पाकिस्तानी रेंजर के दो सिपाही पकड़े गये थे ।

प्रधान मंत्री के निवास स्थान में जबरन घुसने वाले जगोता बन्धुओं के मामले की जांच

443. **श्री विक्रम महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के निवास स्थान में जबरन घुसने वाले जगोता बन्धुओं के मामले की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर नियुक्त पुलिस सुरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जगोता भाइयों में से एक अर्थात् श्री नरोत्तम लाल जगोता पर राजकीय रहस्य अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत अपराध के लिए न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । अन्य दो जगोता भाईयों और उनकी बहन को इस मुकदमे में 6-7-73 को मुक्त कर दिया गया है ।

सभी तीनों जगोता भाइयों और उनकी बहन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448-452/353/332/427/34 के अन्तर्गत न्यायालय में अतिक्रमण का मुकदमा भी विचारण के लिए निलम्बित पड़ा है ।

(ग) इस विषय में आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

भरी हुई बन्दूक लेकर प्रधान मंत्री के निवास स्थान में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की कार्यवाही

444. **श्री विक्रम महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस बन्दूकधारी के मामले में जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है जिसने भरी हुई बन्दूक लेकर प्रधान मंत्री के निवास स्थान में प्रवेश करना चाहा था ;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर तैनात पुलिस सुरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) ऐसा कोई मामला नहीं आ है जिसमें किसी बन्दूक धारी ने भरी हुई बन्दूक लेकर प्रधान मंत्री के निवास स्थान में प्रवेश करने का प्रयत्न किया हो। किन्तु जिला छपरा, बिहार के एक व्यक्ति कंचन सिंह उर्फ राजा गांधी आत्मज श्री चिलार सिंह नामक व्यक्ति को बिना उपयुक्त लाइसेंस की बन्दूक रखने के आरोप में 2 मार्च, 1973 को प्रधान मंत्री के निवास के बाहर गिरफ्तार किया गया था। श्री कंचन सिंह के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में एक मामला चलाया गया है।

(ग) क्योंकि घटना के संबन्ध में कोई सुरक्षा पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया था इसलिए ऐसे किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय संसाधन निर्धारित करने हेतु गठित किए गए कार्यकारी दल वर्किंग ग्रुप का प्रतिवेदन

445. **श्री कृष्ण अग्रवाल :**

ी ० ० जाफर शरीफ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय संसाधन निर्धारित करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यवाही दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या दल के द्वारा की गई सिफारिशों को योजना प्रारूप में सम्मिलित कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) पांचवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का पुनर्निर्धारण करने के लिए अप्रैल, 1973 में पांचवीं योजना के लिए संसाधन कार्यकारी दल का गठन किया गया था। आशा है कि यह दल अपनी रिपोर्ट को दो से तीन सप्ताहों के अन्दर अंतिम रूप देकर योजना आयोग को प्रस्तुत कर देगा।

(ख) इस समय पांचवीं योजना दस्तावेज का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उसमें दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा।

राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्जीवित करना

446. **नरेन्द्र सिंह :**

श्री स० ए० मुरुगनन्तम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता परिषद् को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर पुनर्जीवित करने तथा पुनः गतिशील बनाने के लिये कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में बिलम्ब से कदम उठाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता परिषद की भावी भूमिका, कार्य तथा उन रूप रेखाओं के संबन्ध में जिन पर इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, विचार करने के लिये प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में शीघ्र एक कर्ण-धार समिति स्थापित की जानी है।

कोलगेट पामग्रोलिव (इण्डिया) लिमिटेड

447. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामग्रोलिव (इण्डिया) लिमिटेड शत प्रतिशत अमरीकी स्वामित्व की कम्पनी है और उनका श्रृंगार सामग्री (कास्मेटिक एण्ड टायलेट) के उत्पादन तथा वितरण पर एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के उत्पादों के नाम क्या हैं, 1965 और 1971 में उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या रही और कम्पनी ने इन वर्षों में वास्तव में कितना उत्पादन किया ;

(ग) क्या कम्पनी को अपनी समपूंजी में फेरबदल किए बिना 1965 और 1971 के बीच पर्याप्त विस्तार की अनुमति दी गई थी ;

(घ) क्या यह विस्तार भी अत्याधिक आधुनिक मशीनों के आयात द्वारा किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विदेशी कम्पनी को पर्याप्त विस्तार की अनुमति किस आधार पर दी गई थी और इस क्षेत्र के लघु उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) मै० कोलगेट पामग्रोलिव (इण्डिया) लि० में कोलगेट पामग्रोलिव इन्टरनेशनल, यू० एस० ए० की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी है तथा श्रृंगार सामग्री और प्रसाधनों के उत्पादन और वितरण में लगे एककों में यह एक प्रमुख एकक है।

(ख) उत्पादों के नामों, वास्तविक उत्पादन आदि के विषय में जानकारी नीचे दी जा रही है:—

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	तीन पाली की अधिष्ठापित क्षमता जैसे फरवरी 66 में थी	वास्तविक उत्पादन 1965	1971 में
1.	टूथ पाउडर	816.48 टन	219.672 टन	727 टन
2.	टूथ पेस्ट	1387.98 टन	1537.409 टन	2858 टन
3.	फेस-क्रीम और स्नो	244.944 टन	37.705 टन	78 टन
4.	पाउडर-टेल्कम और फेस	2367.96 टन	1094.601 टन	783 टन
5.	आयल और सम्पू	2841.336 टन	1262.424 टन	1735 टन
6.	दूसरी जरूरतें	9 लाख दर्जन	147128 दर्जन	285865 दर्जन

(ग), (घ) और (ङ) टूथपेस्ट के उत्पादन में पर्याप्त विस्तार करने के लिये लाइसेंस हेतु दिये गये आवेदन के संदर्भ में कम्पनी को जुलाई 66 बताया गया था कि सरकार को 15.50 लाख किलो

ग्राम अर्थात 1550 मी० टन की अधिक उत्पादन क्षमता पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उक्त वस्तुओं के तीन पालियों के आधार पर उत्पादन करने के लिये न तो अतिरिक्त पूंजीगत उपकरण लगाने की आवश्यकता है और न ही कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

उस समय लागू नीति के अनुसार कम्पनी को पर्याप्त विस्तार के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

टूथ पेस्ट का उत्पादन इस समय लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित कर दिया गया है।

जिन मामलों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है उनमें यह शर्त लगी समझी जाती है कि विदेशी नाम देश के भीतर बिक्री की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसी भांति उन एककों को जो लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन पर पर्याप्त निर्यात करने का दायित्व लगाया गया है।

Development of Pali District in Rajasthan

448. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4976 on the 28th March, 1973 regarding Annual Budget provision in 1973-74 for removing regional disparities and state the reasons for not declaring Pali District as backward, whereas Jodhpur, Jalore, Sirohi and other Districts were declared as backward from the industrial point of view ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : Certain criteria to be adopted as guidelines were suggested to all the States for identification of industrially backward districts to qualify for concessional finance. in the context of the statistical data relating to these criteria, the Rajasthan State Government had not proposed selection of Pali district to qualify for concessional finance.

प० बंगाल में नीलगिरि वृक्षों के वन का अखबारी कागज के लिए उपयोग करना

449. **श्री सत्य चरण बेसरा** :

श्री शंकरानारायन सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के लिए प० बंगाल में उगाया गया निलगिरि वृक्षों का वन कटाई के लिए तैयार है ;

(ख) क्या अखबारी कागज की फैक्टरी का जिसके लिए इसे उगाया गया था अभी निर्णय लिया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस नए उगाए वन का कैसे उपयोग करना चाहती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां, किन्तु यह कागज (पेपर) मिल के लिए है, अखबारी कागज़ मिल के लिये नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नए उगाए बन का उपयोग पश्चिम बंगाल के पेपर मिल द्वारा किया जायेगा।

News item entitled "cities of tomorrow"

450. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the editorial 'cities of Tomorrow' appeared in "The Hindustan Times" dated the 28th May, 1973; and

(b) if so, the salient features of Government's scheme to improve the condition of cities and the role and functions of urban Improvement Trust and Municipalities therein?

The Minister of state in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :

(a) and (b) The Editorial 'Cities of Tomorrow' in the Hindustan Times dated the 28th May, 1973 comments upon the Guidelines issued by the Planning Commission to the State Governments for the formulation of the Fifth Five Year Plan and points to the need of long term Master Plans being drawn for each city in the light of their regional requirements. It also stresses the need of avoiding multiplicity of authorities in an urban area.

The Guidelines issued by the Commission already take notice of these points. These stress upon the State Governments that the 5-Year city development plans be formulated on the basis of long-term Master Plans of cities prepared on area-wise basis. While stressing the need of establishment of Development Authorities, the Guidelines emphasize the need of clearly defining developmental functions of a development authority and functions of day to day maintenance and operation of services of municipal bodies. They also indicate the inter-relationship between the functions of State Housing Boards, Development Authorities and Improvement Trusts.

Urban development is a widely embracing subject with its many socio-economic implications and aspects. Government's objective is to arrest the process of migration particularly to large cities by balanced distribution of economic activity and urbanisation and to this end the policy is to strengthen the local Government structure to finance and implement programmes of basic infrastructure within existing and new urban areas to direct and promote urbanisation in specific directions. The Guidelines stress the need of integrated urban development programmes covering several aspects such as land acquisition and development, water supply, drainage, roads and transport, housing and slum clearance and improvement. In particular for existing cities, the Guidelines stresses the need of bringing the existing level of civic services in most of the urban areas to a reasonable level. As a partial help towards this objective, the Government of India is giving financial assistance for environmental improvement in slum areas *e.g.* water supply, drainage, pavement of streets and street lighting etc. in cities with a population 8 lakhs and above and one city in every State where no such city exists. In the Fifth Plan, it is proposed to extend this programme to cities with a population of 3 lakhs and above but final proposals will emerge after the formulation of the Fifth Plan.

Urban development and local Government is, however, essentially a State subject and Centre's role in this respect is more of guidance. As economic conditions and civic consciousness improve, local authorities and State Governments will, it is hoped, be gradually taking more and more effective action to improve the conditions of their cities.

News-item under the caption "Apradh Nagari"

451. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to editorial 'Apradh Nagari' (City of Crimes) appearing in the 'Hindustan' dated the 28th May, 1973;

(b) if so, persons responsible and action taken in this matter; and

(c) whether stringent steps are being taken by Government to check such incidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) Yes. The news-item refers to the following two cases :

(i) FIR No. 247 dated 23-5-1973 u/s 392/304/34 IPC at Police Station Tughlak Road, New Delhi.

(ii) FIR No. 326 dated 26-5-1973 u/s 392/34 IPC, Police Station Kamla Market.

(b) The accused persons in both the cases have not so far been traced despite vigorous efforts by the police.

(c) The following steps have been taken to check the recurrence of such incidents :—

(i) Regular checking of the three wheeler drivers is being carried out.

(ii) Verification of antecedents of three wheeler drivers and suspected anti-social elements is being carried out.

(iii) Strict enforcement of conditions for issue of permit issued to scooter drivers.

(iv) Queue system has been introduced at Delhi Main and New Delhi Railway Stations, according to which the auto-rickshaws are made to park in two rows in parking bays. The drivers are made to pick-up passengers on first come first serve basis, irrespective of their destination. Similar system has been adopted at the Inter-State Bus Terminus.

(v) Special raids are being conducted by the Police round the clock against the violations being committed by auto-rickshaw drivers.

Pay of I.A.S. and I.P.S. Officers in States and Central Governments

452. **Shri M. C. Daga:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the pay of I.A.S. and I.P.S. Officers serving in different States is fixed by the Central Government and if so, the reasons therefor; and

(b) whether the pay and other facilities given to those officers in State Governments are less than those given to the I.A.S. and I.P.S. officers of the Central Government and, if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs in the Department of Personel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) The All India Services Act, 1951 provides, among other things, that the Central Government may, after consultation with the Governments of the States concerned, make rules for the regulation of the conditions of service of persons appointed to an All India Service. In exercise of these powers, the Central Government, after consultation with the State Government, has made rules regulating the pay admissible to the members of the Indian Administrative Service and the members of the Indian Police Service. In the interest of uniformity, the basic scales of pay admissible to such members, whether serving in connection with the affairs of the Union or of a State, have been prescribed by the Central Government.

(b) Basic pay, in the junior time scale, the senior time scale or the Selection Grade, admissible to the members of the Indian Administrative Service and the members of the Indian Police Service, is the same, whether such members are serving in connection with the affairs of the Union or a State. Prescription of pay above the time scale of pay and special pay is on an assessment of the duties and responsibilities of the post. Grant of some allowances, such as the compensatory allowance or the travelling allowance is regulated by the order of the Government under whom the member is for the time being serving.

Smuggling of Betel Leaves to Pakistan

453. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether B.S.F. has apprehended some persons on the charge of smuggling betel leaves (pans) to Pakistan;

(b) if so, the fact thereof; and

(c) the action taken by Government against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) During the period April, 1973 to June, 1973, the B. S. F. apprehended 19 persons involved in smuggling of betel leaves across the Indo-Pak borders. In armed encounters with the B.S.F. patrols and the smugglers, 5 smugglers were shot dead.

(c) The smugglers apprehended by the B.S.F. are being proceeded against as per law.

31 LSS/73—6.

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पुनवर्गीकरण

454. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जिन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है क्या उन्हें आगे औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों की श्रेणी में रखा जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं का योगदान

455. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये की राशि व्यय करती है परन्तु इसकी 40 प्रयोगशालायें औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में बहुत ही कम योगदान करती हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में इन प्रयोगशालाओं के कार्य में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में जहां लगाये हुए धन का हिसाब लगाना सरल है, वहां उससे प्राप्त होने वाले लाभ का आर्थिक मूल्यों में अनुमान लगाने के लिए कोई विश्वसनीय पद्धति या यंत्र सुलभ नहीं है। अनुसंधान और विकास से परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। यह कहना उचित नहीं है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) ने बहुत ही कम योगदान किया है।

सी० एस० आई० आर० ने बहुत से क्रान्तिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास किया है जैसे प्रतिरक्षा संबंधी बहुत सी आवश्यकताएं, मेगनेशियम धातु, आप्टीकल कांच आदि, जिनमें प्रौद्योगिकी का आयात करना भी कठिन है। देश में प्राप्त कच्ची सामग्री का उपयोग करने के लिए सी० एस० आई० आर० ने प्रौद्योगिकी का विकास किया है तथा निर्यात पूर्ति और आयात बढ़ाने के लिए विधियों और वस्तुओं में सुधार किया है। सी० एस० आई० आर० ने बहुत से क्षेत्रों में आधारभूत प्रौद्योगिक कुशलता प्राप्त की है। जो देश की स्थाई संपत्ति है। सड़क, पुल, भवन जन-स्वास्थ्य, प्रदूषण पर किए गए सी० एस० आई० आर० के कार्य सामाजिक लाभ हैं, जिन्हें धन संबंधी आंकड़ों में प्रकट किया जा सकता। सी० एस० आई० आर० द्वारा इससे भी अधिक उत्तम कार्य किया जा सकता था यदि (अ) इसके

उद्देश्य-पत्र तथा लक्ष्यों में केवल अनुसंधान पर बल देने के बजाय डिज़ाईन, वाणिज्यक उत्पादन और विकास के समावेश का अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया गया होता, (ब) सरकारी नीति निर्धारण तथा उद्योगों के मध्य उचित सम्पर्क तैयार किए गए होते, और (स) यदि उद्योगों में अनुसंधान परिणामों को अपनाने की योग्यता होती और यदि स्वदेशी प्रौद्योगिकी की ओर उद्योगों की तत्परता अधिक होती।

यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रयोगशालाएं अनुसंधान करती हैं। अनुसंधान को उपयोगार्थ प्रौद्योगिकी में ढालने के लिए केवल अनुसंधानकर्ताओं के प्रयासों की ही जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डिज़ाईन, विकास, प्रसार, बाजार, प्रचार, क्रय तथा औद्योगिक---उद्योग-संचालन में लगे व्यक्तियों के प्रयासों की भी आवश्यकता पड़ती है।

सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए विस्तृत योगदान का विवेचन इन पुस्तिकाओं में किया गया है (अ) सी० एस० आई० आर० के 25 वर्ष, (अ) सी० एस० आई० आर० का विशेष प्रतिवेदन (1970), और (इ) साईंस ऐड्स इंडस्ट्री (1972) और अनुसंधान परिणामों के उपयोग की प्रगति निम्नलिखित सी० एस० आई० आर० के प्रकाशनों में दी गई है:--

(1)	रिसर्च फार इंडस्ट्री	1964
(2)	डैटा आन रिसर्च यूटिलाइज़ेशन . . .	1965
(3)	डेटा आन रिसर्च यूटिलाइज़ेशन	1966
(4)	डैटा आन रिसर्च यूटिलाइज़ेशन . . .	1967-68

उपरोक्त प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) सी० एस० आई० आर० की जांच समिति (सरकार समिति) ने अपने प्रतिवेदन में बहुत सी सिफारिशें की थीं जो क्रियान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकता की परियोजनाओं पर अनुसंधान और विकास में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान को सम्मिलित करने के लिए आयातित तकनीकी को सुधारने और अपनाने के लिए और देश की सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए संबंधित नवीन तकनीकों का विकास करने हेतु परिषद् के उद्देश्यों का संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रयोगशाला के क्रियान्वयन और एकीकरण, प्रयोगशाला--उद्योग तथा प्रयोगशाला--विश्वविद्यालय--उद्योग की कार्य परियोजनाओं की 6 समन्वयक परिषदें स्थापित की गई हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद---राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का समझौता अनुसंधानों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए दोहराया जा रहा है।

स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन का दिया जाना

456. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री शंकरराव सावंत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने संबंधी योजना के अन्तर्गत, राज्य वार, अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए:

(ख) राज्य-वार, स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के कितने मामलों में अब तक पेंशन देने के आदेश दिये जा चुके हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य से मिले कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों में, जिनमें यद्यपि दिया गया कारावास छः महीने से कम नहीं था परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति को पहले ही रिहा कर दिया गया था; आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जा रहा है ; और यदि हां, तो क्या योजना के पीछे जो भावना है उसको देखते हुए इन सभी मामलों पर स्वत पुनः विचार किया जायेगा।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है ।

15-7-1973 तक प्राप्त 1, 41, 278 आवेदनपत्रों में से 31-3-1973 तक 1, 28, 275 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। 31-3-1973 तक प्राप्त सभी आवेदनपत्रों की परीक्षा 14-8-1973 तक किये जाने का विचार है, अर्थात जयन्ती वर्ष के दौरान और पत्र पाये गये सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत की जायगी। 31-3-1973 के बाद प्राप्त आवेदनपत्रों की भी परीक्षा, यदि समय रहा, तो की जायगी अन्यथा 15-8-1973 के बाद होगा।

(घ) उन स्वतंत्रता सेनानियों की पात्रता के प्रश्न पर अभी निर्णय किया जाना है जो समय से पूर्व मुक्त कर दिये गये थे। इस बीच ऐसे मामले अस्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं बल्कि बाद में विचार के लिए अलग रखे जा रहे हैं।

विवरण

15-7-1973 तक राज्यवार प्राप्त, निपटाये तथा विचाराधीन आवेदनपत्रों का वितरण

राज्य	प्राप्त हुए	निपटाये गये स्वीकृत किये गये	अस्वीकृत किये गये	जोड़	विचाराधीन मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
अन्दमान व निकोबार	10	—	—	—	10
आन्ध्र प्रदेश	9744	247	1222	3701	6043
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
असम	4718	1132	327	1459	3259
बिहार	13042	6506	896	7402	5640
चंडीगढ़	139	37	12	49	90

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	2371	1058	160	1218	1153
गोवा	1153	183	262	445	708
गुजरात	4387	1300	990	2290	2097
हरियाणा	3971	705	154	859	3112
हिमाचल प्रदेश	1460	131	17	148	1312
जम्मू और कश्मीर	1059	103	61	164	895
केरल	5159	744	1200	1944	3215
मध्य प्रदेश	5083	1729	1542	3271	1812
महाराष्ट्र	12909	6816	1824	8640	4269
मणीपुर	295	34	2	36	259
मेघायल	102	30	9	39	63
मिजोराम	2	2	—	2	—
मैसूर	9799	2225	621	2846	6953
नागलैण्ड	2	—	—	—	2
उड़ीसा	5570	1813	1306	3119	2451
पांडिचेरी	422	147	121	268	154
पंजाब	11456	2708	126	2834	8622
राजस्थान	1801	272	186	458	1343
तमिलनाडु	10367	2141	985	3126	7241
त्रिपुरा	928	83	3	86	842
उत्तर प्रदेश	20145	9747	2262	12009	8136
पश्चिम बंगाल	15184	4980	768	5748	9436
जोड़ :	141278	47105	15056	62161	79117

सीमेंट की सप्लाई में कदाचार के विरुद्ध शिकायतें

457. **श्री जी० टी० गोट** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट की सप्लाई के मामले में गंभीर कदाचारों से अवगत है ;

(ख) क्या किसी सीमेंट कम्पनी द्वारा सीमेंट की सप्लाई के लिए ली गई "ऊपरी राशि" (आनमानी) के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ग) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(घ) इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) सीमेंट की सप्लाई के बारे में कदाचार की कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) : जी, हां। शिकायत यह की गई थी कि कोई उत्पादक अपने स्टाकिस्टों से सीमेंट के संस्करण पर प्रति बोरी कुछ फालतू दाम ले रहा था। इसकी जांच की जा रही है।

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार सीमेंट एक आवश्रक वस्तु है तथा राज्य सरकारों को असामाजिक तत्वों से निपटने के लिये आवश्यक शक्तियां दे दी गई हैं। विशेष शिकायतों की जब भी सूचना मिलती है, पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये जांच की जाती है।

फिल्म उद्योग का विकास

458. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग के स्वस्थ्य विकास और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की भलाई के लिए एक विस्तृत नीति बनाने के लिए कार्यवाही का व्यौरा तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार समूचे फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास के लिए एक फिल्म परिषद् तथा सार्वजनिक क्षेत्र में एक बहुमुखी राष्ट्रीय फिल्म निगम के माध्यम से अनेक कदम उठा रही है। फिल्म उद्योग के कर्मचारियों की कार्य शर्तों के बारे में एक केन्द्रीय कानून बनाने का भी प्रस्ताव है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक प्रत्याशियों के साक्षात्कार का बन्द किया जाना

459. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**

श्री वीर भद्र सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक प्रत्याशियों का साक्षात्कार करना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) संघ लोक सेवा आयोग ने भारत सरकार के अधीन श्रेणी-I तथा II पदों/सेवाओं पर भारत में नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों का पिछले दिनों में साक्षात्कार किया था। वह पद्धति (स्कीम) जिसके

अधीन संघ लोक सेवा आयोग विदेशों में ऐसे साक्षात्कारों को आयोजित कर रहा था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। इस संदर्भ में दिनांक 1 मार्च, 1973 को सदन के पटल पर रखी गई संघ लोक सेवा आयोग की वाईसवीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 24 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भारत तथा बुलगारिया की संयुक्त अनुसंधान तथा विकास योजना

460. **श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तथा बुलगारिया की कुछ चुनें हुए क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान तथा विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है?

औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में भारत और बुलगारिया के संस्थानों का पारस्परिक सहयोग पहले से ही स्थापित है। अभी तक कोई संयुक्त अनुसंधान और विकास की योजना नहीं बनायी गयी है। परन्तु सहयोग सम्बन्धी नये क्षेत्रों की गवेषणा निरन्तर की जा रही है।

मिजो विद्रोहियों की समस्या को हल करने के लिये भारत, वर्मा और बंगला देश के बीच सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान

461. **श्री राज भान सिंह देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्मा और बंगला देश से छिपे मिजों के भारत में घुसने की समस्या को हल करने के उपायों के बारे में भारत वर्मा और बंगलादेश के बीच जानकारी और विचारों का आदान-प्रदान हुआ है;

(ख) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि छिपे मिजो ने मिजोरम में अपनी गतिविधियां पुनः शुरू कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में भारत सरकार द्वारा यदि कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत, बर्मा तथा बंगला देश के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण हैं तथा भारत सरकार समान हितों के मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए सतत् प्रयत्न करती है।

(ख) हाल के महीनों में मिजो विद्रोहियों की अवैध गतिविधियों में तेजी आई है।

(ग) चालू वर्ष में प्रथम छः महीनों के दौरान 52 हिंसात्मक घटनाओं की रिपोर्ट दी गई थी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 27 मामले हुए थे। मिजोराम सरकार ने प्रशासनिक केन्द्रों व आसूचना व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और अतिरिक्त पुलिस चौकियां स्थापित की हैं। ऐसी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय किये जा रहे हैं तथा सतत् सतर्कता बरती जा रही है।

फिल्म सैन्सर बोर्ड का पुनर्गठन

462. **श्री वसन्त साठे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म सैन्सर बोर्ड का पुनर्गठन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था में हैं; और

(ग) सैन्सर बोर्ड को यथा रूप देने तथा उसको सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) से (ग) : जी, हां। फिल्म सेन्सर सम्बन्धी जांच समिति की फिल्म सेन्सर बोर्ड के पुनर्गठन तथा प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं से संबंधित सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त एक विधेयक तैयार किया गया है। इसको शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है। नई व्यवस्थाओं को विधेयक पारित होने के उपरान्त कार्य-रूप दिया जायेगा।

जन साधारण पर रेडियो का प्रभाव और रेडियो कार्यक्रम का मूल्यांकन के बारे में किये गये अध्ययन के निष्कर्ष

463. **श्री वसन्त साठे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कि भविष्य में हमें किस प्रकार के रेडियो कार्यक्रम बनाने चाहिये, जनसाधारण पर रेडियो के प्रभाव, रेडियो कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा संगठनात्मक ढांचे के बारे में कोई अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) आकाशवाणी के कार्यसंचालन को अधिक स्वायत्तशासी बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे संचार अन्तर को समझने तथा उसे दूर करने के लिए प्रशिक्षण रीतिविधान सम्वन्धी शीघ्र निर्णय लेने (क्विक डिसीजन ट्रेनिंग मेथाडोलौजी) फीड बैंक सिस्टम में सुधार को सुविधा-जनक वनाया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह): (क) तथा (ख) इस प्रकार के अध्ययन एक सतत् प्रक्रिया हैं और ये विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं। ये वर्तमान आवश्यकताओं तथा भावी जरूरतों से सम्वन्धित होते हैं।

(ग) आकाशवाणी अपना प्रशिक्षण रीति विधान निर्धारित करने के लिए सक्षम है, और शीघ्र निर्णयों के लिए सक्षम अधिकारियों को और अधिकार प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन है तथा फीड बैक (feed back) पद्धति में सुधार करने के लिए श्रोता अनुसंधान संगठन को और शक्ति-शाली बनाया जा रहा है।

"स्कीम फार इन्टेग्रेटिड रूरल अपलिफ्ट अबन्डन्ड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

464. **श्री वसंत साठे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "स्कीम फार इन्टेग्रेटिड रूरल अपलिफ्ट अबन्डन्ड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योजनाओं के पुर्नविलोकन संबन्धी 'टास्क फोर्स' का प्रतिवेदन

465. **श्री वसंत साठे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में इस समय कितने कार्मिक दल (टास्क फोर्सिस) काम कर रहे हैं और वे किस मामले का पुर्नविलोकन करेंगे;

(ख) क्या डा० मिन्हास के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योजनाओं के पुर्नविलोकन का कार्य जिस कार्मिक दल को सौंपा गया था उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग ने पांचवीं पंच-वर्षीय योजना तैयार करने के प्रयोजन से महत्वपूर्ण समस्याओं के अध्ययन करने तथा सिफारिशें पेश करने के लिए 75 कार्यकारी दलों (टास्क फोर्सिस) का गठन किया। इन कार्यकारी दलों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1)। [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 5182/73]।

(ख) डाक्टर मिन्हास की अध्यक्षता में गठित समेकित ग्राम विकास कार्यकारी दल ने निम्नांकित दो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं :—

(1) नहर से सिंचित क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास परियोजना तथा

(2) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास परियोजना।

(ग) इन रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें संक्षेप में परिशिष्ट-2 में दर्शायी गई हैं। [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 5182/73]

'मोपला विद्रोह' के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का दिया जाना

466. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मोपला विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को केरल सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन स्वतन्त्रता सेनानियों को जिन्होंने केरल में 'मोपला विद्रोह' में भाग लिया था, पेंशन देने का निर्णय कर लिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मोपला विद्रोह तथा विभिन्न घटनाओं के इतिहास पर विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय किया है कि इसको स्वाधीनता आन्दोलन के एक भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस-लिये वे व्यक्ति जो मोपला विद्रोह में अन्तर्ग्रस्त थे अथवा उनके आश्रित केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

केरल में सूक्ष्म उपकरण, कागज तथा टायर के कारखाने

467. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सूक्ष्म उपकरण, कागज तथा टायर के कारखाने स्थापित करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार के साथ बातचीत तथा परियोजनाओं की तैयारी किस अवस्था में हैं; और

(ग) इन कारखानों का निर्माण कार्य कब आरंभ होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) केरल में सरकारी क्षेत्र में बारीक उपकरण (प्रिसीजन इन्स्ट्रमेंट) कारखाना, कागज तथा टायर कारखाना स्थापित करने से संबंधित स्थिति का विवरण इस प्रकार है :

(1) **बारीक उपकरण कारखाना :**

केरल में पालघाट स्थान पर बारीक उपकरण कारखाना स्थापित करने का कार्य इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को सौंप दिया गया है। सार्वजनिक विनियोजना बोर्ड से भी शीघ्र ही अनापत्ति की आशा है। वर्तमान संकेतों के अनुसार उक्त परियोजना के 1974 के अन्त तक शुरू हो जाने की आशा है।

(2) **कागज का कारखाना :**

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से केरल में एक अखबारी कागज की परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक विनियोजना बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ इस परियोजना का निबन्धन कर दिया है। इस के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। इस परियोजना के लिए आवश्यक संयंत्र तथा साज-समान के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने टेण्डर भी मांग लिए हैं और इन मामलों के लिए बहुत शीघ्र ही आदेश दे देने की उन्हें आशा है। केरल सरकार के साथ सभी विवादग्रस्त मामलों पर समझौता हो चुका है। इस परियोजना में 1977-78 तक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। इस परियोजना का निर्माण-कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है।

(3) **टायर कारखाना :**

सरकारी क्षेत्र में एक टायर कारखाना स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। परियोजना स्थापित करने की व्यावहार्यता का अध्ययन करने और उसके लिए उपयुक्त तकनीकी जानकारी मिलने की संभावना का पता लगाने के लिए भी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से अनुरोध किया गया है। परियोजना के स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा व्यावहार्यता अध्ययन की रिपोर्ट पेश कर दिए जाने पर स्थान का निश्चय कर लिया जाएगा और सरकारी क्षेत्र में इस कारखाने की स्थापना से संबंधित निर्णय ले लिया जाएगा।

केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागान के राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश

468. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागान के राष्ट्रीयकरण के लिये अध्यादेश जारी कये जाने की स्वीकृति देने का सरकार ने निर्णय कर लिया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास उसकी स्वीकृति हेतु यह अध्यादेश कब से लंबित है; और

(ग) स्वीकृति देने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) अध्यादेश का प्रारूप जुलाई, 1971 में प्राप्त हुआ था।

(ग) नीति संबंधी उलझनों और व्यापक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अनेकों संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। इन पहलुओं में से कुछ की अभी तक व्यापक जांच पूरी नहीं की गई है।

महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद

469. **श्री शंकरराव सावंत : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा-विवाद हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 1972 से कोई कार्रवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और दोनों राज्यों के लोगों और सरकारों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस विवाद के कब तक हल हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) जैसाकि अतारांकित प्रश्न सं० 5043 के उत्तर में दिनांक 28 मार्च, 1973 को इस सदन में बताया गया था सरकार इस विवाद का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ़ने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने की दिशा में उनके प्रयत्न जारी हैं। किन्तु पिछले कुछ महीनों के दौरान महाराष्ट्र व मैसूर राज्यों में जो भयंकर सूखा पड़ रहा है उसकी मुख्य मंत्रियों को वास्तव में उच्च प्राथमिकता देनी पड़ी।

विशेष रोजगार सैल

470. **श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में एक विशेष रोजगार सैल बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कार्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) रोजगार सैल के कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) रोजगार चाहने वालों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों द्वारा विशेष रोजगार स्कीमें तैयार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परामर्श कर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(2) केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों से परामर्श कर निरन्तर आधार पर रोजगार उन्मुख विशिष्ट परियोजनाओं तथा स्कीमों को तैयार करना तथा तैयार करने में सहायता प्रदान करना;

(3) बेरोजगारी की समस्या पर अनुकूल प्रभाव डालने वाली केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों से पूरक स्कीमें तैयार करना;

(4) केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों के चालू कार्यक्रमों की समय-समय पर चयनात्मक जांच करना ;

(5) नियमित रूप से राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वियन अभिकरणों का दौरा करना, कार्यक्रमों के कार्यान्वियन का अनुसरण करना, रुकावटें आदि दूर करना, और विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभव को पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान करना;

(6) स्कीमों के कार्यान्वियन पर बराबर नजर रखना तथा केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से नियमित रूप से सलाह-मशबरा कर समय-समय पर कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति का प्रबोधन करना;

(7) स्कीमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा उनके प्रभाव के बारे में प्रधान मंत्री तथा रोजगार पर मंत्रिमंडलीय स्थायी समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(8) जहां कहीं आवश्यक हो विशेषीकृत अभिकरणों के सहयोग से नई स्कीमें तैयार करने के लिए कार्य-उन्मुख अध्ययन करना ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विदेशी सहयोग प्रबन्धों को समाप्त किया जाना

471. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विदेशी सहयोग प्रबन्धों को समाप्त करने का निर्णय किया गया है क्योंकि सरकार अमरीका का आई० टी० टी० के सहयोग से बनाये गये क्रास-बार एक्सचेंजों के मामले पर उससे नाराज है;

(ख) क्या इस क्रास-बार पद्धति में पाई गई त्रुटियों को दूर किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विदेशी सहयोग 21 मई, 1973 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) डाक-तार विभाग और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के संयुक्त कृतिक दल द्वारा पेंटाकोंटा क्रास-बार प्रणाली में कमियों और त्रुटियों की जांच की जा रही है। ज्ञात हुई प्रमुख गड़बड़ियों के कारणों का पता लगा लिया गया है और उनमें से ज्यादातर का हल निकाल लिया गया है। इन हलों पर इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में काम हो रहा है।

Supply of Cement to Bihar

472. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the quantity of cement supplied to Bihar is less than 50 per cent of her requirement; and

(b) the steps taken by Government to supply cement to Bihar in accordance with her requirements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Mukherjee) : (a) No, Sir.

(b) Against a quantity of 9.17 lakh tonnes supplied to Bihar State in 1971, 9.72 lakh tonnes were supplied in 1972. During first 6 months of 1973, a quantity of 5.05 lakh tonnes was despatched to State of Bihar. Based on the consumption figures during the last five years, the state of Bihar has been allotted a quota of 7.70 lakh tonnes for the period 1st July, 1973 to 30th June, 1974. This is exclusive of the quantity of cement that would be used in the State of Bihar by Central Government Departments.

Grant of pension to freedom fighters from Bihar

473. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 298 on 21st February, 1973 regarding the grant of pension to the freedom fighters from Bihar and state the names of persons who have been sanctioned pension from the State of Bihar after 15th February, 1973 under the Scheme for grant of pension to freedom fighters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : Since 15-2-1973 pension has been sanctioned to 4203 freedom fighters and families from Bihar. It is not possible to give the names of all these persons as it involves more time and labour. However, the names of the persons sanctioned pension from time to time are furnished to State Government and District Collectors for giving wide publicity.

Shortage of Raw Materials in Small Scale Industries, Bihar

474. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri S. C. Besra :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of raw material in Bihar for small industries;

(b) whether a number of industries have been closed down due to the non-availability of raw materials; and

(c) if so, the steps being taken by Government to ensure adequate supply thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) There is a general shortage in the country of certain categories of steel and non-ferrous metals and chemicals like plastic raw materials.

(b) Closure of small industries due to non-availability of raw materials has not been reported.

(c) Efforts are being made to increase allocation of raw materials depending upon their availability.

The allocations of steel, non-ferrous metals and Mutton Tallow made to Bihar State during the last 3 years are given below :—

Period	Allocation by Steel Priority Committee in M. Tons to small scale units		
	Trough State Small Scale Industries Corporations.	Through Director of Industries.	Total
(a) Steel			
Jan.—March 71 .	..	1693	1693
April—June 71 . .	..	710	719
July—Sept. 71 . .	619	519	1138
Oct.—Dec. 71 . .	720	319	1039
Jan.—March 72 . .	616	282	901
April—June 72 . .	1370	573	1943
July—Sept. 72 . .	1763	582	2345
Oct.—Dec. 72	1279	462	1761
Jan.—March 73	1317	508	1825
April—June 73	1082	Details about full allocation not available.	
July—Sept. 73 .	3223	910	4133
(b) Non-ferrous metals :			
	1971-72	1972-73	1973-74
E.C. Grade Aluminium	2259	1680	1654
Commercial Grade Alumn.	69	70	Allocation is yet to be made.
Zinc	30.6	64.18	No allocation has been recovered as yet.
Antimony .	1.9	1.4	-do-

(c) Mutton Tallor :

(Figures in Metric Tonnes)

Year	Demand	Allocation
1970-71	7198	1000
1971-72	7198	1000
1972-73	7198	888

Shortage of Cement

475. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether there has been an acute shortage of cement in the country during this year; and

(b) the efforts made by Government to prevent the recurrence of such shortage in future indicating the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Mukherjee) : (a) Yes, Sir. The shortage has arisen mainly for reasons of the severe power cuts enforced by the State Electricity Boards, inadequate availability of coal, labour strikes in some factories etc.

(b) To overcome the power shortage, some of the State Governments have been persuaded to supply power to the neighbouring States where power cuts are enforced in return for additional quantities of cement. Government has also agreed, as a measure of relief, to the import of diesel generating sets by some of the affected units. Efforts are also made to secure adequate allotment of wagons for the railways for supply of coal etc.

As regards the long term measures the demand at the end of the Fifth Plan is estimated at 28 million tonnes corresponding to a capacity of 33 million tonnes on the basis of 85 per cent capacity utilisation. As a result of various letters of intent/licences issued, it is expected that during the Fifth Plan period, a capacity of at least 2.68 million tonnes by the Cement Corporation of India and a capacity of 3 million tonnes by the State Corporations will be added in the public sector while a capacity of a little over 7 million tonnes is expected to be added in the private sector. To accelerate the establishment of additional capacity, import of heavy castings has also been agreed to in certain cases. Applications from larger houses which were rejected earlier have been recognised and letters of intent are being issued in their cases also.

तारापुर आणविक बिजलीघर के बन्द हो जाने की जांच की मांग

476. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने तारापुर आणविक बिजलीघर के हाल में बंद हो जाने की जांच कराने का केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग परियोजनाएं

477. **श्री राम भगत पासवान : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1972-73 के दौरान 43 विदेशी सहयोग परियोजनाओं को अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) तथा (ख) 1972 तथा 1973 की पहली तिमाही में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की संख्या क्रमशः 257 तथा 43 है। इन अवधियों में सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों के त्रैमासिक विवरण जिसमें भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम उत्पादन की जिन्स तथा क्या सहयोग के लिए विदेशी पूंजी लगाने की आवश्यकता है, इन सब बातों का उल्लेख हैं, संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश में विकास खंड और विशेष क्षेत्र परियोजना

478. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन विकास खंडों के नाम क्या हैं जहां आदिमजाति क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ख) एक दूसरे का अतिक्रमण करने वाले दो खंडों को बनाये रखने में कितना प्रतिशत व्यय होता है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न राज्यों में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों की निर्मम हत्या तथा उनके सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं

479. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :**

श्री दशरथ देव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों तथा जन-जाति के लोगों की निर्मम हत्या, सामाजिक बहिष्कार तथा उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों से विस्तृत सूचना आनी है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के कुछ बहुपुंकेसर लोगों का सम्मिलित किया जाना

480. **श्री परिपूर्णानन्द पन्यूली :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल डिवीजन के थाटयूर पुरोला और नौगांव विकास खंडों के बहुपुंकेसर लोगों (पोलीएण्ड्रस) तथा उत्तर प्रदेश में खानाबदोश गूजरों और गड्डियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संशोधन का सारा प्रश्न विचाराधीन है ।

Enquiry into the shots fired by the security guard of the Prime Minister's House

481. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Shrikishan Modi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in June, 1973, eight bullets went off continuously in the air from the Thomson Machine Carbine (T. M. C.) given to the security man posted at the official residence of the Prime Minister;

(b) whether any enquiry has been conducted in the incident; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Hohsin) : (a) Yes Sir. The weapon involved was Carbine Sten-6 and not a Thomson Machine Carbine (T. M. C.).

(b) & (c) As a result of the enquiry, the security man concerned has been placed under suspension and a departmental enquiry has been ordered against him.

Proposal regarding reduction in the newsprint quota allotted to the Newspapers

482. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any proposal is under consideration of Government to reduce the newsprint quota allotted to the newspapers; and

(b) if so, the percentage of reduction being effected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) Under the Newsprint Allocation Policy for 1973-74, already announced, the entitlement of a newspaper, which will be worked out on the basis of its performance in newsprint authorised for 1972-73, has been subjected to a cut of 30 per cent because of the limited availability of newsprint supplies.

सरकार द्वारा नियंत्रित मिलों का रूस को सूती कपड़ा न भेजा जाना

483. **श्री राम प्रकाश** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियंत्रित मिल भारत-रूस कपास परिवर्तन समझौता के अन्तर्गत रूस को कपड़ा न भेजे जाने के दोषी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मखर्जी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा नियंत्रित मिलों सहित कुछ कपड़ा मिलें "कपास परिवर्तन समझौता" के अधीन सूती कपड़े के निर्यात हेतु माल देने के समय का पालन बिजली की कटौती व उसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी के कारण नहीं कर सकी है। फिर भी, समझौते के अधीन जहाज में माल लादने की अवधि 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ा दी गई है तथा सम्बन्धित प्राधिकृत नियंत्रकों की बढ़ी हुई अवधि के भीतर ही अपने ठेके के कोटे को पूरा करने का दायित्व पूरा करने की सलाह दी गई है।

छुट्टी पर होने वाले पोस्टमैनों द्वारा पत्रों के वितरण में विलम्ब

484. **श्री राम प्रकाश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पोस्टमैन आन लीव लेटर्स डिलेड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां; तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) खास लालगंज में डाक के वितरण पर कोई असर नहीं पड़ा था। तथापि, लालगंज डाकघर से सम्बद्ध गांवों में तारीख 6-6-1973 से 16-6-1973 तक कोई भी डाक वितरित नहीं की गई। पर्यवेक्षण करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या

485. **श्री ए० के० गोपालन** :

श्री समरगुह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में फरवरी 1973 से राज्यवार, जिलावार और दलवार आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन गत एक वर्ष के दौरान कितने संसद सदस्य गिरफ्तार किये गये; और

(ग) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम को समाप्त करने का सरकार का विचार है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) फरवरी, 1973 से अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) एसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1 फरवरी, 1973 से 30 जून, 1973 तक की अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम 1971 के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	194
2.	असम	62
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	32
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू व कश्मीर	43
8.	केरल	25
9.	मध्य प्रदेश	11
10.	महाराष्ट्र	57
11.	मणीपुर	—
12.	मेघालय	8
13.	मैसूर	15
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	5
16.	पंजाब	46
17.	राजस्थान	(22-4-73 तक)
18.	तमिलनाडु	--
19.	त्रिपुरा	6
20.	उत्तर प्रदेश	34
21.	पश्चिम बंगाल	1937

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन

1	2	3
1.	अन्दमान व निकोबार . . .	--
2.	चण्डीगढ़	--
3.	दादरा व नागर हवेली	—
4.	दिल्ली	11
5.	गोवा, दमन और दीव . .	3
6.	लक्कादीव, मिनीकाय और अमिनदीवी	--
7.	पांडिचेरी .	--
8.	मिज़ोराम . .	--
9.	अरुणाचल प्रदेश .	--
	जोड़ . . .	2491

केरल में टिटेनियम कम्पलेक्स की स्थापना

486. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थापर एण्ड कम्पनी को केरल में टिटेनियम कम्पलैक्स स्थापित करने के लिये दिये गये आशय-पत्र को वापस ले लिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या करल सरकार ने थापर एण्ड कम्पनी को आशय-पत्र देने की पुनः सिफारिश की है; यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मैसर्स बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्राबोर्ड मिल्स लिमिटेड को केरल में टिटेनियम उद्योग समूह की स्थापना के लिये 27-7-1968 को एक आशय-पत्र जारी किया गया । आशय-पत्र के प्रभावी रहने की अवधि अन्तिम बार 31-12-71 तक के लिये बढ़ा दी गई थी । उद्यमी ने इसे और बढ़ाने का निवेदन किया है जिसे अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया ।

(ख) केरल सरकार ने जिसने पहले और आगे समय बढ़ाने के लिये सिफारिश नहीं दी थी, बताया है कि वे कम्पनी के निवेदन पर विचार कर रहे हैं । उनकी अन्तिम सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के एक एकक के लिए उचित स्थान का चयन

487. श्री ए० के० गोपालन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टैलीफोन इण्डट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के चेयरमैन ने हाल में इण्डियन टैली-फोन इण्डट्रीज के प्रस्तावित एकक के लिये उचित स्थान का चयन करने हेतु केरल का दौरा किया था;

(ख) क्या चेयरमैन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इण्डियन टैलीफोन इण्डट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

केरल में टिटेनियम कम्पलेक्स स्थापित करने के लिये जारी किये गये आशय-पत्र

488. श्री ए० के० गोपालन :

श्री वयालार रवि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें केरल में टिटेनियम कम्पलैक्स स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी लिये गये हैं ; और

(ख) उन्हें यह आशय-पत्र कब जारी किये गये थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) केरल में टिटेनियम उद्योग समूह की स्थापना के लिये निम्नलिखित आशय-पत्र जारी किये गये हैं :—

उद्यमी का नाम	पता	आशय-पत्र की तिथि
1. मैसर्स बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्राबोर्ड मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता ।	थापर हाउस, 25 ब्रीबोर्न रोड, कलकत्ता-1	27-7-1968
2. मैसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम-21 (केरल राज्य) ।	त्रिवेन्द्रम्-21, केरल राज्य	29-7-1972

मैसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड को जारी किया गया आशय-पत्र उनके वर्तमान कार-खाने के पर्याप्त विस्तार के लिये है ।

विदेशों से भारतीय वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकोविज्ञों को स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु योजना

489. श्री डी० के० पंडा : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिकीविज्ञों को भारत वापिस लौटने और अपना उद्योग स्वयं आरम्भ करने को प्रोत्साहन देने हेतु योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विदेशों में स्थित उत्पादन एककों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविज्ञों को भारत वापिस आने और देश में अपने उद्योग, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें उनको उत्पादन-तकनीकी का कौशल प्राप्त है, आरम्भ करने के लिये भारत सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषतायें ये हैं : जो वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविज्ञ उत्पादन-तकनीकी में अनुभवी हैं वे अपनी आय उद्योग प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक उपकरण आयात करने के हेतु प्रयोग कर सकते हैं; यदि आवश्यक हुआ तो उनके साथ लाइसेंस सहित इकट्ठा सौदा किया जायेगा जिसमें उनकी अपनी उपलब्धियों पर आधारित पूंजी-पदार्थों के आयात की सुविधायें तथा अन्य आवश्यक सुविधायें, जैसे—बिजली, पानी तथा एक औद्योगिक भूखंड/भवन आदि प्रदान की जायेंगी। यदि अपेक्षित होगा तो उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

यह योजना अभी अन्तिम नहीं है।

उद्योगों का बन्द होना

490. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कुल कितने उद्योग बन्द पड़े हैं;

(ख) ये उद्योग कब से बन्द पड़े हैं और इन उद्योगों के बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) क्या बेरोजगार हुए कर्मचारियों को कुछ राहत देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्यवार, बन्द पड़े औद्योगिक एककों की संख्या और उससे प्रभावित कामगरों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (बन्द होने की तिथि अलग-अलग एककों की भिन्न-भिन्न हैं।)

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावित कामगरों की सहायता के विचार से बन्द एककों को फिर से चालू करने के लिये सामान्यतया निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:—

1. जहां भी न्यायोचित हो, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम प्रबन्ध को अधिकार में लेना।

2. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि०, कलकत्ता द्वारा पुनर्निर्माण सहायता देना

3. श्रम विभाग द्वारा समझौता।

4. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा एककों को सीधे वित्तीय सहायता देना।

विवरण

31-3-1973 को देश में बन्द पड़े औद्योगिक एककों और प्रभावित कामगारों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बन्द पड़े एककों की संख्या	प्रभावित एककों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	पश्चिम बंगाल . .	251	18,957	
2.	आन्ध्र प्रदेश . .	3	1,016	
3.	असम . .	1	150	31-10-1972 को
4.	बिहार . .	14	8 490	केवल 2 एककों के लिये
5.	दिल्ली . .	7	120	केवल 2 एककों के लिये
6.	गुजरात . .	17	347	केवल 6 एककों के लिये
7.	हरियाणा . . .	1	105	
8.	मध्य प्रदेश . . .	11	1,439	केवल 8 एककों के लिये
9.	महाराष्ट्र . . .	31	4,087	
10.	मैसूर . .	13	2,612	28-2-1973 को
11.	उड़ीसा . .	3	1,836	
12.	पंजाब . . .	1	249	28-2-1973 को
13.	तमिल नाडु . .	4	643	31-1-1973 को केवल 3 एककों के लिये
14.	उत्तर प्रदेश . .	5	उपलब्ध नहीं	31-1-1973 को
15.	मेघालय . .	1	29	
16.	त्रिपुरा . . .	3	149	छोटे एकक
17.	दादरा तथा नागर हवेली .	8	उपलब्ध नहीं	31-12-72 को ये सारी लघु उद्योग एकक है
18.	जम्मू तथा कश्मीर .			
19.	केरल			
20.	राजस्थान .			
21.	ए एण्ड एन द्वीपसमूह			
22.	अरुणाचल प्रदेश .			
23.	चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश .			
24.	हिमाचल प्रदेश . .	कुछ नहीं		
25.	लक्कादीव दीपसमूह .			
26.	मनीपुर			
27.	मिजोराम . .			
28.	पांडिचेरी . .			
29.	नागालैंड . . .			
30.	गोआ, दमन तथा दीव			

अनिवार्य वस्तुओं का उचित दरों पर वितरण

491. श्री आर० एन० बर्मन :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने अनिवार्य वस्तुओं का उचित दरों पर वितरण करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) और (ख) दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतियों तथा आम आदमी को उचित मूल्यों पर आवश्यक जिन्सों तथा वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिये उपाय सुझाने के लिये योजना आयोग ने आम उपभोग की आवश्यक जिन्सों तथा वस्तुओं पर एक समिति का गठन किया था। आशा है यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी। समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद सरकार समुचित कार्रवाई करेगी।

मैसर्स इनचेक टायर्स आफ इण्डिया लि० की विस्तार योजना को पं० बंगाल से अन्य राज्य को स्थानान्तरित करना

492. श्री आर० एन० बर्मन :

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को इस तथ्य का पता है कि मैसर्स इनचेक टायर्स आफ इण्डिया लिमिटेड ने अपनी विस्तार योजना स्थानान्तरित करने के लिये भारत सरकार को आवेदन-पत्र दिया है;

(ख) क्या इस परियोजना का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तर श्रमिक अशांति के कारण किया जा रहा है; और

(ग) क्या भारत सरकार के लिये यह अनिवार्य है कि वह किसी परियोजना के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित होने की स्थिति में सम्बन्धित राज्य सरकार को सूचित करें और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब कभी औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कोई पार्टी अपना कारखाना एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करना चाहती है तो दोनों सम्बन्धित राज्यों की सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं। तदनुसार मै० इनचेक टायर्स आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता ने जब अक्तूबर, 1968 में मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिये विस्तार लाइसेंस के अन्तर्गत शामिल क्षमता का पश्चिम बंगाल राज्य से उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित करने के लिये आवेदन किया था। जिसके द्वारा उनका विचार एक नया औद्योगिक एकक स्थापित करने औद्योगिक लाइसेंस का क्रियान्वयन करने का था, तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य सरकारों के विचार मांगे गये थे। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रारम्भ में प्रस्तावित स्थानान्तरण पर आपत्ति की थी, पर बाद में उन्होंने

अपनी आपत्ति इस शर्त पर हटा ली थी कि पश्चिम बंगाल औद्यौगिक विकास निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिये नये एकक की स्थापना करने के पक्ष में विचार किया जायेगा। इसके अनुसार मै० इनचेक टायर्स आफ इण्डिया लि० को विस्तार के लिये अक्तूबर, 1969 में स्वीकृत लाइसेंस क्षमता का उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण करने की अनुमति दी गई थी तथा इसके साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य औद्योगिक विकास निगम को पश्चिम बंगाल राज्य में प्रति-वर्ष चार-चार लाख संख्या के मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये 8 सितम्बर, 1972 को एक आशय पत्र मंजूर किया गया था।

मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की आवश्यकता

494. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग से प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन के आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में स्कूटरों सहित मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की कुल कितनी आवश्यकता होगी; और

(ख) काले बाजारी को रोकने के लिये उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) रबड़ की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों से संबंधित कृतिक दल (टास्क फोर्स) ने देश में पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में स्कूटर के टायरों और ट्यूबों सहित मोटर गाड़ियों के टायर ट्यूबों की कुल आवश्यकता प्रतिवर्ष 115 लाख संख्या होने का अनुमान लगाया है।

(ख) मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबें बनाने वाले 8 विद्यमान एककों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 45.79 लाख टायर ट्यूब बनाने की है। इसके अलावा, या तो पर्याप्त विस्तार करने अथवा कुल 19.8 लाख संख्या की क्षमता वाले नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 6 एककों को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। एक विद्यमान एकक को नई परियोजना स्थापित करने तथा एक अन्य विद्यमान एकक को कुल 48.5 लाख संख्या की क्षमता तक पर्याप्त विस्तार करने तथा 11 नये पक्षकारों को आशय पत्र भी जारी किये जा चुके हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने प्रतिवर्ष कुछ विद्यमान एककों के 8.64 लाख संख्या में टायर-ट्यूबों की क्षमता का और अधिक उपयोग किये जाने की अनुमति भी दे दी है। इस प्रकार वर्तमान अधिष्टापित/लाइसेंस प्राप्त/स्वीकृत क्षमता 122.73 लाख प्रतिवर्ष हो गई है। सरकार मोटर गाड़ियों के टायर बनाने हेतु एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजना स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।

आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की जांच

495. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के छ: विधायकों द्वारा मई, 1973 के पूर्वार्द्ध में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की पूरी जांच करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कथित गबन की गई धनराशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाना

496. **श्री वी० मयावन :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कार्मिक दलों (टास्क फोर्स) और कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिये नीतियां बनाने हेतु चर्चा के लिये कई बैठकें आरम्भ कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजना के प्रस्तावों के बारे में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ हाल में ही विचार-विमर्श आरम्भ हुये हैं और इनके समाप्त होने के बाद ही विचार-विमर्श के नतीजों के बारे में कुछ कहना सम्भव होगा।

विभिन्न मंत्रालयों के अध्यक्ष पद पर प्रौद्योगिकीविज्ञों की नियुक्ति के लिए कार्मिक नीति का पुनरीक्षण

497. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवालयों के प्रमुख पद पर प्रौद्योगिकीविज्ञों/विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिये कार्मिक नीति का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) भारत सरकार के सचिवों के पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पात्र अधिकारियों में से की जाती हैं। चयन की इस प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

सीमा सुरक्षा बल के एक भूतपूर्व कमांडेंट का कूच बिहार शरणार्थी सेवा से संबन्ध

498. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के एक भूतपूर्व कमांडेंट का कूच बिहार शरणार्थी क्षेत्र से सम्बन्ध के बारे में 4 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6010 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगा लिया गया है तथा संबंधित अधिकारी को दंड देने के लिये कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उड़ीसा सरकार से अभी तथ्यों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Communal incidents in the country during 1973

499. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the places where communal riots broke out during 1973;

(b) the number of persons killed as a result thereof; and

(c) the steps taken to prevent communal riots, check storing of weapons and award of exemplary punishment to rioters ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) A statement based on available information is attached.

(c) State Governments have been requested to maintain utmost vigilence, particularly in communally sensitive areas, with a view to prevent the outbreak of any disturbances and take firm action at the earliest indication of any breach of peace. Appropriate measures of vigilence would include control over use of fire-arms and other weapons. State Governments have also been requested not to permit withdrawal of any case arising out of communal disturbances and to take all possible measures to expedite the trial and conviction of suspects. The House is also aware that the Disturbed Areas (Special Courts) Bill, 1972 has been referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament whose deliberations are continuing.

STATEMENT

Name of places	Number of persons killed
1. Gonda (Uttar Praesh)	1
2. Nagpur (Rajasthan)	1
3. Gulbarga (Mysore)	1
4. Bombay (Maharashtra)	2
5. Kunigal (Tumkur District) (Mysore)	—
6. Hazaribagh (Bihar)	14
7. Poona (Maharashtra)	5
8. Delhi	1

NOTE :—1. No communal riots took place in Haryana, A & N Islands, Chandigarh, Goa, Daman and Diu, Nagaland, Pondicherry, Laccadives and Arunachal Pradesh.

2. Further information in respect of the States of Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Mysore, Bihar and the Union Territory of Delhi is awaited.

3. Information is awaited from the remaining States and Union Territories.

Communal Riots in Poona

500. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri Prasannbhai Mehta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained the facts about the recent communal riots in Poona;

(b) the measures taken by Government beforehand to prevent this riot; and

(c) the action taken after the riots ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Dept. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (c) According to information received from the Government of Maharashtra, the trouble was sparked off on May 16, 1973 by trivial incidents and arguments arising out of a bandh organised in the city by opposition parties. Several incidents of violence and arson took place following some verbal exchanges and pelting of stones. During the disturbances, five persons died and 250 persons were injured. There was also considerable damage to property. Police resorted to firing on a number of occasions. Curfew was also imposed from 16th for three days. 355 cases have been registered under the appropriate provisions of law in respect of specific offences. The local authorities are engaged in making an assessment of the damage to property for giving appropriate financial and other assistance to the victims.

Prior to the disturbances, the State Government had maintained utmost vigilence in view of the fact that tension had been prevailing in the area since mid April. Three meetings of the local peace Committee had been convened during the period of one month prior to the disturbances. Orders under the appropriate provisions of the Bombay Police Act in regard to processions had been issued besides a watch being kept on bad characters.

The Central Government remained in close touch with the State Government and provided assistance by way of deployment of Central Police Forces. The Union Home Minister also visited the city subsequent to the incidents.

उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा नियम लागू किया जाना

501. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के कहने पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सफाई पेश करने का अवसर दिये बिना उनकी सेवायें समाप्त करने के लिये सिविल सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा नियम, 1973 लागू किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी आलोचना श्रमिक संघों के सभी वर्गों ने की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 2 जून, 1973 को उत्तर प्रदेश सिविल सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिरक्षा) नियम, 1973 को स्वयं ही प्रख्यापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। इन नियमों में यह अपेक्षा की जाती हैं कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) के अनुसरण में जहां राज्यपाल किसी राज्य सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखता है, वहां ऐसे मामलों में सामान्य अनुशासनिक नियम लागू नहीं होंगे और ऐसा कर्मचारी जिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाती है, ऐसी अनुकम्पा पेंशन, उपदान या भविष्य निधि के .लाभों का हकदार होगा जो कि उसे उस तारीख को प्राप्य होते, यदि वह अपने पद समाप्ति के कारण सेवा से बर्खास्त हो गया होता।

(ख) भारत सरकार ऐसी किसी प्रकार की आलोचना से अवगत नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में विदेशी भागीदारी

502. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय वित्त मंत्रालय इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में 96 लाख रुपये के विदेशी हिस्से (होल्डिंग) समाप्त करने के मार्गोपायों पर विचार अर रहा है;

(ख) क्या उक्त उद्योग में सभी विदेशी सहयोग तथा इक्विटी हिस्सेदारी समाप्त कर दी जायेगी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों हो रहा है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विदेशी सहयोग 21 मई, 1973 से समाप्त कर दिया गया है। कम्पनी में विदेशी हिस्सेदारी को समाप्त करने से सम्बद्ध मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक सरकारी निगम बनाने सम्बन्धी निर्णय

503. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक सरकारी निगम में बदलने सम्बन्धी निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्वामित्व का ढांचा अभी विचाराधीन है। प्रस्ताव के दूरगामी फलितार्थों के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि मामले में अन्तिम निर्णय कब लिये जायेंगे।

समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने संबंधी विधेयक

504. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकारवादी प्रैस समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने सम्बन्धी विधेयक न लाने के लिये सरकार पर दबाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो एकाधिकारवादी प्रैस के इस प्रयास को विफल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यह विधेयक संसद में कब पेश किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेन्सियों को उद्योग से असम्बद्ध करने के सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की रोशनी में इसके फलितार्थों पर विचार किया जा रहा है।

स्वर्गीय इस्पात और खान मंत्री के कागजातों के गायब होने के सम्बन्ध में जांच

505. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय इस्पात और खान मंत्री, श्री मोहन कुमारमंगलम का पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया पैकेट, ब्रीफ केस समेत जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय कागजात थे, गायब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-5-73 को हुई विमान दुर्घटना के मलवे से शवों को जब 1-6-73 को पहचाना जा रहा था तो एक शव के पास जला हुआ एक ब्रीफकेस पाया गया था जिसमें आधे जले हुये साईक्लो-स्टाइल कागज पुस्तक के आकार में थे जिसके मुख पृष्ठ पर श्री मोहन कुमार मंगलम, भूतपूर्व इस्पात तथा खान मंत्री का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ था। भूतपूर्व मंत्री के निजी कर्मचारियों ने ब्रीफकेस के साथ कागजों को स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम के कफन में रख दिया था जब शव को कफन में उनके निवास पर भेजा गया था। उक्त लिखित कागजों को उनके दाह संस्कार के समय लकड़ी के सन्दूक में रखे गये उनके शव के साथ जला दिया गया था। भूतपूर्व इस्पात तथा खान मंत्री का कोई अन्य पैकेज जिसमें महत्वपर्ण मंत्रिमंडलीय कागज हों, दुर्घटना स्थल पर नहीं पाया गया था।

स्वतंत्रता सेनानी "परिचय" का प्रकाशन करने के लिये मैसूर सरकार को सहायता

507. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्रता सैनानी "परिचय" का प्रकाशन करने सम्बन्धी अपनी योजना के लिय धनराशि प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णा चन्द्र पन्त) : (क) हाल में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। 1963 से 1970 तक की अवधि में इस प्रयोजन के लिये शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को 12,000 रुपये स्वीकृत किये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कनाडा से टेलीफोन उपकरणों का आयात

509. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा से टेलीफोन उपकरणों का आयात करने का निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वे कितने और किस प्रकार के होंगे और विदेशी मुद्रा में उनका मूल्य क्या होगा; और

(ग) क्या इससे विशेषकर बड़े नगरों में सन्तोषजनक टेलीफोन व्यवस्था में सुधार होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। कनाडा से किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज स्विचिंग उपस्कर का आयात करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु बिजलीघरों का बन्द हो जाना

510. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर तथा अन्य स्थानों पर स्थित परमाणु बिजली संयंत्र हाल में क्यों बन्द हो गये थे; और

(ख) स्थिति सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्तमान में तारापुर परमाणु बिजलीघर ही एकमात्र ऐसा परमाणु बिजलीघर है जिसका संचालन व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट, जिसे 30 नवम्बर, 1972 को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया था, अभी तक परीक्षणों से गुजर रहा है तथा उसे अभी व्यावसायिक स्तर पर चालू नहीं किया गया है। तारापुर परमाणु बिजलीघर से बिजली की सप्लाई में हाल ही में जो रुकावट हुई थी, उसका मुख्य कारण तारापुर से जुड़ी हुई महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड की ट्रांसमिशन लाइनों की खराबी तथा उसके कारण बिजलीघर पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव था। 11 जून से 15 जुलाई के बीच ट्रांसमिशन लाइनों में 24 बार ट्रिपिंग हुई। 19 जून और 22 जून को दो बार बिजलीघर से बिजली सप्लाई करने के लिये ट्रांसमिशन लाइनें उपलब्ध नहीं थी।

(ख) गुजरात तथा महाराष्ट्र को जाने वाली फीडर लाइनों में बार-बार होने वाली ट्रिपिंग से उत्पन्न होने वाली स्थिति का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के विशेषज्ञों के एक दल ने जून, 1973 के आखिरी सप्ताह में तारापुर के निकट लगे स्विचयार्ड की जांच की। इस दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा

नियुक्त एक समिति ने, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, गुजरात विद्युत बोर्ड तथा टाटा पावर कम्पनी के प्रतिनिधि शामिल हैं, ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधारों के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है तथा उसमें दी गई कछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक बैठक 24 जुलाई को बम्बई में बुलाई गई है।

दिल्ली के पुलिस मैनों को अतिरिक्त ड्यूटी के लिये उपलब्ध लाभ

511. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1973 के पैट्रियट में "टायर्ड कोणप" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस मैणों को अतिरिक्त ड्यूटी के लिये एक रुपया जलपान हेतु दिया जाता है ;

(ग) क्या यह एक रुपया प्राप्त करने के लिये उन्हें सात स्थानों पर भागदौड़ करनी पड़ती है ; और

(घ) यदि हां, तो इव बारे में तथ्य क्या हैं और इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सहायक सब-इन्सपैक्टर के पद तक के पुलिस कर्मचारी जब नौ घंटे से अधिक ड्यूटी पर रखे जाते हैं तो उन्हें निःशुल्क भोजन अथवा उसके स्थान पर 1.25 रु० की दर से भत्ता दिया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) निःशुल्क भोजन भत्ते की प्राप्ति वित्तीय नियमों के अधीन आती है । निःशुल्क भोजन भत्ता पाने के पात्र व्यक्तियों के नामों की एक सामूहिक सूची बनाई जाती है और लेखा कार्यालय को धन राशि निकालने तथा वितरण के लिए भेजी जाती है।

यूनिटों में दैनिक डायरी में उनकी आगमन तथा प्रस्थान संबंधी प्रविष्टि प्रस्तुत करने अथवा इस संबंध में एक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह भत्ता स्थाई अग्रिम राशि से वितरित किया जाता है ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा प्रबन्धित गणेश फलोर मिल्स, दिल्ली द्वारा काले बाजार में सीमेंट की खरीद

512. **श्री इसहाक सम्भली :**

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणेश फ्लोर मिल्स, नई दिल्ली, जो कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रबन्धित सरकारी उपक्रम है, ने कुछ मशीनरी लगाने के लिये अपेक्षित सीमेंट खरीदने के लिये परमिट मांगा था ;

(ख) क्या उन्हें परमिट नहीं दिया गया और उनको 28 रुपये प्रति बोरी की दर से सीमेंट काले बाजार से खरीदना पड़ा ; और

(ग) उन्होंने कितनी मात्रा के लिये परमिट मांगा था और परमिट की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) पता चला है कि मै० गणेश फ्लोर मिल्स, नई दिल्ली ने 17 मई, 1973 को सीमेंट की 40 बोरियों के लिए खाद्य तथा सिविल आपूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन को परमिट हेतु आवेदन किया था और प्रशासन ने भी 31 मई, 1973 को पूर्ण मात्रा के लिए 16 जून, 1973 तक वैद्य परमिट जारी कर दिया था । परमिट पर पूर्ण आपूर्ति भी पार्टी ने जून, 1973 के मध्य तक प्राप्त कर ली थी । परमिट की प्राप्ति पर स्टाकिस्टों के पास माल शीघ्रता से उपलब्ध नहीं था इसलिए उन्हें अपनी तुरन्त जरूरत के लिए खुले बाजार से कुछ मात्रा में सीमेंट खरीदना पड़ा । जिस कीमत पर यह सीमेंट खरीदा गया था वह उपलब्ध नहीं है ।

"पुलिस एक्टिव इफ वी० आई० पीज० आर विक्टिम्स आफ थेफ्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

513. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1973 के "टाइम्ज आफ इंडिया" में "पुलिस एक्टिव इफ वी० आई० पीज० आर विक्टिम्ज़ आफ थेफ्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पुलिस को सूचित किये गये चोरी तथा सेंधमारी के सभी मामलों को निष्पादित करने के समस्त प्रयत्न न किये जाते हैं । यह सही नहीं है कि 'जन-साधारण' द्वारा सूचित किये गये ऐसे मामलों पर कार्यवाही नहीं की जाती है ।

अगरतला के कुर्माबाड़ी क्षेत्र में चीन की प्रचार सामग्री का पाया जाना

514. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला के कुर्माबाड़ी क्षेत्र में हाल में चीन की प्रचार सामग्री तथा उपकरण पाये गये ; और

(ख) यदि हां, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

कलकत्ता में टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतें

515. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में टेलीफोन सेवायें बहुत बिगड़ चुकी हैं और उपभोक्ताओं की शिकायत बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

31 LSS/73—8.

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"शेख टाक्स ग्राफ ग्राटोनामी ग्रगेन" नामक समाचार

516. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून' 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में "शेख टाक्स ग्राफ ग्राटोनामी ग्रगेन" शीर्षक के ग्रन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) उल्लिखित समाचार के ग्रनुसार शेख ग्रब्दुल्ला ने यह कहा बताया जाता है कि "यदि स्वायत्तता की हमारी मांग ग्रापको (भारत) स्वीकार्य नहीं है तो वि य हमको स्वीकार नहीं है ।"

(ख) इसके बावजूद कि शेख ग्रब्दुल्ला द्वारा जो कहा बताया जाता है भारत सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जम्मू व काश्मीर राज्य का भारत में विलयन ग्रन्तिम ग्रौर ग्रटल है ।

जमीदारों द्वारा तंग किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ग्रातंक

517. **डा० सरदीश राय :**

श्री मान-सिंह भौरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जून, 1973 को जमीदारों द्वारा हरिजनों को तंग किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ग्रातंक छाया हुग्रा था ; ग्रौर

(ख) हरिजनों को ऐसे हमलों से बचाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप- ी (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ग्रौर (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

कृषि संबंधों के बारे में कर्मिदल की रिपोर्ट की जांच

518. **श्री नबल किशोर सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना ग्रायोग ने कृषि संबंधों के बारे में ग्रपने कर्मिदल की रिपोर्ट की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नौकरशाही ग्रौर प्रशासनिक मशीनरी द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के साधन के रूप में न कि परिवर्तन लाने की एजेन्सी के रूप में कार्य करने के बारे में उक्त दल के विचारों का ग्रध्ययन किया है; यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ; ग्रौर

(ग) क्या उक्त दल के मतानुसार जागरुक बटाईदार और कृषि श्रमिक संगठन भूमि सुधारों के उचित क्रियान्वयन के लिए अत्यावश्यक है ; यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगें ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) पांचवीं योजना का मसौदा तैयार करने के संबंध में योजना आयोग ने भूमि सुधार के लिए हाल ही में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं । यह सुझाव दिया गया है कि जिला राजस्व प्रशासन के समानान्तर भूमि सुधार संगठन स्थापित किया जाय । यह संगठन इनके क्रियान्वयन के लिए अल्पावधि का हो तथा इसका प्रबन्ध चुने हुए प्रशासक करें । भूमि सुधार के उपायों को क्रियान्वित करने के लिए अलग से एक ऐसा संगठन बनाया जाये जिसे कि क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाये तथा कैबीनेट स्तर के मंत्री तक उसके सभी छोटे बड़े अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी बनाया जाये तो संभवतः इसमें आवश्यक गति आ सके और वांछित प्रगति हो सके । क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है । प्रशिक्षण क्षेत्रीय केन्द्रों में दिया जाये । यह क्षेत्र का गहराई के साथ अनुभव और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर स्थिति को देखने के माध्यम से किया जाये ।

(ग) यह सुझाव दिया गया है कि भूमि सुधारों को लागू करने के लिए गाँव व ब्लाक स्तरों पर लाभ पाने वालों की समितियां बनायी जायं । राज्यों को भेजे गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में इस सुझाव को भी शामिल किया गया है ।

क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज में त्रुटियां

519. श्री नवल किशोर सिन्हा :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली त्रुटिपूर्ण पाई गई है और इस प्रणाली के विरुद्ध बहुत संख्या में शिकायतें हुई हैं ;

(ख) क्या लोक सभा की लोक लेखा समिति ने भी इस प्रणाली की आलोचना की है ; और

(ग) लोगों की शिकायतों तथा लोक लेखा समिति की टिप्पणियों को दृष्टि में रखते हुए स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) क्रासबार एक्सचेंज के ठीक प्रकार से काम न करने के संबंध में कई शिकायत प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों से निम्नलिखित खामियां जानकारी में आई हैं :

(i) सम्पर्क सुरक्षा का पर्याप्त न होना ।

(ii) कल-पुर्जो का खराब हो जाना ।

(iii) मेकेनिकल समायोजन की अस्थिरता ।

(iv) सर्किटों की छोटी-छोटी समस्याएं आ जाना ।

(v) कल-पुर्जों में जंग लग जाना ।

(ख) लोक लेखा समिति ने बम्बई के क्रासबार एक्सचेंज की क्षमता के अपर्याप्त इस्तेमाल के बारे में अपनी टिप्पणियां दी हैं । इस एक्सचेंज का उपस्कर प्रारम्भ में आयात किया गया था ।

(ग) (i) जिन क्रासबार एक्सचेंजों के उपस्कर विदेशी फर्म ने सप्लाई किए थे, उनकी खामियां को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । जहां तक भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा सप्लाई किए गए उपस्करों का संबंध है, डाक-तार विभाग और भारतीय टेलीफोन उद्योग मिल कर ऐसे हल निकालने के काम को अन्तिम रूप दे रहे हैं जिनसे क्रासबार उपस्कर के काम करने में आने वाली विभिन्न खामियों को दूर किया जा सके । जो हल अंतिम रूप से निकालने जाएंगें उन्हें उन उपस्करों में शामिल कर लिया जाएगा जिनका उत्पादन किया जा रहा है और उन एक्सचेंजों में भी जो पहले से काम कर रहे हैं ।

(ii) एक्सचेंज की क्षमता का पर्याप्त इस्तेमाल किया जाए इस पर निगरानी रखने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं । इन हिदायतों में एक्सचेंज की क्षमता के इस्तेमाल के संबंध में विशेष मानक निर्धारित कर दिए गए हैं ।

चावल के छिलके से कार्बन बनाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया

520. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने चावल के छिलके से कार्बन बनाने की प्रक्रिया तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित कच्चा माल और मशीनरी इस देश में उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चावल के छिलके को प्रयोग में लाने के लिए एक बृहत संयंत्र स्थापित करने का है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) समस्त कच्चा माल और मशीनरी स्वदेशी होगी । सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए उपयुक्त देशी उपकरण की डिजाइन बनाने से संबंधित कार्य जारी है और यह कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है ।

(ग) प्रायोगिक संयंत्र (पाइलेट प्लांट) स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) के माध्यम से तत्संबंधित जानकारी उद्योगों को प्रदान की जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के विद्रोह में आनन्द मार्गियों की भूमिका

521. श्री नवल किशोर सिन्हा :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के विद्रोह में आनन्द मार्गियों का निश्चित रूप से हाथ है ; और

(ख) क्या इस संबंध में कुछ आनन्द मार्गियों को गिरफ्तार भी किया गया है ; और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति को, जिस पर आनन्द मार्गी होने का सन्देह था, कुछ उत्तेजनात्मक पर्चियां छापने के आरोप में पुलिस अधिनियम (अनिष्ठा के लिए प्रेरणा) की धारा 3 तथा भारत सुरक्षा नियम 1971 के नियम 43 के अधीन दर्ज किये गये मामलों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

Retrenchment of employees as a result of introduction of 'Desk Officers system' in the Central Secretariat

522. **Shri C. B. M. Tewari :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether large scale retrenchment will have to be resorted to in the grades of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk and Assistants as a result of introduction of 'Desk-Officers System' in the Central Secretariat; and

(b) the measures being adopted by Government to make future recruitments in these grades to confirm with the requirements of Desk-Officers System ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) The system is intended to be introduced in a phased manner and recruitment will be adjusted to suit the change as and when required.

विशेषज्ञों के एक दल द्वारा तारापुर के निकट स्विच यार्ड तथा नवारी, गुजरात के विद्युत प्राप्तकर्ता स्टेशनों का निरीक्षण

523. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय दल ने गुजरात को जाने वाली फीडर लाइनों में बार-बार होने वाली गड़बड़ी के कारणों का पता लगाने के लिए तारापुर के निकट स्विच यार्ड तथा नवारी, गुजरात के विद्युत प्राप्तकर्त्ता स्टेशनों का निरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) गुजरात एवं महाराष्ट्र को जाने वाली फीडर लाइनों में बार-बार होने वाली गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली स्थिति का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के विशेषज्ञों के एक दल ने जून 1973 के पिछले सप्ताह में तारापुर के निकट स्विच यार्ड का निरीक्षण किया था । इस दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है । इस बीच परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक समिति ने जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, गुजरात विद्युत बोर्ड तथा टाटा पावर कम्पनी के प्रतिनिधि शामिल है, अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है तथा उस पर विचार किया जा रहा है । इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक बैठक 24 जुलाई को बम्बई में बुलाई गई ।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में कनाडा का संकोच

524. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जानकारी तथा सहयोग प्रदान करने के लिये कनाडा अब संकोच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हमारी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) कनाडा ऐसे रिऐक्टरों के लिये, जो उसके स्वीकार्य सेफ़गार्डों के अन्तर्गत नहीं आते, न्यूक्लीय संघटक और सामग्री का निर्यात भारत अथवा किसी अन्य देश को करने का इच्छुक नहीं है ।

(ग) इसके परिणामस्वरूप मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना, जो किसी सेफगार्ड के अन्तर्गत नहीं आता, के लिये आवश्यक ऐसे सामान के निर्यात पर कनाडा ने रोक लगा दी है जिसके लिये कनाडा में निर्माताओं को आर्डर दिये गए थे तथा जिसमें से कुछ तैयार भी हो चुका था और भेजा जाने वाला था । बहुत-से सामान के लिय वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है । वैकल्पिक व्यवस्था में निश्चित रूप से समय लगेगा तथा इसके परिणामस्वरूप मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पूरा होने में विलम्ब होगा ।

पांचवी योजना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव

525. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रस्तावों की मुख्य बात क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रस्तावों पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

पांचवी योजना के लिए अंतरिक्ष विभाग के प्रस्ताव

526. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या अंतरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना के लिये अंतरिक्ष विभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पांचवी पंचवर्षीय यौजना के लिये अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा ।

परमाणु ऊर्जा विभाग की आवास समस्या का समाधान

527. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक परमाणु ऊर्जा विभाग के कितने प्रतिशत कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी आवश्यकता पूरी होगी; और

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की आवास समस्या का समाधान करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक बम्बई-स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग तथा उसके यूनिटों की 25% आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी। यदि यह मान लिया जाए कि बम्बई में आवासन हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग ने जो प्रस्ताव पांचवीं पचवर्षीय योजना के लिये दिये हैं, वे सभी स्वीकार कर लिये जाएंगे, तो ऐसा अनुमान है कि 31-3-1979 को कर्मचारियों को अनुमानित संख्या के आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवास सम्बन्धी आवश्यकता के 27% भाग की पूर्ति की जा सकेगी। इसमें बम्बई से बाहर स्थित संयंत्र एवं परियोजनाएं शामिल नहीं हैं, जहां परियोजना के स्थान तथा संयंत्र के निर्माण एवं संचालन की स्थिति के आधार पर आवास की प्रतिशतता भी भिन्न-भिन्न होगी।

(ख) आवास पर होने वाला व्यय आवश्यक राशि के उपलब्ध होने तथा निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करता ।

सीमेंट का उत्पादन और सप्लाई

528. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में ीमेंट के उत्पादन में कितनी कमी हुई है;

(ख) विभिन्न राज्यों को सीमेंट की समान और समानुपातिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गए हैं और तत्सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सीमेंट की मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1-1-73 से 30-6-73 तक की अवधि में बिजली में कटौती आदि के कारण लगभग 13.7 लाख मी० टन मात्रा की हानि होने का अनुमान है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों की खपत के आधार पर उपलब्ध सीमेंट को विभिन्न राज्यों में समान रूप से बांटने का निश्चिय किया गया है। 1-7-1973 से 30-6-74 तक की अवधि में प्रत्येक राज्य के लिये निश्चित कोटे बताने वाला एक विवरण संलग्न है । यह मात्रा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को नियत की गई मात्रा के अतिरिक्त है।

(ग) इस उद्योग की वर्तमान क्षमता 197.6 लाख मी० टन है। 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने के आधार पर 330 लाख मी० टन की क्षमता के मुकाबले में पांचवीं योजना के अंत तक मांग 280 लाख मी० टन तक हो जाने का अनुमान है। विभिन्न आशय-पत्रों/लाइसेंसों के जारी करने के परिणामस्वरूप आशा है कि पांचवीं योजना की अवधि में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा कम-से-कम 26.8 लाख मी० टन की क्षमता तथा राज्य निगमों द्वारा 30 लाख मी० टन की क्षमता सरकारी क्षेत्र में बढ़ जाएगी, जबकि 70 लाख मी० टन से भी अधिक क्षमता गैर-सरकारी क्षेत्र में बढ़ जाएगी। अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने में तेज़ी लाने के उद्देश्य से कुछ मामलों में ढली हुई भारी वस्तुओं के आयात पर सहमति हो गई है, जबकि बड़े औद्योगिक गृहों के आवेदनों पर, जो पहले रद्द कर दिये गए थे, पुनः विचार किया गया है और आशय-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

विवरण

राज्य सरकार के विभागों (केन्द्रीय सरकार के विभाग को छोड़ कर) के लिये 1973-74 में निश्चित किये गए सीमेंट के कोटे को बताने वाला विवरण

(लाख मी० टनों में)

क्षेत्र/राज्य	निश्चित कोटा
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात .	12.65
गोवा, दमन और दीयू	.66
दादर नागर हवेली	—
मध्य प्रदेश	4.91
महाराष्ट्र	16.96
योग	35.18
दक्षिण क्षेत्र	
तमिलनाडू .	12.71
आंध्र प्रदेश .	9.27
मैसूर .	7.59
केरल . .	5.62
पांडिचेरी . .	.21
अण्डमान और निकोबार आइलैंड्स	.08
योग	35.48

उत्तरी क्षेत्र	
दिल्ली .	3.97
हरियाना	3.88
पंजाब .	5.05
जम्मू और कश्मीर	.64
हिमाचल प्रदेश .	.44
चण्डीगढ़	.61
राजस्थान	4.46
उत्तर प्रदेश	16.61
योग	35.66
पूर्वी क्षेत्र	
आसाम .	1.50
बिहार .	7.79
उड़ीसा	2.56
पश्चिम बंगाल	8.60
मेघालय	.29
मनीपुर .	.11
नागालैंड	.12
नेफा	.01
त्रिपुरा .	.25
मिज़ोराम	.06
योग	21.29
नेपाल	.43
सिक्किम	.10
भूटान .	.25
योग	.78
नेपाल, सिक्किम तथा भूटान सहित कुल योग	128.39

राज्य तथा जिला स्तरों पर समान विकास कार्य सुनिश्चित करते हेतु पांचवीं योजना में परिवर्तन

529. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज़िला स्तर पर विकास कार्य समान स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या परिवर्तन किये जाने का विचार है; और

(ख) राज्य तथा ज़िला स्तरों पर इन परिवतनों को कार्यान्वित करने हेतु किस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था किये जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग ने राज्यों को सुझाव दिया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप के प्रस्तावों में प्रत्येक ज़िले के सम्बन्ध में कार्यक्रमों, लक्ष्यों तथा संसाधनों का एक अध्याय शामिल किया जाय जिसमें कि परिव्ययों, लक्ष्यों तथा योजना संसाधनों का ज़िलावार उल्लेख हो । इस अध्याय में यह सूचना भी दी जाए कि आवंटित संसाधनों की सम्पूर्ण मात्रा का निर्धारण करते समय तथा धन का अंतःक्षेत्रीय वितरण करते समय विभिन्न ज़िलों के विकास स्तर, साधन-सम्पन्नता, समस्याओं तथा प्राथमिकताओं को किस सीमा तक ध्यान में रखा गया है ।

अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों, जिनमें कि पहाड़ी क्षेत्र, आदिम क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रायः सूखा बना रहता है, शामिल हैं । इनके सम्बन्ध में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ब्यौरा दें :—

(1) औद्योगिक संसाधनों के विकास का स्तर;

(2) आर्थिक कार्यकलापों का ढांचा तथा इनमें व्याप्त विभिन्नताएं तथा उत्पादकता के वर्तमान स्तर;

(3) आधारभूत सुविधाओं का व्याप्ति क्षेत्र तथा उनकी भूमिका; और

(4) पांचवीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिकताओं का तारतम्य तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपलब्ध किये जाने वाले प्रस्तावित बजट सम्बन्धी तथा अन्य संसाधनों की मात्रा बताते हुए क्षेत्र के लिये विकास की कार्यनीति ।

राज्य योजनाओं की तैयारी तथा राज्य कार्यक्रम परिव्ययों का बिखराव ज़िला आधार पर करने का काम विवेकपूर्ण ढंग से हो सके, इसके लिये केन्द्र ने एक केन्द्रीय सहायता की स्कीम का सूत्रपात किया हायता योजनातंत्र को सुदृढ़ करने के लिये दी जाएगी और इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि अन्य बातों के अलावा वे राज्य योजना विभाग में ज़िला/क्षेत्रीय आयोजन एकक स्थापित करें । इस एकक में ऐसे तकनीकी कर्मचारी होंगे जिन्हें इस काम को वैज्ञानिक आधार पर करने का पर्याप्त अनुभव हो ।

राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि ज़िला, स्थानीय आयोजन की चुनौती का सामना करने के लिये प्रस्तावित प्रशासनिक तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें ।

आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजली घर

530. **श्री ी नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नए परमाणु बिजलीघर के लिये उपयुक्त स्थानों की सिफारिश करने के लिये नयुक्त अध्ययन दल ने एक ऐसे बिजलीघर के लिये आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम नामक स्थान की सिफारिश ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश मान ली है; और यदि हां, तो इस निर्णय को लागू करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) एक स्थल चयन समिति दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, विभिन्न स्थलों की जांच कर रही है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा सरकार द्वारा उस पर विचार किये जाने के बाद ही उस राज्य में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

आंध्र प्रदेश के चितूर जिले में सीमेंट की सप्लाई

531. श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में सीमेंट की अपर्याप्त और असमानुपातिक सप्लाई के बारे में कोई अभ्यावेदन दिये गए हैं;

(ख) इस वर्ष इस ज़िले में सीमेंट की कितनी वास्तविक सप्लाई की गई है और सामान्यतः वहां की मांग क्या है; और

(ग) इस ज़िले की सीमेंट की सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के प्रथम पांच महीनों के दौरान चित्तूर ज़िले को लगभग 3011 लाख सीमेंट की सप्लाई की गई है, जबकि 1972 के दौरान इस ज़िले का औसत मासिक उपयोग लगभग 3000 टन का था।

(ग) विभिन्न राज्यों की विद्युत् परिषदों द्वारा लागू की गई बिजली की काफी कटौती के कारण देश के सीमेंट उत्पादन में कमी आई है। परिणामस्वरूप, उपलब्ध सीमेंट की विभिन्न राज्यों के बीच विगत पांच वर्षों के दौरान उनके औसत उपभोग के आधार पर समान रूप से वितरित किया गया है और तदनुसार प्रत्येक राज्य सरकार का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। जुलाई से सितम्बर 1973, की तिमाही के लिये आन्ध्र प्रदेश के लिये 2.09 लाख टन सीमेंट अलग से नियत कर दिया गया है, जिसमें से 1488 टन राज्य सरकार ने चित्तूर ज़िले के लिये नियत कर दिया है। सीमेंट की य मात्रा उपभोक्ताओं को देने के लिये प्राधिकृत की जा चुकी है। चित्तूर ज़िले के लिये और अधिक सीमेंट की सप्लाई तभी की जा सकती है, जब राज्य सरकार चित्तूर ज़िले की तुलना में राज्य के अन्य ज़िलों की सीमेंट सम्बन्धी अपेक्षाओं के आधार पर इसकी सिफारिश करें।

रुग्ण इंजीनियरिंग और सीमेंट कारखानों का सरकारीकरण

532. श्री एस० ए० मरगन्नतम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक रुग्ण एकक हैं जिनमें विशेषकर इंजीनियरिंग और सीमेंट के कारखाने हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन रुग्ण कारखानों का सरकारीकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सरकार के सीमित साधनों को देखते हुए जनहित को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करते हुए केवल कुछ चुने हुए मामलों में ही सरकारीकरण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए अथवा लम्बी छुट्टी पर भेजे गए अधिकारी

533. **श्री गदाधर साहा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद से अब तक उस राज्य में कुल कितने अधिकारी अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गए हैं अथवा लम्बी छुट्टी पर भेजे गए हैं; और

(ख) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सूचना एकत्रित की जा रही है ौर यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

534. **श्री गदाधर साहा** :
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गए हैं;

(ख) गिरफ्तार कर्मचारियों के ज़िलावार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 892।

(ख) आगरा .	16
इलाहाबाद .	44
कानपुर	178
लखनऊ	63
गोरखपुर	42
वाराणसी	41
सीतापुर	113
बाराबंकी	30
फतेहपुर .	16
चुनार (मिर्ज़ापुर) .	349
कुल	892

(ग) प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध उनके अपराध के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 324, 326, 380, 457, 392, 395, 120-ख, 121, 121-क, 409 भारत सुरक्षा नियम की धारा 6,7 प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज किये गए हैं।

अनुसंधान तथा विकास के लिए धन के आवंटन में कटौती

535. **श्री गदाधर साहा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा दृष्टिकोण पत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिये अपेक्षित धन-राशि में कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि पांचवीं योजना के दौरान अनुसंधान और विकास कार्य कर राष्ट्रीय निवेश इस परिमाण में हो कि पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक यह संख्या जी० एन० पी० के एक प्रतिशत के निकटतम पहुंच जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के विभिन्न पैनलों द्वारा बनाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों पर योजना आयोग में अभी विचार-विमर्श होना है। अतएव इस स्थिति में अनुसंधान और विकास के लिये निधि की उपलब्धि का मूल्यांकन करना एक समय-पूर्व कार्य होगा। इसका निर्धारण पांचवीं योजना के लिये सम्पूर्ण संसाधन की स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए किया जाएगा।

जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में आटोमैटिक ट्रंक डायलिंग सिस्टम

536. **श्री बी० आर० शुक्ल : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच (उत्तर प्रदेश) के समस्त पड़ौसी जिलों में आटोमेटिक डायलिंग सिस्टम चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बहराइच जिले में भी इस व्यवस्था को लागू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। बहराइच के पड़ौसी जिलों में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) बहराइच जिले में दो छोटे आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं, लेकिन इस जिले मुख्यालय, बहराइच में एक मैनुअल एक्सचेंज है। बहराइच में आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने के लिये हाल ही में मंजूरी दे दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडस्ट्रियल एस्टेट चितौड़ ब्लाक बहराइच

537. **श्री बी० आर० शुक्ल : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित चित्तौड़ ब्लाक के इंडस्ट्रियल एस्टेट भवन में कोई उद्योग चल रहा है;

(ख) भूमि का अधिग्रहण करने और इस भवन का निर्माण करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धन-राशि खर्च की; और

(ग) क्या उक्त भवन के निर्माण से लेकर अब तक सरकार को उस भवन से कुछ लाभ हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार

538. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चालू वर्ष में सभी शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विशेष रोज़गार कार्यक्रम और "पांच लाख रोज़गार" के कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोज़गारों के लिए कुल कितना धन स्वीकृति किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान जो रोज़गार कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं उनके अलावा चालू वर्ष के दौरान पांच लाख लोगों को रोज़गार के नाम से एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चालू वर्ष के दौरान कम-से-कम पांच लाख लोगों को रोज़गार देना है।

(ख) शिक्षित लोगों को रोज़गार देने के लिए जो स्कीमें बनाई गई हैं उनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(क) स्व-रोज़गार कार्यक्रम जिनके लिए सरकार सीमान्त धन कुल पूंजी, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा बुनियादी सुविधाओं के रूप में उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है।

(ख) युवकों को शिक्षा, पार्श्व चिकित्सा, कृषि विस्तार, सहकार इत्यादि में तैयार करने के लिए वृत्ति देने के प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य यह है कि निम्नतम आवश्यकताओं, कृषि विकास, सहकारी क्षेत्र का विकास आदि क्षेत्रों के लिए पांचवीं योजना में जो कार्यक्रम रखे गये हैं उनमें 1974-75 में जो काम उपलब्ध हों उनमें नियमित रूप से काम करने के लिए इनके पास अपेक्षित योग्यता हो ।

(ग) इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों तथा अन्य तकनीकी दृष्टि से योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ समाज के निर्बल वर्गों के लोगों को रोज़गार देने के लिए निजी क्षेत्र के मालिकों तथा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन ।

(घ) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वे विभिन्न रोज़गार स्कीमों का कार्यान्वयन इस प्रकार करें जिससे राज्य के सभी क्षेत्रों तथा जनसंख्या के सभी वर्गों को रोज़गार का लाभ पहुंच सके। राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों, अपंग/विकलांग व्यक्तियों, युद्ध के कारण हुई विधवाओं तथा अल्प-संख्यकों के शिक्षित व्यक्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पांच लाख रोज़गारों के कार्यक्रम सहित विभिन्न विशेष रोज़गार कार्यक्रमों का लाभ देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा ।

वर्ष 1973-74 के दौरान पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम सहित विभिन्न रोज़गार कार्यक्रमों के लिए जो आवंटन किया गया है वह इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये)
1. शिक्षित बेरोज़गारों के लिए 1971-72 के दौरान आरम्भ किए गए कार्यक्रम :	
(1) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा कोटि में सुधार	30.00
(2) कृषि सेवा केन्द्र	0.76
(3) उपभोक्ता सहकारी भंडार	0.80
(4) भूमि तथा मिट्टी का सर्वेक्षण—प्राकृतिक संसाधन	0.85
(5) वन सर्वेक्षण—प्राकृतिक संसाधन	1.00
(6) भूमिगत जल सर्वेक्षण—प्राकृतिक संसाधन	4.34
(7) ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण	2.85
(8) सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं की जांच	6.11
(9) स्व-रोज़गार के लिए शिक्षित बेरोज़गारों को सहायता	13.08
(10) भारतीय सर्वेक्षण कार्यक्रम	0.75
(11) सड़क परियोजनाओं की जांच	0.90
(12) ग्रामीण जल संभरण के लिए डिज़ाइन एकक	0.44
(13) खनिज सर्वेक्षण—प्राकृतिक संसाधन	1.00
2. राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विशेष रोज़गार कार्यक्रम	27.00
3. शिक्षित बेरोज़गारों के लिए 1973-74 में पांच लाख रोज़गारों का कार्यक्रम	100.00

महानगरों में टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रबंधात्मक ढांचा

539. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास नामक चार महानगरों में टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रबंधात्मक ढांचे का पुनर्विलोकन करने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इन चार महानगरीय टेलीफोन जिलों के प्रबंध संबंधी ढांचे में सुधार लाने के लिए अनेक सुझावों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ख) इन महानगरों की टेलीफोन प्रणालियों में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है। मौजूदा संगठन के ढांचे का इस उद्देश्य से पुनरीक्षण किया जा रहा है कि एक सुगठित और प्रभावकारी संगठन की व्यवस्था हो सके जो कि दूर-संचार की भावी आवश्यकताओं की योजना बनाए और उनकी व्यवस्था

करे, टेलीफोन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे, कर्मचारियों की समस्याओं की प्रभावकारी देखभाल करे और इन बड़े आकार वाली एक्सचेंज प्रणालियों की बढ़ती हुई समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करे।

संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम में तीन करोड़ रुपये का घोटाला

540. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री सेझियान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1973 के 'दि टाईम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम में 3 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस घोटाले में दो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) तथाकथित घोटाला उस समय का है जब मिजोरम, मिजो पर्वतीय जिले के नाम से असम का भाग जाना जाता था। असम राज्य की लोक लेखा समिति इस समय इस मामले की परीक्षा कर रही है। परीक्षा समाप्त होने के बाद तथाकथित घोटाले और भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में कुछ निश्चित कहना सम्भव हो सकेगा।

बिजली की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पादन में हुई हानि

541. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 4 महीनों में बिजली की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में विगत चार महीनों में केवल विद्युत शक्ति की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि के ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी राज्य सरकार ने बताया है कि विद्युत् शक्ति में कटौती के कारण राज्य में जूट तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में नुकसान हुआ है। राज्य सरकार को मिली सूचनाओं के अनुसार अप्रैल के प्रथमार्ध में 1.34 करोड़ रुपये का जूट का उत्पादन तथा मार्च 1973 में इंजीनियरिंग के सामान के संबंध में 2 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है।

तकनीकी विशेषज्ञों तथा आई० ए० एस० अधिकारियों के बीच विवाद

542. **श्री सरोज मुखर्जी :**
श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तकनीकी विशेषज्ञों तथा आई० ए० एस० अधिकारियों के बीच पारस्परिक हितों के लिए सतत् विवाद है;

(ख) क्या तकनीकी विशेषज्ञों में विद्यमान अत्याधिक असंतोष के कारण हड़ताल तथा अन्य आन्दोलन होते हैं जो एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में घटित होते जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन विवादों को हल करने तथा ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जो हमारे देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ग) सरकार को तकनीकी सेवाओं के अधिकारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आई० ए० एस० तथा उनके बीच वेतन आदि के संबंध में समानता लाने की मांग की गई है। तृतीय वेतन आयोग ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) तकनीकी अधिकारियों की उच्चतर परिलब्धियों तथा बेहतर सेवा शर्तों से संबंधित मांगों को लेकर कतिपय आन्दोलन होते रहे हैं।

फडरेशन आफ इंजीनियर्स एण्ड टेक्नीकल आफीसर्स की ओर से प्राप्त हुआ मांगपत्र

543. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को फैडरेशन आफ इंजीनियर्स एण्ड टेक्नीकल आफीसर्स (फैटो) की ओर से तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि विभिन्न राज्यों में अन्य संगठनों की ओर से कोई मांगपत्र प्राप्त हुआ हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'रशियन रोटरी फार टाईम्स आफ इण्डिया' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

544. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई के 'टाईम्स आफ इण्डिया' में "रशियन रोटरी फार टाईम्स आफ इण्डिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि "इन वार्ताओं के पूरा होने से दि टाईम्स आफ इण्डिया तथा उसके अन्य प्रकाशनों और रूस के बीच नए संबंध बनेंगे"; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि इस देश के समाचार पत्र और एक विदेश के बीच क्या नए संबंध बनेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने 18 मई, 1973 के टाइम्स आफ इण्डिया के दिल्ली संस्करण में इस आशय का एक समाचार देखा है। पत्र के प्रकाशकों ने यह स्पष्ट किया है कि करार उनकी कम्पनी तथा एक सोवियत एक्सपोर्टिंग फर्म के मध्य व्यापारिक सौदा है और कि उनके बम्बई संस्करण ने इसी समाचार को प्रकाशित करते हुए, टाइम्स आफ इण्डिया तथा संबंधित प्रकाशनों और 'सोवियत यूनियन सोर्स' जिसका अर्थ एक्सपोर्टिंग फर्म था, के मध्य संबंध बताया है। इस सौदे के बारे में लाइसेंस के लिए सरकार को अभी तक कोई आवेदन पत्र नहीं मिला है।

लघु उद्योगों का सर्वेक्षण

545. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की क्षमता और उपयोगिता का निर्धारण करने हेतु उनका अर्धवार्षिक सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण करने के लिए कुल कितनी जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार को सर्वेक्षण पर कुल कितनी लागत उठानी पड़ेगी; और

(ग) देश में कुल कितने लघु उद्योग एकक हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। आरंभ होने की तारीख से सर्वेक्षण के एक वर्ष में पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) कुल लगभग 5300 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अनुमानित व्यय लगभग 2.8 करोड़ रुपये है ।

(ग) वर्ष 1972 के अन्त तक राज्य उद्योग निदेशालय के पास 3,18,170 लघु उद्योग एकक पंजीयित थे ।

नई दिल्ली में "पी० आई० बी० टुडे एण्ड टुमारो" शीर्षक पर आयोजित गोष्ठी

546. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने 20 मई, 1973 को नई दिल्ली में "पी० आई० बी० टुडे एण्ड टुमारो" पर आयोजित गोष्ठी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या सरकार जन संचार के साधनों की चुनौतियों का सामना करने के लिये पी० आई० बी० में संरचनात्मक परिवर्तन करने का विकार कर रही है। और यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। गोष्ठी 21 मई, 1973 को हुई थी ।

(ख) गोष्ठी का उद्देश्य पत्र सूचना कार्यालय की विभिन्न सेवाओं तथा कार्यों का पुर्नविलोकन करना तया वर्तमान गतिविधियों में संभव परिवर्तनों और उन नई दिशाओं, जिनमें इसके प्रचार प्रयास होना चाहिये, के बारे में विचार करना था ।

(ग) संगठनात्मक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार की गोष्ठी में व्यक्त विचारों का इस प्रकार के सुधार के लिये हमेशा ही उपयोग किया जाता है।

बाल फिल्म सोसायटी को फिल्म प्रभाग के अधीन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

547. **श्री श्रीकिशन मोदी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाल फिल्म सोसायटी को फिल्म प्रभाग के अधीन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या बाल फिल्मों का निर्माण फिल्म वित्त निगम द्वारा किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना की प्रस्तावना

548. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना की प्रस्तावना में बड़ी सीमा तक ब्रिटिश पत्रिका "मिनर्वा", 1971 के खण्ड-9 में प्रकाशित ससेक्स विश्वविद्यालय के 'पेपर' को उद्धृत किया गया है;

(ख) क्या उसमें इकानामिक कोआपरेशन एण्ड डेवलपमेंट नामक अपनी संस्था के लिए एम० आई० टी० के प्रो० हार्वे बुक्स की अध्यक्षता में वैज्ञानिक नीतियों संबंधी अध्ययन करने वाले तदर्थ दल द्वारा दिए गए वक्तव्य के विचारों को भी उद्धृत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) से (ग) : "विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपक्रम" की प्रस्तावना का अंश; जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की सामान्य रूप से चर्चा की गयी है, विकास के प्रकरण में वैज्ञानिक नीति के सिद्धान्तों का एक विवरण है। इन सिद्धान्तों का निरुपण कई प्रलेखों में हुआ है जिनमें हार्वे बुक्स प्रतिवेदन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रलेख भी है। जिसे ससेक्स विश्वविद्यालय के एक दल और कई अन्य व्यक्तियों ने तैयार किया था। अपने उपक्रम प्रपत्र के निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने कई प्रकाशनों से परामर्श लिया था तथा उनका प्रयोग किया था। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि इस प्रपत्र में एक बड़े पैमाने में इन प्रलेखों को उद्धृत किया गया है। इस उपक्रम प्रपत्र में कुछ मूल विचारों को अपनाने के साथ भारतीय परिस्थितियों में इन विचारों की सार्थकता पर विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इन विचारों का समर्थन कई वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविज्ञों तथा देश के अन्य शैक्षिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है।

परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रलेख का मसौदा बनाते समय कुछ स्त्रोत प्रकाशनों के कुछ वाक्य किसी उचित अभिस्वीकृति के बिना इसमें अपना लिये गये थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने अपनी प्रेस-प्रकाशनी में इस भूल पर खेद प्रकट किया है।

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और आविष्कार संवर्धन बोर्ड का विलय

549. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय अनसधान विकास निगम और आविष्कार संवर्धन बोर्ड का आपस में विलय किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस नए संस्थान का क्षेत्र-विस्तार और कार्य क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) 1 अप्रैल, 1973 से आविष्कार संवर्धन मंडल का भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ विलयन कर दिया गया था। विलयन संबंधी यह निश्चय इसलिये किया गया कि आविष्कार संवर्धन मंडल और राष्ट्रीय अनुसंधान निगम दोनों का कार्य एक ही प्रकार का था।

(ख) इस पुनर्गठित राष्ट्रीय विकास निगम का कार्य देश के अनुसंधान की प्रतिभा का विकास करना, आविष्कारकों द्वारा जिनमें निजी क्षेत्र के आविष्कारक भी सम्मिलित हैं, किये गए अनुसंधानों को संस्वीकृति प्रदान करना तथा अनुसंधानों का विकास और उनका वाणिज्यीकरण करना है।

सीमेंट का वितरण

550. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट के समान वितरण हेतु उपाय करने को कोई विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सीमेंट नियंत्रण आदेश में कुछ सुधार करने का विचार है; और

(ग) सीमेंट के वितरण को नियमित करने के लिये और क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) बिजली की कमी आदि के कारण सीमेंट की अपर्याप्त प्राप्यता को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया है कि राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों को जुलाई, 1973 से पिछले पांच वर्षों की उनकी खपत के आधार पर सीमेंट की उपलब्ध मात्रा का समान वितरण किया जाए। प्रत्येक राज्य के लिये कोटा निश्चित कर दिया गया है। अब सिंचाई तथा विद्युत् की बड़ी परियोजनाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सीधे राज्य प्राधिकरणों को प्रदत्त कोटे से करनी होगी। लेकिन उससे कहा गया है कि वे सिंचाई तथा विद्युत् शक्ति परियोजना को नियम सीमेंट के परिमाण को राज्य के कोटे में स्थानांतरित न करें। प्रतिरक्षा, रेलवे, निर्माण विभाग, अणु-शक्ति, इस्पात उद्योग, पैट्रोलियम तथा रसायन आदि के समान केन्द्रीय सरकारी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्र सरकार के द्वारा सीधे की जाएगी। प्रत्येक राज्य को दिये उनके कोटे में से वे विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं का समन्वयन करेंगे। विभिन्न विभागों से परामर्श करके अपनी आवश्यकताओं को समन्वित करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया है। राज्य का समन्वयन प्राधिकारी उन विभागों से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा, जिन्हें सीमेंट नियंत्रक के द्वारा सीमेंट फैक्ट्रियों से अपनी आवश्यकता के अनुरूप सीमेंट लेने के प्राधिकार दिये जाने चाहिये। कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत सरकारी विभागों तथा अन्य परियोजनाओं के लिये उठा रखा गया है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत संगठित उद्योगों के लिये नियत किया गया है। शेष 30 प्रतिशत गैर-सरकारी

वितरण के लिये है। क्योंकि यह इससे पूर्व के परिमाण से अपेक्षाकृत कम है, राज्य सरकारों को इसके खुदरा वितरण के नियमन के लिये मूल्यों की अधिसूचना करने तथा राज्य सरकारों के प्राधिकारियों के द्वारा जारी किये परमिटों से सीमेंट के वितरण के नियंत्रक उपाय लागू करने का निवेदन किया गया है। 15 राज्य सरकारों को 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के आदेश जारी किये गए हैं।

इस समय सीमेंट का मूल्य तथा वितरण 1951 के उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गए सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के अनुरूप नियमित होते हैं। 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आवश्यक संशोधनों समेत सीमेंट नियंत्रण आदेश जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है।

रायलसीमा (आन्ध्र प्रदेश) के आर्थिक विकास में असंतुलन

551. **श्री पी० वैंकटासुब्बैया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायलसीमा के आर्थिक विकास में असंतुलन बढ़ता जा रहा है और आन्ध्र प्रदेश में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा और बाकी दो क्षेत्रों की प्रति-व्यक्ति आय के बारे में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, यह बताना सम्भव नहीं है कि परिमाण के अनुसार इनमें कितना अन्तःक्षेत्रीय असंतुलन है।

राज्य सरकार ने रायलसीमा के 21 सामुदायिक विकास खण्डों के चार ज़िलों यानी चित्तूर, कुड्डपाइ, अनन्तपुर और कर्नूल को पिछड़ा क्षेत्र बताया है। (सूची संलग्न है)। रायलसीमा क्षेत्र के विकास के लिये दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिये रायलसीमा आयोजन तथा विकास बोर्ड का गठन किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य योजना परिव्ययों में 10 प्रतिशत को तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आन्ध्र में 5 : 3 : 2 के अनुपात में वितरित कर इसे तरजीह प्रदान की हैं।

विवरण

"राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पिछड़े क्षेत्र"

जिला	तालुका/खण्ड
1	2
	आंध्र प्रदेश
1—चित्तूर	1. थम्बुलापल्ली
2—कुडापाई	2. लक्कीरेड्डीपाल्ली
3—अनन्तपुर	3. जम्मलामाड्डुगु
	4. सिंगनामाला
	5. तडीपतरी
	6. गूटी

1	2
	7. उरावकोंडा
	8. चन्नाकोथापल्ली
	9. कल्याणदुर्ग
	10. कम्बादुर
	11. रायदुर्ग
	12. कंकल
	13. कादिरी पश्चिम
4—कर्नूल	14. अदोनी
	15. यमीगानर
	16. अलर
	17. पाथीकोंडा
	18. धोने
	19. नन्दीकोथर
	20. नरकपुर
	21. रनागनापलि

मसर्स मारुति लिमिटेड के बड़े-बड़े शेयर धारियों को आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये जाना

552. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड में 10,000 रुपए और इससे अधिक पूंजी लगाने वाले 90 शेयरधारियों और उन निकायों के निदेशकों, जहां शेयरधारी निगमित निकाय हैं, में से कितने शेयरधारियों को शेयर-धारी बनने की तिथि से लेकर आज तक आशय पत्र और औद्योगिक लायसेन्स मिले हैं; और

(ख) आशय पत्र और लायसेन्स प्राप्त करने वालों के नाम तथा अन्य विवरण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी. सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1971 मारुति लिमिटेड के उन शेयरधारियों को दिए गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेन्सों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है, जिन्होंने उसमें 10 हजार रु० अथवा उससे अधिक की पंजी लगाई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5183/73] कंपनी के उन निदेशकों के सम्बन्ध में जो अपनी सम्मिलित हैसियत से मारुति लिमिटेड के शेयरधारी हैं, के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसास्त सामग्रियों के निर्माण में विदेशी कम्पनियों का भाग और उनके द्वारा विदेशों में भेजी गई धन राशि

553. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबुन, टूथपेस्ट और पाउडर, टैलकम-पाऊडर, क्रीम, शेविंग क्रीम आदि के निर्माण और इन उत्पादों की भारत में बिक्री में विदेशी कम्पनियों का कितना हिस्सा है;

(ख) इन कम्पनियों ने कुल कितना मुनाफा, लाभांश, स्वामित्व और शुल्क विदेशों में भेजा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों द्वारा भेजे जाने वाले धन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और उसे कठोरता से लागू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कराण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) साबुन, टुथपेस्ट तथा मंजन, टैल्कम पाउडर एवं फेस-क्रीम के उत्पादन में लगी संगठित क्षेत्र की विदेशी कम्पनियों के हिस्सों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

वस्तु	1972 में संगठित क्षेत्र के एककों के कुल उत्पादन में विदेशी कम्पनियों के उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा
साबुन	45.0
टुथ पेस्ट	80.6
टैल्कम पाउडर	53.0
फेस-क्रीम	27.5

शेविंग-क्रीम के बारे इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1969, 1970 तथा 1971 में भेजी गई कुल राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1969	332.96
1970	348.72
1971	254.84

(ग) तथा (घ) सरकार की नीति सामान्य करों का भुगतान कर देने पर लाभों/लाभांशों के विदेशों को निर्बाध रूप से भेजने का है। जहां तक रायल्टी तकनीकी जानकारी, एवं शुल्क आदि बाहर भेजने का सम्बन्ध है, ऐसे प्रेषण सरकार के द्वारा विशेषरूप से अनुमोदित समझौतों के अनुसार होते हैं तथा उनकी अवधि सीमित होती हैं। इस प्रकार स्वीकृत प्रेषणों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फिर भी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करने का विचार है जिससे देश में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों के कार्य-कलापों का प्रभावशाली ढंग से विनियमन किया जा सके।

विज्ञापन दाताओं पर सरकारी दबाव

554. **श्री मधुलिमये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ऐसे पत्र मिले हैं जिनमें सरकार द्वारा विज्ञापनदाताओं पर परोक्ष रूप से दवाब डालने की शिकायत की गई है ताकि वे उन पत्रों को अपने विज्ञापन न दें जो सरकार की आलोचना करते हैं,

(ख) क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है कि बड़े बड़े विज्ञापनदाताओं ने सामूहिक रूप से 'मदर इंडिया' को विज्ञापन देना बन्द कर दिया है;

(ग) क्या यह आरोप भी लगाया गया है कि समाचार एजेंसियों तथा प्रमुख समाचार पत्रों को प्रधान मंत्री की आलोचना करने वाले वक्तव्य प्रकाशित न करने की सलाह दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या वह एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण नियुक्त करेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) 'मदर इंडिया' के प्रकाशक से इस आशय का एक पत्र मिला है।

(ग) तथा (घ) इस प्रकार का अरोप स्वयं सदस्य द्वारा प्रधान मन्त्री को भेजे गए एक पत्र में लगाया गया है। आरोप सही नहीं है। मामले की जांच करने के लिए किसी ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता।

विलासिता और आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन

555. **श्री मधु लिमये** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से 1972-73 के बीच वर्ष वार कितने टेलीविजन सेटों, रेफरीजरेटरों, रूम एयर कन्डीशनर तथा मोटर गाड़ियों का वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मिलों में चीनी, वनस्पति घी और सूती कपड़े का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में भारी वृद्धि और भाग (ख) में उल्लिखित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी सरकार की समाजवाद की नीति के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस असतुलन को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या 5184/73]

(ग) और (घ) सरकारी नीति का मूल्यांकन कुछ चुने हुये उद्योगों में थोड़े से समय की उत्पादन प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता। चीनी, वनस्पति, मिलों में बने सूती कपड़े के उत्पादन स्तर पर काफी सीमा तक स्वदेश में उन कृषि उत्पादों के उत्पादन पर निर्भर है जिनपर यह निर्भर हैं। खेतों के उत्पादन के आधार पर उत्पादन घटता बढ़ता रहा है। टेलीविजन सेटों का उत्पादन केवल जनवरी 1969 से ही आरम्भ हुआ। टेलीविजन का सार्वजनिक प्रसार के श्रव्य दृश्य साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। मोटर-गाड़ियों के क्षेत्र में कम मूल्य के वाहनों जैसे स्कूटरों, मोटर साईकलों, आटो रिक्शा और मोपेड के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जबकि रेफरीजरेटरों, रूम एयर कन्डीशनरों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। परन्तु उनके उत्पादन का समग्र स्तर देश के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। देश में खपत वाली विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन को सीमित करने और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार करने सम्बन्धी विस्तृत नीतियों का पांचवीं योजना के अभ्यासों के रूप में निर्धारण किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कर्मचारी कल्याण केन्द्र ऊटाकमंड से ज्ञापन

556. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान फोटोमिल्म कर्मचारी कल्याण केन्द्र, ऊटाकमंड (नीलगिरी) से इनकी न्यायोचित शिकायतों और मांगों सम्बन्धी कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसको रूपरेखा क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस वकर्स वैलफेयर सेन्टर ने 10-11-1972 को मांग पत्र पेश किया था। 25-5-1973 को कम्पनी के तीन यूनियनों ने संयुक्त कार्यवाही परिषद का गठन किया है और उन्होंने मांग पत्र पेश किया है जो कि मोटे तौर पर वकर्स वैलफैयर सेन्टर की मांगों जैसा है। मांगे निम्नप्रकार हैं :—

(1) 1-1-1970 से अन्तरिम सहायता का भुगतान ।

(2) वेतन निर्धारित करने में असंगति को हटाना।

(3) प्रतिपूरक भत्ते में वृद्धि।

(4) रात्रि पारी तथा दुग्ध भत्तों का भुगतान।

(5) वरिष्ठता सूची और समान योग्यता का निर्णय तथा सभी खाली स्थानों का भरना।

(6) सभी के लिये मकान किराया और क्वाटरों की श्रेणीबद्ध प्रणाली।

(7) अवकाश यात्रा कन्शेसन।

(8) भारगीय प्रणाली की दवाओं की राशि की प्रतिपूर्ति।

(9) सभी गैर-कानुनी सजाओं को वापिस लेना।

(10) प्रशिक्षु सेवा शर्तों को नियमित करना।

(11) कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों का पुनर्वास करना।

(ख) संयुक्त कार्यवाही परिषद के साथ कम्पनी के प्रबन्धकों ने तीन वार बातचीत की और उनमें हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस वर्क्स वैलफैयर सेन्टर के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बातचीत के बीच ही कम्पनी ने कर्मचारियों को 300 रुपये अग्रिम धन दे दिया जो उस शेष धन राशि में संमजित होगा जो कि फैसला होने पर कर्मचारियों को दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने के संबंध में जारी किए गए निर्देश

557. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को इस आशय का कोई निर्देश जारी किया है कि वे किसी प्रकार की राजनीतिक गति विधि में अन्तर्ग्रस्त न हों, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्देश जारी करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत, कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो किसी ऐसी राजनैतिक पार्टी अथवा संगठन का, जो राजनीति में भाग लेती है, सदस्य बनेगा और न किसी अन्य प्रकार से उससे सम्पर्क ही रखेगा और न किसी, राजनैतिक आन्दोलन अथवा कार्यों में चन्दा देने अथवा किसी अन्य प्रकार से सहायता करके, भाग ही लेगा। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5(1) के उपबन्धों की पुनरावृत्ति करते हुये 18 जुलाई, 1969 को अनुदेश भी जारी किये गये थे जिसमें विशेषतः यह आवश्यक समझा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को न केवल राजनैतिक तटस्थता ही बनाये रखना चाहिये, बल्कि उसे तटस्थता का निर्वाह करते हुये दिखाई भी पड़ना चाहिये और उन्हें ऐसे किसी भी संगठन के कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिये अथवा उसके साथ सम्पर्क ही रखना चाहिये जिसके सम्बन्ध में यह समझने की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि उस संगठन का कोई राजनीतिक पहलू है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा अथवा प्रदर्शन में भाग लिया जाना उपर्युक्त केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5(1) के अर्थों के अन्तर्गत राजनैतिक आन्दोलन अथवा कार्य में भाग लिया माना जायेगा। इस प्रश्न पर विचार किया गया है और आचरण नियमों में विद्यमान व्यवस्था तथा पहले जारी किये उपयुक्त विषयक अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये यह महसूस किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी राजनैतिक पार्टी द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक/सभा अथवा प्रदशन में सक्रिय भाग लेने का यह अर्थ समझा जायेगा कि उसके द्वारा किसी राजनैतिक पार्टी की सहायता की जा रही है। उदाहरणतः, यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी किसी बैठक/सभा अथवा प्रदर्शन को संगठित करने अथवा संचालित करने में सक्रिय अथवा विशिष्ट रूप से भाग लेता है, अथवा स्वयं उसमें भाषण देता है, अथवा ऐसी बैठकों आदि में निरन्तर या कभी कभी जाता है, तो उसके इस प्रकार के कार्यों से इस प्रकार की धारणा बनने की संभावना है कि वह किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि में भाग ले रहा है। इसलिये राजनैतिक तटस्थता के विषय में उन पर किसी भी प्रकार का संदेह न होने देने के लिये, तदनुसार 17 फरवरी, 1973 को अनुदेश जारी किये गये थे कि यह बात स्वयं सरकारी कर्मचारियों के हित में होगी कि वे ऐसी वैठकों अथवा प्रदर्शनों में भाग न लें।

पांचवीं पंच वर्षीय योजना क अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करने क लिए गुजरात में परियोजना मूल्यांकन सैल की स्थापना

558. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पांचवी योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करने और उनका शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिये एक परियोजना मूल्यांकन सैल बनाया है;

(ख) क्या यह सैल योजना आयोग में उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन सैल की तरह का है; और

(ग) यदि हां, तो यह सैल राज्य को बेहतर समन्वय हेतु कहां तक लाभ पहुंचायगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात फिल्म्स को फिल्म वित्त निगम द्वारा दिए गए अपर्याप्त ऋण

559. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने अन्य भाषाओं की फिल्मों की अपेक्षा वृत्तचित्रों सहित गुजरात फिल्मस को काफी धन नहीं दिया है और यदि हां, तो क्यों; और

(ख) ये ऋण किस आधार पर मंजूर किये जाते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। 31 मार्च, 1973 तक, फिल्म वित्त निगम ने गुजराती भाषा की 10 डाकुमेंट्री फिल्मों समेत 14 फिल्मों के लिये ऋण मंजूर किये।

(ख) फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण भाषा राज्य का विचार किये बिन प्रत्येक आवेदन पत्र के गुण-दोष के आधार पर मंजूर किये जाते हैं।

गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना

560. श्री प्रभुदास पटेल

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पांचवीं योजना के कार्यक्रम के अंग के रूप में राज्य में औद्योगिक विकास के विविधीकरण की नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के अनुसार अल्प विकसित क्षेत्रों में दर्जनों लघु उद्योग एकक स्थापित किये जायेंगे?

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन अविलम्बनीय योजनाओं को पूरा करने के लिये अधिक धन नियत करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस बारे में राज्य को आश्वासन दिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउरहमान अन्सांरी) : (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा पांचवीं योजना पर दृष्टिकोण (अप्रोच पेपर) तथा गुजरात की 1973-74 की भावी योजना (परस्पेक्टिव प्लान) तैयार की गई है जिनमें पांचवीं योजनावधि में उद्योगों के विकास हेतु नीति का निर्धारण किया गया है; इन प्रलेखों में उद्योगों को विस्तार तथा लघु उद्योगों की स्थापना द्वारा अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

(ग) और (घ) : योजना आयोग को गुजरात सरकार का पांचवीं योजना का प्रारूप अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

पांचवीं योजना में आर्थिक सहयोग के बारे में मित्र देशों से बातचीत

561. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री आर०वी० स्वामीनाथन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना की आवश्यकतानुसार आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रबन्धों को अंतिम रूप देने हेतु मित्र देशों से अनेक वार्तायें की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों द्वारा दी जाने वाली तकनीकी तथा अन्य सहायता की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) ये वार्तायें किन देशों के साथ की गई और प्रत्येक देश ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में कितनी सहायता का आश्वासन दिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान तथा दीर्घकालीन आधार पर आर्थिक सहयोग की गुंजाइस का पता लगाने की दृष्टि से रूस, चेकोस्लोवाकिया, पौलैंड, हंगरी, रूमानिया, जर्मनी गणराज्य, नेपाल, बंगलादेश तथा ईराक जैसे मित्र देशों से विचार-विमर्श किये गये हैं इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार से अभिनिर्धारिण कर लिया गया है। इनमें वैज्ञानिक तथा प्रोद्योगिकी सहयोग के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, परिवहन तथा बिजली जैसे अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हैं। अभिनिर्धारित क्षेत्रों में सहयोग के स्वरूप तथा व्याप्ति का अधिक सुदृढ़ आधार पर मुनिश्चय करने लिये तकनीकी स्तर पर विस्तृत अध्ययन आरम्भ कर दिये गये हैं।

दिल्ली में डाके, हत्या और बलात्कार की घटनाएं

562. श्री झारखंडे राय :

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छः मास में राजधानी के विभिन्न भागों में डाके, ब्लातकार और हत्या तक की अनेक घटनाओं और अन्य अपराधों के समाचार प्राप्त हुये हैं जिनमें तीन पहियों वाले स्कूटर चालकों का हाथ था;

(ख) क्या पुलिस ने इन घटनाओं की जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) भविष्य में इनकी पुनरावृति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 1-1-73 से 30-6-73 तक की अवधि में हत्या, डाके और बलात्कार की घटनाओं, जिसमें तीन पहिये वाले स्कूटर चालक थे, और पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल के परिणाम का विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सख्या एल० टी० 5185/73**]

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(i) तीन पहिये वाले स्कूटरों के चालकों की नियमित जांच की जा रही है।

(ii) तीन पहिये वाले स्कूटरों के चालकों और संदिग्ध समाज-विरोधी तत्वों के पूर्ववृत का सत्यापन किया जा रहा है।

(iii) स्कूटर चालकों को दिये जाने वाले परमिटो को जारी करने के लिये शर्तों को सख्ती से लागू करना।

(iv) दिल्ली मुख्य और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर लाइन लगाने की प्रणाली शुरू की गई है जिसके अनुसार आटो रिक्शाओं को ठहराव स्थान में दो लाइनों में खड़ा किया जाता है। चालक सवारियों को उनकी यात्रा की दूरी का ध्यान किये बिना जो पहले आता है उसे पहले बिठाते हैं। इसी प्रकार की प्रणाली अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर भी अपनाई गई है।

(v) ओटो रिक्शा चालकों द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस द्वारा रात दिन विशेष छापे मारे जाते हैं।

कुपोषण के कारण उड़ीसा में हुई मौतें

563. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जून, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उड़ीसा में कुपोष्ण से लगभग चार लाख मौतों के बारे में उड़ीसा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष की टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में कुपोष्ण से लगभग 4 लाख व्यक्तियों द्वारा मौत का सामना करने के बारे में 22 जून, 1973 को "टाइम्स आफ इंडिया" में जो खबर छपी है, वह सही है या नहीं यह केवल उड़ीसा सरकार ही बतला सकती है। अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। जहां तक सामान्य कुपोष्ण का सबंध है, वह लगभग सभी राज्यों में एक जैसा है और इस संबंध में यदि उड़ीसा की विशेष समस्यायें हैं तो पांचवीं योजना पर विचार-विमर्श करते समय राज्य के प्रतिनिधियों से उन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

आसाम के दारंग जिले के उपायुक्त को प्रेषित किए गए पत्र बम

564. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के दारंग जिले के उपायुक्त को प्रेषित किया गया पत्र बम 22 जून, 1973 को तेजपुर में फट गया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच पड़ताल की है और इस पर कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) (क) जी हां।

(ख) पुलिस मामले की तफतीश कर रही है।

मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश के निकट कथित पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से पकड़ा गया साहित्य

565. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जून, 1973 को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के निकट चार कथित पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से बहुत बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक साहित्य पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भारत और कनाडा में आणविक तकनीक का आदान-प्रदान

566 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कनाडा के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष मिस्टर जे० एल० ग्रे० के भारत के बीच आणविक तकनीक के आदान-प्रदान संबंधी उदासीन रवैये के बारे में वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति सदैव ही भारतीय वस्तुओं को अधिक से अधिक प्रयोग करने की रही है। ऐसे देशों से, जो उपकरणों की सप्लाई करने के इच्छुक हैं, कुछ सीमा तक उपकरण मंगाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है।

केरल में उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के लिए केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

567. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने केरल में उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के लिए अभी हाल में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन के उर्वरक कम्प्लेक्स के दोनों चरणों को तेजी से पूरा करने और चालू करने के संबंध में तथा उद्योगमंडल में वर्तमान उर्वरक कम्प्लेक्स के कार्याचालन में सुधार के लिए सरकार कदम उठा रही है। और अधिक क्षमता निर्मित करने के सबंध में, उस क्षेत्र में मांग की स्थिति तथा समय बद्धता के संदर्भ में अध्ययन किया जायेगा।

चम्बल खादर को उपयोगी बनाने के लिये सात वर्षीय योजना

569. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चम्बल खादर को उपयोगी बनाने के लिए कोई सात वर्षीय योजना तैयार की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) खादर भूमि-सुधार संबंधी कार्यकारी दल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की डाकूग्रस्त खादर भूमि के नियंत्रण और सुधार के लिए सात वर्षीय योजना की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं।

पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सैल बनाना

570. **श्री आर०के० सिन्हा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सैल खोलने का विचार है ; और

(ख) क्या पिछड़ेपन की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी एक सैल खोलने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) योजना आयोग में हिमालय अंचल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक सैल खोला गया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित अन्य पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का कार्य योजना आयोग में बहु-स्तरीय-आयोजन अनुभाग के द्वारा किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में जिला योजनायें

571. **श्री आर०के० सिन्हा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिला योजनाओं के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या जिले पर आधारित योजनाओं में गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या योजना आयोग जिला योजनाओं के लिए राज्यों को धन देता है ; और यदि हां, तो कितना ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार को आठ पूर्वी जिलों, अर्थात् आजमगढ़, बस्ती, बलिया, मिर्जापुर, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद तथा सुलतानपुर की योजनाओं के मसौदे प्राप्त हो गए हैं । संबंधित जिलों को इस बारे में निदेश पहले ही भेज दिए गए हैं कि वे विभागीय योजनाओं तथा जिला योजना के मुख्य ढांचे पर संसद् सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों, प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों बैंकरों, सरकारी समितियों के सहभागियों तथा जनता के अन्य प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करें और उनके सुझावानुसार योजना में संशोधन करें तथा जिला स्तर की आयोजन संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करें।

(ग) योजना आयोग जिला आयोजन के लिए राज्यों को उस रूप में प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता परन्तु राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे राज्य योजना विभागों में क्षेत्रीय/जिला आयोजन यूनिट स्थापित करें ताकि जिला योजनाएं तैयार करने में जिला प्राधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके । इन यूनिटों पर राज्यों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय के दो-तिहाई अंश की केन्द्र द्वारा व्यवस्था की जाती है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

572. **श्री आर०के० सिन्हा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति नई दिल्ली, और इसके शाखा स्टोरों के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, और अन्तरिम सहायता नहीं मिलती ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके लिए कुछ पदोन्नति संबंधी नियम भी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने और उन्हें मंहगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता देने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) समिति के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) समिति के कर्मचारियों के वेतनमान समेकित हैं और इन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि से संबंधित भत्ते प्राप्त नहीं होते । तथापि, वे अंशदायी भविष्य निधि, सांविधिक बोनस तथा प्रोत्साहन बोनस का लाभ पाने के हकदार हैं जो कि औसतन सभी मिलाकर एक वर्ष में कुल चार माह के वेतन से अधिक होता है।

(ग) समिति के पदोन्नति के बारे में निर्धारित नियम हैं । विभागीय पदोन्नति समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता का विनिर्णय करती है । उपलब्धता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, विभागीय उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां रखी गई हैं ।

(घ) समिति एक रजिस्टर्ड निकाय है और यह एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। सरकार द्वारा सेवा शर्तों आदि को नियन्त्रित करने के लिए कोई नियम निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, समिति के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने का प्रश्न प्रशासन-बोर्ड तथा समिति के बोर्ड के निदेशकों के विचाराधीन है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग

573. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों के लिये लाइसेंस जारी करने के लिये सरकार किन विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इसके लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) देश के पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1973-74 और 1974-75 में कौन कौन से और कितने लघु उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) लघु एककों को उद्योग स्थापित करने हेतु कोई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कोई लक्ष्य नियत नहीं किये गये हैं । लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा राज्य उद्योग निदेशकों द्वारा किये गये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पिछड़े क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योगों के लिये सिफारिश की गई है । पिछड़े क्षेत्रों में लघु क्षेत्र में लगाये जाने हेतु अल्यूमीनियम के बर्तन, निर्माण हेतु लौह सामग्री , औद्योगिक फासनर , हाथ से चलने वाले पम्प, जी० आई० पाइप फिटिंग, बेकेलाइट बिजली का सहायक सामान, धातु चढ़े स्विच जैसे उद्योगों की सिफारिश की गई । पूर्वी उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर ने गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोंडा, बहराइच तथा फैजाबाद जिलों के औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण किये थे ।

इन रिपोर्टों से अन्य बहुत बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाएं प्रकट हुई हैं। ये रिपोर्टें उद्योग निदेशालय को भेज दी गई हैं ताकि उनके द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट में सिफारिश किये गये उद्योग स्थापित करने हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये कदम उठाये जा सकें।

फैजाबाद के लिए टेलीफोन सलाहकार बोर्ड

574. **श्री आर के० सिन्हा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद के लिये टैलीफोन सलाहाकार बोर्ड का गठन पिछली बार कब किया गया और बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त सलाहकार बोर्ड का अभी तक पुनर्गठन न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या फैजाबाद को टैलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण के बारे में अत्याधिक शिकायतों की उन्हें जानकारी है;

(घ) क्या उक्त बोर्ड का पुनर्गठन करने का विचार है और यदि हां, तो कब और टैलीफोन प्रयोक्ताओं को शिकायतों को दूर करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फैजाबाद में अभी तक टैलीफोन सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ है।

(ख) मौजूदा नियमों के अनुसार टैलीफोन सलाहकार समितियां उन स्थानों पर गठित की जाती हैं जहां जो टैलीफोन काम कर रहे हों उनकी संख्या और प्रतीक्षा-सूची में दर्ज टैलीफोन के आवेदकों की संख्या दोनों को मिला कर 1500 या इससे ज्यादा हो। फैजाबाद एक्सचेंज के मामले में, इस समय चालू कनेक्शनों और प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या कुल मिला कर सिर्फ 600 है। इसलिये यहां टैलीफोन सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ।

(ग) जी हां। यह बात सही है कि पिछले समय में टैलीफोनों पर डायल टोनन आने और गलत नम्बर आदि मिलने के बारे में एक बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन टैलीफोनों की मरम्मत करने के लिये कल-पुर्ज़ों की कमी थी। मई और जून, 1973 के महीनों में इस एक्सचेंज की पूरी ओवरहालिंग कर दी गई है और इससे टैलीफोन सेवा में काफी सुधार हुआ है। टैलीफोन पर डायल टोन न आने के सम्बन्ध में अभी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

(घ) जब फैजाबाद में काम कर रहे टैलीफोन कनेक्शनों की संख्या और प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या मिला कर 1500 तक हो जायेगी तो वहां एक टैलीफोन सलाहकार समिति का गठन कर दिया जायेगा।

पांचवीं योजना में औद्योगिक कार्यक्रम में अत्यधिक कटौती

575. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में सरकार का विचार औद्योगिक कार्यक्रमों विशेषकर इस्पात, उर्वरक और सीमेंट सम्बन्धी लक्ष्यों, में अत्यधिक कटौती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) इस समय पांचवीं योजना का मसौदा तैयार करने के लिये जो अध्ययन किये जा रहे हैं उनके समाप्त होने के बाद ही पांचवीं योजना में औद्योगिक लक्ष्य स्पष्ट हो पायेंगे । बहरहाल, इस्पात, उर्वरक और सीमेंट सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये दृष्टिकोण दस्तावेज में जो लक्ष्य रखे गये हैं, उनमें कोई कटौती करने का प्रस्ताव नहीं है । इसके विपरीत, पांचवीं योजना के दौरान इन उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।

स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभवों को लिपिबद्ध करने का प्रस्ताव

576. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में स्वतन्त्रता सैनानियों के अनुभवों को लिपिबद्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन ह ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ के समारोहों के सम्बन्ध में, आकाशवाणी के केन्द्र स्वतन्त्रता सेनानियों से भेंट वार्ताएं, प्रसारण हेतु तथा उन्हें स्थायी रूप से रखने के लिये, रिकार्ड करते रहे हैं । इन भेंट वार्ताओं का उद्देश्य स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवन सम्बन्धी पृष्ठभूमि को कवर करना तथा उनके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं और स्वतन्त्रता-संग्राम में उन के योगदान का उल्लेख करना है । अब तक 11000 से अधिक भेंट वार्ताएं रिकार्ड हो चुकी हैं और उनमें से बहुत सी प्रसारित भी हो चुकी हैं ।

गजरात में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए आर्थिक सहायता

577. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अपने राज्य के पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिये कोई बृहद योजना बनाई है जिस पर 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे ;

(ख) क्या योजना की क्रियान्विति हेतु आर्थिक सहायता के लिये यह योजना केन्द्र के पास भेज दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इसे अनुमति प्रदान कर दी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई बृहद योजना संघ सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित नहीं होनी है परन्तु बृहद योजना का उद्देश्य राज्य सरकार को उसके पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना में क्रमानुसार सहायता प्रदान करना है । जिसके लिये संघ सरकार ने कुछ सहायता प्रदान की है ।

गुजरात के उद्योगों में मिट्टी के तेल की कमी

578. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर के अनेकों भारी और आवश्यक उद्योगों पर मट्टी के तेल की कमी का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) यदि हां, तो क्या पोरबन्दर चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने उनसे यह प्रार्थना की है कि वे मिट्टी के तेल की शीघ्र सप्लाई के लिये पैट्रोलियम मंत्रालय से बात करें; और

(ग) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में उस मंत्रालय से बात की है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) इस मंत्रालय की जानकारी में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है।

राज्यों में जनशक्ति एकक

579. **श्री प्रसन्न भाई मेहता:**

श्री आर० वी० स्वामी नाथन:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे आयोग की स्टीयरिंग कमेटी द्वारा पहले नियुक्त किये गये उप-दल की सिफारिशों के आधार पर जनशक्ति एकक स्थापित करें ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने राज्य सरकारों को अन्य क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) इन सुझावों को लागू करने के लिये कितने राज्य सहमत हो गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): योजना आयोग ने राज्य योजना को प्रभावी बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता की एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों से न केवल जन-शक्ति एवं रोजगार अपितु भावी योजना, 'मोनीटोरिंग', योजना सम्बन्धी सूचना और मूल्यांकन क्षेत्रीय तथा जिला योजना, और योजनासमन्वय कार्य के लिये एककों की स्थापना करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों से शिखर योजना निकायों के गठन के लिये कहा गया है जिससे में मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री तथा विभिन्न विभागों एवं व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ हों। इस बारे में किये जाने वाले कार्य का दो तिहाई केन्द्र वहन करेगा।

(ग) योजना मशीनरी को प्रभावी बनाने के लिये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से (पूरे अथवा आंशिक) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

तकनीकी विशेषज्ञों (टैक्नोक्रेट) और प्रशासनिक अधिकारियों (ब्यूरोक्रेट) में मतभेद

581. **डा० रानेन सेन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र की सेवाओं में काम कर रहे तकनीकी विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों में हाल ही में मतभेद उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मतभेद के क्या कारण हैं और इसे दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) तकनीकी अधिकारियों की परिलब्धियों और सेवा शर्तों के बारे में उनकी शिकायत की भावना के सम्बन्ध में सरकार जागरूक है। तथापि ऐसी कोई बात नहीं है कि विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के के मध्य कोई स्थायी मतभेद हो और जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कार्य में क्षति पहुंच रही हो।

तृतीय वेतन आयोग ने तकनीकी/वैज्ञानिक सेवाओं तथा गैर-तकनीकी सेवाओं के अधिकारियों के बारे में उनकी उपलब्धियों तथा अन्य पहलुओं से सम्बन्धित कतिपय सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें जांचाधीन हैं।

ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा

583. **डा० रानेन सेन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि-मण्डल उनसे 31-5-73 को मिला था और अपनी समस्याओं पर चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कौन-कौनसे मुद्दे उठाए थे तथा उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। उक्त तारीख को ईस्टर्न इण्डिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि-मण्डल राज्य-मंत्री को मिला था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ईस्टर्न इण्डिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा 31 मई, 1973 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के साथ हुई बैठक में उठाई गईं बातें	**सरकार की प्रतिक्रिया**
(1) पश्चिम बंगाल में हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन के विरुद्ध उपाय करना।	(1) हिन्दी फिल्मों के विरुद्ध उपाय करने के बजाय, बंगला फिल्मों के प्रदर्शन के सर्कट का विस्तार करना अधिक कल्पनाशील तथा निर्माणात्मक रास्ता होगा। कलकत्ता के निर्देशकों तथा तकनीशियनों को चाहिये कि वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को अखिल भारतीय मार्केट के लिये फिल्में बनाने में जुटाएं, जैसा कि उस समय होता था जब नए थियेटरों की देश में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। चुनी-चुनी बंगला फिल्मों को डब करने में सहायता के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
(2) जिस अध्ययन दल ने पश्चिम बंगाल फिल्म उद्योग की समस्याओं और कठिनाइयों की जांच की थी, उसकी रिपोर्ट की कार्यान्विति।	(2) सरकार ने अब सरकारी क्षेत्र में एक राष्ट्रीय फिल्म निगम स्थापित्त करने का निर्णय कर लिया है, जिसके अधीन फिल्मों से सम्बन्धित सभी मामले होंगे, अर्थात् फिल्मों के आयात और निर्यात, प्रोत्साहन तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय फिल्मों के संवर्धन, अच्छे स्तर की चुनी-चुनी फिल्मों का विवरण एवं प्रदर्शन इत्यादि। अध्ययन दल की तकनीकी सुविधाओं के आधुनिकरणों, कलकत्ता में रंगीन फिल्म प्रयोगशाला की स्थापना से सम्बन्धित अन्य सिफारिशों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

(3) फिल्म प्रभाग के कार्य का कलकत्ता में स्थानांतरण ।	(3) फिल्म प्रभाग ने अपना कुछ विद्यायन कार्य कलकत्ता की प्रयोगशालाओं में स्थानांतरित कर दिया है । फिल्म प्रभाग के विकेन्द्रीकरण की योजना क्रियान्वित होने पर कलकत्ता में फिल्म प्रभाग द्वारा टेलीविज़न फिल्मों सहित वृत्तचित्रों और समाचार-चित्रों के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा । मन्शा यह है कि कलकत्ता में फिल्म प्रभाग का एक प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किया जाए ताकि फिल्में सीधे बनाने के बजाय अधिकांश कार्य कलकत्ता-स्थित बाहर के फिल्म निर्माताओं को दिया जा सके ।
(4) राज्य सरकार द्वारा फिल्म विकास बोर्ड की स्थापना ।	(4) पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिये कह दिया गया था ।
(5) बंगला फिल्मों के लिये फिल्म वित्त निगम स्क्रिप्ट समिति को कलकत्ता से कार्य करना चाहिये ।	(5) इस सुझाव को फिल्म वित्त निगम को भेज दिया गया है ।

वर्ष 1973-74 में उड़ीसा में शिक्षित युवकों के लिए रोज़गार

584. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **योजना राज्य** मंत्री ने उड़ीसा में उस राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ इस बारे में बातचीत की थी कि इस वर्ष 10,000 शिक्षित युवकों के लिये रोज़गार के अवसरों की व्यवस्था की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कुल तिना धन निश्चित किया गया था और युवकों को रोज़गार की व्यवस्था करने के लिये बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में कार्यान्वित किये जाने वाले विभिन्न रोज़गार कार्यक्रमों के संबंध में योज़ना राज्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 22 मई, 1973 को भुवनेश्वर में राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया । इन विचार-विमर्शों के दौरान राज्य सरकार को बताया गया कि विभिन्न चालू कार्यक्रमों के लिये 5.90 करोड़ रुपये आवंटित किये जा रहे हैं जिसमें 3.04 करोड़ रुपये 1971-72 में शिक्षित बेरोज़गारों के लिय आरम्भ किये गए कार्यक्रम के लिये 1.08 करोड़ रुपये 1972-73 में आरम्भ किये गए विशेष रोज़गार कार्यक्रम के लिये तथा 1.78 करोड़ रुपये 1971-72 में ग्राम रोज़गार के संबंध में आरम्भ की गई त्वरित स्कीम के लिये थे । इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त शिक्षित व्यक्तियों के लिये पांच लाख रोज़गार के अवसर सुलभ करने से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत भी राज्य सरकार को 2.80 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं । इस प्रकार 1973-74 में विभिन्न रोज़गार कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार को कुल लगभग 8.70 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे । पांच लाख रोज़गार के अवसर सुलभ करने से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित परिव्यय से 1973-74 में 15000 शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोज़गार सुलभ करने की राज्य सरकार को सलाह दी गई है ।

पांच लाख रोज़गार-अवसर सुलभ करने से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित की गई स्कीमों की मुख्य बातें यहां नीचे दर्शायी गई हैं :—

(1) उपान्त धन/मूलधन तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करके स्व-रोज़गार के अवसरों का सर्जन।

(2) छात्रवृत्ति द्वारा लोगों को प्रशिक्षण देना ताकि वे 1974-75 में विभिन्न सरकारी क्षेत्रों तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों में नियमित पदों पर कार्य कर सकें।

(3) इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के स्नातकों, आई० टी० आई० के प्रमाणपत्र-धारियों, युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं तथा असमर्थ व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिये निजी तथा सहकारी क्षेत्र के नियोजकों को प्रोत्साहन।

उड़ीसा में तालचेर में भारी जल संयंत्र

585. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने तालचेर (उड़ीसा) में भारी जल संयंत्र लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) 62.7 मीटरिक टन की उत्पादन क्षमता वाले एक भारी पानी संयंत्र की स्थापना तलचर (उड़ीसा) में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा स्थापित किये जा रहे उर्वरक संयंत्र के साथ करने के लिये भारत सरकार ने सितम्बर 1972 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स उहडे द्वारा विकसित की गई बाइ-थर्मल हाइड्रोजन अमोनिया एक्सचेंज प्रक्रिया को इस संयंत्र में प्रयुक्त किया जायेगा। इस संयंत्र पर कुल मिलाकर 21.10 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है। संयंत्रों के उपकरणों का अभिकल्पन एवं उनकी सप्लाई करने तथा संयंत्र की स्थापना करने तथा उसे चालू करने से संबंधित दो ठेकों पर मैसर्स उहड़े द्वारा हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। आशा है कि संयंत्र 1976 तक चालू हो जायेगा।

उड़ीसा में टेलीविजन कारखाना स्थापित करने के लिए लघु उद्योग निगम को लाइसेंस जारी करना

586. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में टेलीविजन कारखाना स्थापित करने के लिये लघु उद्योग निगम को एक लाइसेंस जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) 5 000 वार्षिक की क्षमता के साथ टी० वी० अभिग्राहित्रों के निर्माण के लिये एक आशय पत्र 21-3-1972 को उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम (एक राज्य सरकार उपक्रम) को भजा गया था। नवम्बर, 1972 में, उड़ीसा सरकार ने सुझाया कि इस

आशय-पत्र का क्रियान्वयन उड़ीसा लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र में किया जा सकता है। सुझाव को इलैक्ट्रानिक्स विभाग ने स्वीकृति दे दी और लघु उद्योग क्षेत्र में प्रति वर्ष 5,000 टी० वी० अभिग्राहित्रों का निर्माण करने के लिये, उड़ीसा लघु उद्योग निगम के नाम एक स्वीकृति-पत्र फरवरी 1973 में जारी कर दिया गया।

निगम ने परियोजना की क्रियान्वित के लिये हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लि० हैदराबाद के साथ एक प्रौद्योगिक सहयोग करार कर लिया है और परियोजना के लिये 1,92,700 रुपये मूल्य के उपस्कर का आयात हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर बिक्री

587. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज के अतिरिक्त अन्य कई आवश्यक वस्तुओं का चयन किया है जिन्हें सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से कम मूल्य पर बेचा जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग ने आम उपभोग की आवश्यक जिन्सों तथा वस्तुओं पर एक समिति का गठन किया है। यह समिति दीर्घ-कालीन तथा अल्पकालीन नीतियों और आम आदमी को आवश्यक जिन्सों तथा वस्तु को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करने के बारे में सुझाव देगी। आशा है कि यह समिति उचित मूल्यों पर बिक्री की जाने वाली आवश्यक जिन्सों को निर्दिष्ट करने के साथ-साथ जहां कहीं आवश्यक हो, सरकारी वितरण व्यवस्था के द्वारा बिक्री के सहित आवश्यक संचलन व्यवस्थाओं के बारे में भी सिफारिश केरेगी आशा है समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए कनाडा तथा अन्य देशों को भारत द्वारा माल का निर्यात

588. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कनाडा और अन्य देशों में स्थापित किये जा रहे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिये 35 करोड़ रुपये का माल भेजने की स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो अन्य तीसरे देशों में टर्न की जोब्स प्राप्त करने के लिये भारत द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल, जिसने हाल ही में कनाडा की यात्रा की थी, ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत द्वारा आगामी पांच वर्षों में कनाडा तथा कुछ अन्य देशों को लगभग 35 करोड़ रुपये की कीमत के न्यूक्लीय संघटक एवं उपकरण निर्यात किये जा सके।

(ख) इस समय, केवल न्यूक्लीय संघटकों एवं उपकरणों के निर्यात लिये आर्डर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 'टर्न की जांब' प्राप्त करने की संभावना का अध्ययन उचित समय पर किया जायेगा।

मैसूर राज्य के लिए पांचवीं योजना

589. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर सरकार ने योजना आयोग के राज्य को पांचवीं योजना का प्रारूप भेज दिया है जिसमें 1350 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जबकि चौथी योजना में यह राशि 350 करोड़ रुपये थी; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारें में क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर त्रिपुरा के तितंजयपारा में सशस्त्र मिजो विद्रोहिमों द्वारा ठेकेदारों के शिवरों का लूटा जाना

590. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर त्रिपुरा में कांचनपुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत तितंजय पारा में 10 जून, 1973 को शस्त्र मिजो विद्रोहियों और कुछ स्थानीय शिक्षित युवकों ने ठेकेदारों के दो शिविरों पर हमला किया तथा उन्हें लूट लिया;

(ख) क्या इस वर्ष के मई-जून महीनों के दौरान ऐसे तत्वों ने इन क्षेत्रों तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में अन्य छापे भी मारे, और यदि हां, तो उन छापों का व्यौरा क्या है और उनके कारण कितने जान-माल की हानि हुई; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्रवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) जून, 1973 में उत्तर त्रिपुरा में मिजो विद्रोहियों द्वारा दो घटनाएं हुई थीं। 3/4 जून, 1973 की रात्रि को कैला शहर सब-डिवीजन में माणिकपुर के निकट सीमा सुरक्षा बल व पुलिस और सशस्त्र मिजो विद्रोहियों के बीच गोलाबरी हुई थी। जान तथा माल की कोई हानि की सूचना नहीं है। दूसरी घटना में लगभग 6-7 सशस्त्र मिजो विद्रोहियों ने धर्मनगर सब-डिवीजन में दो व्यक्तियों की दुकानों को लूटा था।

(ग) त्रिपुरा सरकार ने स्थानीय लोगों की जान व माल की सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के आवश्यक उपाय किये हैं।

पांचवीं योजना में संयुक्त क्षेत्र का कार्य

591. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 'संयुक्त क्षेत्र' के प्रवरवोत्पादक कार्य सौंपने के लिये क्या उपयुक्त नीति बनाई गई हैं तथा कार्यक्रम बनाया गया हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : 2 फरवरी, 1973 को सरकार की औद्योगिक नीति के निर्णयों के सम्बन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति जिसकी प्रतियां दिनांक 21-2-1973 को उत्तर दिये गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 281 के संलग्नक के रूप में सभा पटल पर रखी गई थी, में संयुक्त क्षेत्र के दायित्वों को स्पष्ट किया गया है।

शोलापुर, महाराष्ट्र में प्रसारण केन्द्र

592. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर, महाराष्ट्र में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : **(क), (ख) और (ग)** शोलापुर में रेडियो स्टेशन की स्थापना का मुद्दा, प्रसारण से सम्बन्धित पांचवी योजना के हमारे प्रस्तावों के मसौदे में सम्मिलित किया गया है जो अब योजना आयोग के विचाराधीन हैं। भूमि सर्वेक्षण, आदि के के संबंध में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

औद्योगिक उत्पादन

593. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन के बारे में क्या सामान्य दृष्टिकोण अपनाया गया है और अब तक क्या सफलता मिली है; और

(ख) किन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादन का स्तर एकरूप रहा है तथा किन वस्तुओं के उत्पादन में कमी हुई है और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में हुई कमी बेसी के आंकड़ें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : **(क) और (ख)** एक विवरण संलग्न हैं **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये एल० टी० 5186/73]**

क्षेत्रीय भाषाओं को संख्या जिनमें 'टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है

594. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे आकाशवाणी केन्द्रों और क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है जिनमें जब संसद् का सत्र चल रहा होता है, 'टुडे इन पार्लियामेंट' अथवा 'संसद् समीक्षा' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है या 'रिले' किया जाता है; और

(ख) देश के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से सभी क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम 'रिले' न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 'टुडे इन पार्लियामेन्ट' तथा 'संसद् समीक्षा' को क्रमशः अंग्रेज़ी और हिन्दी में आकशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित किया जाता है और 34 अन्य केन्द्रों से रिले किया जाता है। यह कार्यक्रम किसी भी प्रादेशिक भाषा में प्रसारित नहीं किया जाता।

(ख) बड़ी संख्या में शार्टवेव ट्रांसमिटरों की आवश्यकताओं के कारण तकनीकी रूप से इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित करना सम्भव नहीं है।

डाक तथा तार क्षेत्रीय सलाहकार समितियां

596. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न सर्किलों में डाक तार क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से उन समितियों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने 1973 के पूर्वार्द्ध में बैठक की है; और

(ग) अन्य समितियों द्वारा कोई भी बैठक आयोजित न करने के क्या कारण हैं तथा इन समितियों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) 22।

(ख) और (ग) वर्ष 1973 में इन समितियों की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। इस का कारण यह है कि इन, समितियों में सदस्यों को नामजद करने के नाम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाना

597. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा और राज्य सभा के उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके काम पर टेलीफोन नहीं लगे हुए हैं;

(ख) उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं परन्तु जिनमें अभी तक टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक सदस्य ने किस-किस तारीख को अपने निर्वाचित क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन-पत्र भेजे थे; और

(घ) ये टेलीफोन लगाये जाने में विलम्ब के क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) इस प्रश्न का उत्तर संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है। [**ग्रंथालय** में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5187/73]।

छोटा नागपुर और संथाल परगना में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

598. **श्री सत्य चरण बेसरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973-74 के दौरान छोटानागपुर डिवीजन और संथलि परगना जिले में सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई नए उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों और स्थानों के नाम क्या हैं तथा उनकी क्षमता क्या है और उन पर कितनी पूंजी खर्च की जाएगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विकास

599. **श्री सत्य चरण बेसरा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य ने पश्चिम बंगाल में नमक उद्योग के विकास के लिये कितने प्रस्ताव भेजे थे; और

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार सहित पश्चिम बंगाल राज्य से वर्ष 1970, 1971, 1972 और 1973 (जनवरी से जुलाई 73) में नमक उद्योग के विकास के लिए क्रमशः 3, 4, 4 और 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रस्तावों के सम्बन्ध में काम हो रहा है परन्तु आवश्यक ब्योरों के उपलब्ध न होने से विलम्ब हो रहा है। अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दी गई है।

खाद्य पदार्थों की दुकाने लूटने के कारण की गई गिरफ्तारियां

600. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम मार्च से 30 जून, 1973 तक प्रत्येक राज्य में गेहूं चावल और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें लूटने की कितनी घटनाएं हुईं ?

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) औप (ख) हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों और अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, गोवा दमन व दीव, लक्कादीव, मिनिकाय अमिनदीवी द्वीपसमूह, पाण्डिचेरी तथा अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। मैसूर राज्य सरकार तथा दिल्ली प्रशासन प्रत्येक ने ऐसी घटना की एक-एक रिपोर्ट दी है। इस सम्बन्ध में मैसूर में 62 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे। दिल्ली में अब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की जाच की जा रही है। शेष राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना अभी आनी है।

(ग) जबकि खाद्यान्नों का नियमित सम्भरण सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं, जो व्यक्ति राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती का समाचार

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार (दुर्ग) : श्रीमान्, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

समाचार पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में तीस प्रतिशत की कथित कटौती

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि वर्ष 1973-1974 के लिए अखबारों के अखबारी कागज के आवंटन में संसार में अखबारी कागज की उपलब्धि की कमी के कारण 30 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी। कटौती जिन परिस्थितियों में करनी पड़ी उनके निम्नलिखित कारण हैं :—

इस वर्ष के प्रारंभ में, वित्त मंत्रालय ने देश में समाचारपत्रों के वितरण के लिए अखबारी कागज की 2,45,000 टन की मात्रा स्वीकृत की थी। इसमें लगभग देश में बना 40,000 टन कागज (नेपा मिल) शामिल था जो हायर ग्रामेज (Higher grammage) के लिए 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ण को काटने के बाद वितरण के लिए 33,400 टन रह गया। इस प्रकार 2,08,600 टन अखबारी कागज के आयात के का अन्दाजा था।

प्रारम्भ में विदेशों से अखबारी कागज की इस मात्रा को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती थी। इसके कारण कनाडा तथा स्केन्डेनेविन देशों के सप्लाई करने वालों के वर्तमान अवधि के वचनबद्धता के कारण तथा रुपये श्रोतों से पहले ही अनुमानित 1,61,000 टन के व्यापार योजना व्यवस्थायें थी। विश्वव्यापी टेंडर (ग्लोवल टेंडर) के अन्तर्गत बंगला देश द्वारा पेशकश किये 20,000 अतिरिक्त टन, कैनाडा से सहायता के अन्तर्गत 22,000 टन तथा ग्लेज्ड/रोटोग्रेवर अखबारी कागज के 9,000 टन के साथ, आयात की मात्रा अच्छी तरह से पूरे होने की संभावना थी।

तथापि, निम्नलिखित कारणों से यह प्रत्याशित उपलब्धि पूरी नहीं हुई :—

कनाडा तथा स्कैंडेनेविन सप्लाई करने वालों ने डालर के अवमूल्यन के कारण वर्तमान करारों पर उनके साथ पुनः बातचीत के लिए जोर दिया। राज्य व्यापार निगम द्वारा ली गई कानूनी राय यह थी कि उनका यह स्टेंड युक्तियुक्त नहीं है। तथापि यह अनुभव किया गया कि प्रतिवादियों के देश में मध्यस्थता या कानूनी कार्यवाही में समय लगेगा और यदि इन स्रोतों से किसी न किसी कारण सप्लाई बन्द नहीं होती तो भी इसमें देर हो सकती है. क्योंकि सार्वदेशिक कमी के कारण निहित मात्रा को पूरा करने के लिए खरीदने के लिए कोई और विकल्प नहीं है। यह अनुभव किया गया कि हमें वर्तमान करारों का अधिकतम संभव लाभ उठाना चाहिए। अतएव करारों पर फिर बातचीत शुरू की गई तथा कनाडा से 70,000 टन, की मात्रा की जो आशा थी वह केवल 60,000 टन उपलब्ध हुई तथा स्कैन्डेवियन देशों से 30,000 टन के स्थान पर केवल 13,000 टन कागज उपलब्ध हुआ।

जहां तक सोवियत संघ का संबंध है; 50,000 टन व्यापार योजना व्यवस्था (ट्रेड प्लान प्रोविजन) के बदले केवल 28,000 टन की सप्लाई की कीमत पर करार हो सका। शेष मात्रा के बारे में बातचीत 1973 के अन्त तक होनी है। चैकोस्लोवेकिया से 7,000 टन की उम्मीद थी पर उसने 5,700 टन सप्लाई की है और कीमत की बातचीत चल रही है। पोलेंड से 4000 टन की आशा थी पर उसके स्थान पर केवल वह 1000 टन सप्लाई करेगा।

बंगला देश के मामले में, यद्यपि उन्होंने 20,000 टन की मात्रा के लिए टेंडर किया था (10,000 टन फर्म तथा 10,000 टन आपशन), परन्तु उन्होंने अभी तक केवल 10,000 टन की सप्लाई के लिए करार किया है ।

कैनेडियन सहायता के अन्तर्गत अभी तक कुछ मात्रा भी उपलब्ध नहीं हुई है। एक टेंडर इन्क्वारी के बदले अखबारी कागज की केवल दो पेशकश थीं। अखबारी कागज का जो विवरण दिया गया था वह इस देश के समाचारपत्रों को स्वीकार्य नहीं था। कनाडा के सप्लाई करने वालों से अभी बातचीत चल रही है।

प्रधान मंत्री के साथ कैनाडा में जो सरकारी प्रतिनिधिमंडल गया था उसने भी अखबारी कागज के अतिरिक्त सप्लाई के प्रश्न को उठाया था। तब जो प्रयत्न किये गये उन पर अब दौत्य तथा अन्य स्तरों पर बातचीत हो रही है।

इस प्रकार 1973 के लाइसेंसिंग वर्ष के लिए आवंटन के लिए अबतक आयातित तथा देशी दोनों ही प्रकार के अखबारी कागज की वास्तविक उपलब्धि 1,63,000 टन होती है। इसमें एक छोटी सी नये समाचार-पत्रों के लिए अलग रही गई है। इससे उन वर्तमान समाचारपत्रों, जिनका 1972-73 के दौरान अखबारी कागज के खपत के उपयोग के द्वारा 2,30,000 टन कागज का अनुमान है, के आवंटन के लिए 1,57,000 टन शेष बचता है।

हकदारी के आधार पर इस खपत को देखकर, उपलब्ध अखबारी कागज आवश्यकताओं का केवल 68.30 प्रतिशत अंश पूरा कर सकता है। दूसरे शब्दों में 31.70 प्रतिशत की कमी है। अतएव, एक समाचार-पत्र की हकदारी में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। अखबारी कागज आवंटन नीति में यह विशिष्ट रूप से बताया गया है कि अखबारी कागज की उपलब्धि में जैसे-जैसे वृद्धि होगी, की गई कटौती कम होती जायेगी।

अखबारी कागज के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 30 प्रतिशत कटौती सभी समाचारपत्रों पर समान रूप से लागू होगी। तथापि, आवंटन नीति के सीमा के अन्तर्गत सरकार छोटे समाचार पत्रों को अधिक से अधिक यथासंभव सहायता देने का प्रयत्न करेगी।

समाचार पत्र के सार्वभौमिक कमी के कारण, आयातित अखबारी कागज का मूल्य बढ़ा है। 1972-73 की कीमत के स्थान पर कैनाडा से मानक अखबारी कागज औसत प्रतिटन अमेरीकन 53.34 डालर (400.35 रुपए) अधिक स्कैंडेनेविवान से अमेरीकन 15 डालर (112.50 रुपए) प्रति टन अधिक, बंगला देश से 143 रुपये प्रति टन अधिक, रूस से 582.17 रुपए प्रति टन अधिक तथा पोलेंड से 526 रुपए प्रति टन अधिक होंगे। चैकोस्लोवाकिया के अखबारी कागज की कीमत पर अभी बातचीत हो रही है।

अखबारी कागज की हकदारी में यह कटौती तथा अखबारी कागज की कीमत में वृद्धि से अवश्य ही समाचार पत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। उनको सर्कुलेशन तथा पृष्ठाकार के विनियमन कर अपने अधिकृत कोटे के अंतर्गत रहना होगा। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कोचीन सभी समुद्र तट के नगरों पर राज्य व्यापार निगम का बफर स्टाक वस्तुतः कम हो गया है, जिससे अखबारी कागज के लिए स्टाक की आपूर्ति होने तक समाचारपत्रों को उन पर निर्भर होने से कठिनाई अनुभव होने की संभावना है। जुलाई और अगस्त में बंगला देश से सप्लाई पहुंचने पर; जिसकी आशा है; तथा ज्यादा अच्छे तौर पर सितम्बर/नवम्बर में अन्य स्रोतों से जहाज आने शुरु हो जायेंगे, जिससे स्थिति में कुछ सुधार हो जायेगा। इस अवस्था में यह कहना कठिन होगा कि इस देश में

समाचारपत्रों की बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह इसलिए है क्योंकि इस समय सरकार के पास समाचार-पत्र उद्योग के अर्थशास्त्र के कोई विश्वस्त आंकड़े नहीं हैं। सिर्फ इसी कारण सरकार ने प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने एक तथ्य अन्वेषक समिति की नियुक्ति की है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I rise on a point of order.

The Senior Minister has gone to Rajya Sabha. He does not like to come to this House. You kindly protect the dignity of this House.

Mr. Speaker : When a Senior Minister does not come, he writes to me, but I nave not received any intimation from the Senior Minister.

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : There has been great injustice to the workers engaged in the newspaper industry as well as to the readers. I do not say that there is no shortage of newsprint or no problem of getting it, but it is my firm belief that had the Information Ministry worked with forenight, the situation would not have worsened to this extent.

'Rajasthan Patrika' has decided to stop its publication. Many papers and weeklies are facing closure. Many papers may have to reduce their number of pages, thus there might be retrenchment of employees in this industry. The rural population would be deprived of small newspapers.

The Government has decided to impose a thrity per cent cut in newsprint quota with effect from 1st April, 1973, but the decision has been announced in July, 1973. Some of the papers have consumed the newsprint in excess of their quota. How can a newspaper reduce its pages, when there are only four pages ? The Ministry could have introduced a slate system. There should be cut in the newsprint quota of small' newspapers.

The Information Ministry and STC made a mistake in not purchasing newsprint for two or three years in advance. Now we have to pay a higher cost for newsprint.

Even after twenty five years of Independence, the indigenous production of newsprint is only 10 to 12 per cent, whereas we have to import 85 per cent of our requirement from abroad. We have got vast resources for indigenous production of newsprint. Some private companies had asked for licences for setting up newsprint units in Himachal Pradesh and Kerala a few years ago. Neither did the Government issue any licences, nor did set up any unit in the Public Sector.

The Ports of USSR are frozen during the winter. If talks are held during November and December, newsprint can not be improted before April or May. I, therefore, request that efforts should be made once again to get the newsprint from friendly countries like USSR and Bangladesh.

Shri Dharam Bir Sinha : The Government has all sympathies with the Newspaper industry. The Newspaper Advisory Committee, which has representatives of the industrialists, had its meetings on 15-1-1973, 8-5-1973 and on 4-7-1973. The demand and supply position of newsprint was discussed in all these meetings.

The state system could not be introduced, because of the Supreme Court's judgement regarding allocation of newsprint quota. The Supreme Court has said in its judgement that in the event of the availability of newsprint being in sufficient a uniform percentage reduction can be made regardless of whether a newspaper is big, medium or small. We would have been happy if we could have helped the small papers, but we have made arrangements for new small papers. Newsprint would be provided for a period of three months for publishing 15,000 copies, having eight standard pages each. This facility will also be given to the small newspapers, having a circulation of less than 15,000.

The policy is made on an annual basis and therefore, it is not possible to give it retrospective effect.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को संक्षेप में बोलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए पांच मिनट का समय निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए मंत्री महोदय भी संक्षेप में ही बोलें।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : एक बार सरकार के एक प्रमुख प्रवक्ता ने कहा था कि विरोधी पक्ष के सदस्य कम संख्या में आने के आरण समाचारपत्रों को एक सजग विरोधी पक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए परन्तु अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत कटौती करने के कारण यह चारा भी खत्म हो जायगा।

मंत्रियों और सरकार को इस कटौती से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार का टेलीविजन और रेडियो पर एकाधिकार है। जनमत को प्रभावित करने वाले जनता के जागरूक वर्ग और समाचार-पत्रों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

वर्ष 1972-73 के आंकड़ों के हिसाब से अखबारी कागज की मांग 2,30,000 टन थी, जबकि उसकी उपलब्धता केवल 1,63,000 टन थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अखबारी कागज की कमी 30 प्रतिशत से अधिक होगी। यह कमी मानव-निर्मित है और इसके लिए सरकार और प्रशासन उत्तरदायी है। अगर अखबारी कागज के आयात के लिए वार्षिक योजना के बजाय लम्बी अवधि के लिए करार किया जाता तो वर्तमान कठिनाई उत्पन्न न होती।

अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत कटौती की जा रही है और 400 रु० प्रति टन के हिसाब से अधिक मूल्य देना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप अखबारों के पृष्ठों की संख्या में कमी होगी। इससे छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के समाचार-पत्रों पर प्रभाव पड़ेगा।

विभिन्न देशों से निम्नलिखित मात्रा में कोटा मिलने की आशा है :

	(टन)
बंगलादेश	10,000
कनाडा	16,000
स्कैण्डीनेविया	13,000
चैकोस्लोवाकिया	5,700
रूस	28,000
पोलैण्ड	1,000

अखबारी कागज के पिछले और वर्तमान मूल्य इस प्रकार हैं :--

देश का नाम	पिछला मूल्य (रु० में) प्रति टन	वर्तमान मूल्य (रु० में) प्रति टन
स्कैण्डीनेविया	1316	1428
कनाडा . . .	1219	1575
	1196	1594
बंगलादेश	1357	1500
पोलैण्ड	1350	1876

रूस, जिसके साथ हमारी सहयोग और मित्रता की संधि हुई है, हमें 1356 रु० प्रति टन के बजाय 1939 रु० प्रति टन के हिसाब से अखबारी कागज उपलब्ध कर रहा है।

सरकारी नेपा मिल में केवल 18 प्रतिशत अखबारी कागज का ही उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश और केरल में दो अखबारी कागज मिलों के स्थापना कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए।

महाराष्ट्र की अनेक सहकारी चीनी मिलों ने इस बात का अनुरोध किया है कि गन्ने की खोई से अखबारी कागज बनाने की उन्हें अनुमति दी जाय। अगर उन्हें अखबारी कागज बनाने की अनुमति दे दी गई, तो संभवतः समाचारपत्रों की मांग को पूरा कर सकना संभव हो सकेगा।

अगर विदेशी मुद्रा की चोरी को रोका जाय, तो उस विदेशी मुद्रा से अधिक मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जा सकता है।

सरकार को अन्तरिम अवधि में सफेद प्रिंटिंग कागज पर छपाई करने की अखबारों को अनुमति दे देनी चाहिए। यह एक मूल प्रश्न है, जिस पर सरकार को निर्णय लेना है। सरकार को आग लगने पर कुआ खोदने की नीति त्याग कर एक लम्बी अवधि की नीति निर्धारित करनी चाहिए।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह अपनी नीति को पूरी तरह बदले और अखबारी कागज की पहले की मात्रा को बराबर फिर से कोटा देना प्रारंभ करें।

श्री धर्मबीर सिंह : समाचारपत्रों के मालिकों के संगठन के सहयोग से यह निर्णय किया गया है कि सबसे अधिक सस्ता अखबारी कागज साप्ताहिक समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और छोटे समाचारपत्रों को आवंटित किया जायगा।

महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों के सुझाव का हम जोरदार समर्थन करते हैं। मेक्सिकों में इस प्रकार का परीक्षण किया गया था और हम उनसे इस बारे में सम्पर्क कर रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय से हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि अखबारी कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए समाचारपत्र नियंत्रण आदेश को वापस लेने के बारे में विचार किया जाय जिससे समाचार पत्र सफेद कागज पर भी प्रयोग कर सकें।

अभी जो अखबारी कागज हमें मिल रहा है, वह राज्य व्यापार निगम द्वारा लम्बी अवधि के लिए किये गये करारों के कारण ही मिल रहा है। राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1971 में कनाडा की तीन पार्टियों और स्कैंडीनेविया की एक पार्टी के साथ तीन वर्षीय करार किया था। यह करार मात्रा और

मूल्य दोनों के बारे में था। वर्ष 1973-74 में सप्लायरों ने फिर से बातचीत करने पर जोर दिया। हम उन पार्टियों पर मुकदमा दायर कर सकते थे, परन्तु उन देशों में मुकदमा दायर करना पड़ता और लम्बी कानूनी कार्यवाही के कारण हमें उतनी मात्रा में अखबारी कागज न मिल पाता, जितना इस वक्त मिल रहा है। डालर के अवमूल्यन के कारण सप्लायरों ने नई कीमत के लिए फिर से वार्ता करने पर जोर दिया। रूस से, आयात और निर्यात की प्रत्येक सामग्री की कीमत के निर्धारण के लिए हर वर्ष बातचीत की जाती है। पुनर्वार्ता के परिणाम-स्वरूप ही यह कीमत निश्चित की गई है।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : पिछले 25 वर्षों से अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है, परन्तु सरकार ने आज तक कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई है। लगभग 600 छोटे समाचारपत्र अखबारी कागज की कमी के कारण बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं। कुल अखबारी कागज का 50 प्रतिशत 10 बड़े समाचार पत्र गृहों को दिया जाता है, जबकि 48 प्रतिशत अखबारी कागज 600 छोटे समाचार पत्रों को आवंटित किया जाता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 1954 में प्रेस आयोग ने मूल्य-पृष्ठ निर्धारण नीति की जो सिफारिश की थीं, उसे क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं? अगर उसे क्रियान्वित किया जाता है, तो छोटे समाचार-पत्रों को अधिक मात्रा में अखबारी कागज उपलब्ध किया जा सकता था; परन्तु सरकार इसे क्रियान्वित करने में पूर्णतया विफल रही है। इसके कारण एकाधिकार प्रेस अपने फालतू अखबारी कागज की चोर-बाजारी कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान कागज निगम ने कुछ परियोजना प्रारंभ की है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक एक भी अखबारी कागज का कारखाना स्थापित न हो सकने के क्या कारण हैं? क्या सरकार केरल और हिमालय की तराई में अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए।

कुछ बड़े समाचारपत्र दत्ता समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार दत्ता समिति की रिपोर्ट को शीघ्र प्रस्तुत कराने के लिए कार्यवाही करेगी?

श्री धर्मवीर सिंह : दत्ता समिति को जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं। हमें आशा है कि इस समिति की रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक मिल जायेगी। 50,000 पाठक संख्या के आठ पृष्ठों वाले और 30,000 पाठक संख्या के चार पृष्ठों वाले समाचारपत्रों के हितों को संरक्षण दिया जायगा, अगर वे नये समाचार पत्रों के लिए बनाई गई नीति के अंतर्गत आते हों।

श्री डी० के० पंडा : पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण नीति का अगर सख्ती से पालन किया जाता, तो बड़े अखबार इतने अधिक पृष्ठों के समाचारपत्र को इतने कम मूल्य पर नहीं बेच सकते थे। अखबारी कागज की उनकी खपत भी कम हो जायगी।

श्री धर्मवीर सिंह : संसद ने पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण नीति के बारे में एक कानून पारित किया था परन्तु 1969 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे रद्द कर दिया गया।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : The cut in Newsprint quota will have adverse effect on the small papers. Rajasthan Patrika of Jaipur has already been closed. Allahabad Bharati is likely to be closed. The freedom and fearlessness of the papers, which is the base of the democracy, will be shattered, if they have to look towards the Government for the newsprint. Who is responsible for the shortage of the newsprint. The S. T. C. should have studied the market trends well in advance. Last year Canada was prepared to deliver sufficient quantity of newsprint, but payment had to be made in pounds. How much amount was to be imported from Poland and Czechoslovakia and at what prices and why do they demand higher prices now.

31 LSS/73—11.

I want to know how Russia has come down to supply only 28 thousand tonnes when the agreement was for 50 thousand tonnes and why she is demanding Rs. 600 per tonne more. If Russia is not observing trade part, then what action has been taken against them ?

We want the country to become self-reliant in newsprint. What efforts have been made to achieve this. What are the reasons that Nepanagar mill is not working to full capacity. I want to know how many applications the Government have received for installation of Paper Mills in the Private Sector and what the reasons are for rejecting them by the Centre.

The Government had given letter of itent to Sangli Cooperative Sugar Factory but till now nothing has materialised. What are reasons for not issuing licence to them ?

Inspite of the importance of Freedom of Press, the shortage of newsprint is continuing. This is not in the interest of the Government also. It cannot function without the press. I want to know if the trade delegation succeeds in it talks at Canada to what extent the cut will be reduced.

Shri Dharam Bir Sinha : Not only India but the whole world is facing the shortage of newsprint. As I told you, we had long term contracts in 1971 regarding the import of newsprint. But the concerned parties backed out. The whole world is already facing the shortage and if we indulge in litigation then there would be no chance of getting newsprint. So we renegotiated with the concerned parties on higher rates to get the newsprints. As we have annual trade plan with Russia, so we re-negotiated the deal with them. Efforts are being made to manufacture newsprint from lozosse. If it is sucessful then we will use it here.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : देश में अखबारी कागज की कमी के परिणामस्वरूप इसके आयात के संबंध में समाजवादी देशों की आलोचना करना सही नहीं है। राजकीय व्यापार निगम समय पर आयात करने में असफल रहा है । अखबारी कागज में 30 प्रतिशत की कटौती करने के परिणामस्वरूप समाचारपत्र के व्यवसाय में लगे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे ।

सरकार ने देश में गूदा बनाने का कारखाना स्थापित नहीं किया है, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, । अखबारी कागज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा गूदा के कारखाने स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? इस कटौती के परिणामस्वरूप होने वाली बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर किया जायेगा ? बड़े समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज की चोरबाजारी करने को रोकने और इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ।

श्री धर्मवीर सिंह : सरकार अखबारी कागज की चोरबाजारी रोकने के लिए कार्यवाही कर रही है। जहां तक इसके आयात का प्रश्न है, हमें कुछ समय इसे जारी रखना पड़ेगा, । केरल में स्थापित होने वाले अखबारी कागज परियोजना के 1976 तक पूरा हो जाने के उपरांत इस स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो जायेगा । नेपा कारखाने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सांगली योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। इन उपायों से देश की आवश्यकता काफी सीमा तक पूरी की जा सकेगी परन्तु इसके बावजूद हमें अभी आयात का सहारा लेना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table.

रेयन टायर कर्ड और विवरणों के बारे प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : मैं श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत रेयन टायर कर्ड के उचित मूल्य संबंधी प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1972) की एक प्रति।

(2) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी में संस्करण)।

(3) प्रतिवेदन के साथ उसका हिंदी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय** में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 5163/73]

चलचित्र (सेंसरशिप) संशोधन नियम, 1973

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं श्री इन्द्रकुमार गुजराल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसरशिप) संशोधन नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जून, 1973 में सा०सां०नि० 578 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय** में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5164/73]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (सिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखेंगे :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 229 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 230 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 236 (ङ) प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 237 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 138(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छ) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 239 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 240(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मई, 1973 में अधिसूकना संख्या सा० सां० नि० 241(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 451 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 मई 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां. नि० 452 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 483 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय** में रखें गए। देखिये संख्या एल० टी० 5095/73]

(2) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 321 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 762 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 663 में प्रकाशित हुये थे ।

(चार) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 664 में प्रकाशित हुये थे । [**ग्रंथालय** में रखें गये। देखिये संख्या एल० टी० 5165/73]

(ख) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 खण्ड के (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० संख्या 1114 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो आन्ध्र प्रदेश के राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश इंजीनियरिंग अधीनस्थ सेवा—अनुसंधान शाखा—संबन्धी तथा विनियम दिये गये हैं ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रंथालय** में रखें गये। देखिये संख्या एल० टी० 5166/73]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा/बल (अधिनियम) नियम, 1973

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 656 में प्रकाशित हुये थे ।
[**ग्रंथालय** में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5167/73]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के वर्ष 1971-72 के कार्य की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:—

(एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत श्री भारती मिल्स लि०, पांडेचेरी, के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या सा० आ० 259 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल० टी० 5169/73]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और डाक तथा तार के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के बारे में विवरण का परिशिष्ट

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़ियां) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय वायरलैस तार नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 526 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वायरलैस टेलिग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो) संचालक कुशलता प्रमाणपत्र तथा वायरलैस टेलिग्राफी संचालन लाइसेंस, संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 529 में प्रकाशित हुए थे।

(2) 'डाक और तार' के संबन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई कतिपय सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के विवरण के परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5170/73]

अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) वर्ष 1973-74 के लिए अखबारी कागज संबन्धी आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना संख्या 119-आई०टी०सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 19 जुलाई, 1973 (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) वर्ष 1973-74 के लिए पोर्ट पेपर संबन्धी आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना संख्या 120-आई टी सी (पी० एन०)/73 दिनांक 19 जुलाई, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5171/73]

वित्तीय समितियां, 1972-73 (एक समीक्षा)

FINANCIAL COMMITTEE 1972-73 (A REVIEW)

सचिव : मैं "वित्तीय समितियां, 1972-73 (एक समीक्षा)" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Member's Bills and Resolutions

28वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति का 28 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अधिनिस्थ विधान संबंधी समिति

Committee on Subordinate Legislation

7वां प्रतिवेदन

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : मैं अधीनस्थ विघटन संबन्धी समिति का 7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति के 27 नवम्बर 1971 के स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ;

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल—1 के बम्बई, गोआ, बंगलौर, कोचीन, कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम् के जून, 1972 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन; और

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति के अध्ययन दल–1 कलकत्ता, रांची, पटना और इलाहाबाद के फरवरी, 1973 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

Disturbed Areas (Special Courts) Bill

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री लीलाधर कटकी (नौगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण तथा तत्संबन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण तथा तत्संबन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Motion re: thirtieth report of Business Advisory Committee

संसद कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 30 वें प्रतिवेदन से, जो 24 जुलाई, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।".

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पिछले दिन यह समझौता हो गया था इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। जब अगले सप्ताह के कार्य की घोषणा की जायेगी, तब सदस्यगण जो चाहें, कह सकते हैं।

श्री एस०एम० बनर्जी :मैं प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमने बोइंग बिमान की दुर्घटना पर चर्चा करने का निर्णय किया है परन्तु आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री ने इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इस बारे में राज्य सभा में ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के रूप में चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या ऐसी दुखदायी दुर्घटना पर माननीय मंत्री को यहां वक्तव्य नहीं देना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : वह पृथक से यहां पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में है। मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूं। एक गंभीर घटना है और इस बारे में उनका रवैया उपेक्षापूर्ण है। राज्य सभा में इस दुर्घटना के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना के रूप में चर्चा हो चुकी है। दस सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। मेरा विचार था कि इस सभा में भी माननीय मंत्री स्वयं पहले दिन ही इस दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देंगे। परन्तु उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। आपको इस सभा में भी इस विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार करनी चाहिये। हम माननीय मंत्री की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के विचारों को मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं पहले ही आपको लिख चुका हूं कि मंत्री महोदय जांच समिति के प्रतिवेदन को पहले ही सभा में प्रस्तुत कर चुके हैं । श्री सचर ने सरकार को यह प्रतिवेदन कुछ दिन पहले दे दिया था। सरकार ने उसका सारांश उसी समय पेश को दे दिया था जबकि संसद में वह सारांश प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं कल इस बारे में विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेंने नियम 377 के अन्तर्गत श्री समर गुह को एक वक्तव्य देने की अनुमति दी थी परन्तु वह इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं । (अन्तर्बाधा) अब आंध्र प्रदेश राज्य के बजट की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में मेंने जो कुछ कहा था उसको रिकार्ड नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे थे । जो मामले राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में है उनको यहां नहीं उठाया जाना चाहिये ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : पश्चिम बंगाल में जो घटनाए घटी है उनको राज्य का मामला नहीं कहा जा सकता। वह संसदीय लोक तंत्र का उल्लंघन है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक राज्यपाल अपना प्रतिवेदन सरकार को नहीं देता, तब तक उस मामले को यहां पर नहीं उठाया जा सकता। मध्याह्न भोजन के पश्चात् अगले मद पर चर्चा होगी।

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past Fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन क पश्चात लोक सभा दो बजकर पैंतीस मिनट पर पुनः समवेत ई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty-five minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair

अनुदानों की मांगें (आन्ध्र प्रदेश) : 1973-74—contd.

Demands for Grants (Andhra Pradesh), 1973-74—Contd.

श्री एम० सुदर्शनय (नदजाराव पेट) : मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं । जहां तक क्षेत्र तथा जनसंख्या का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश देश का पांचवा सबसे बड़ा क्षेत्र है । जहां तक औद्योगिक अर्थव्यवस्था का संबन्ध है ये पांचों राज्य पिछड़े हुए है । मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि छोटे राज्य अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास तथा प्रशासन में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं ।

इस बारे में पंजाब का उदाहरण दिया जा सकता है। हरियाणा ने भी पर्याप्त प्रगति की है। अमरीका में, जिसकी जनसंख्या हमारे देश से बहुत कम है, पचास राज्य है। अतः, छोटे राज्य बनाने में कोई गल्ती नहीं है।

आंध्र के वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। नागार्जुनसागर बांध एक परियोजना पर लगभग 180 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यदि दस से बारह करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जायें और उचित नहरें आदि बनाई जायें तो हम दस लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि नागार्जुनसागर बांध परियोजना में नहरों आदि की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त 12 करोड़ रुपये दिये जायें।

आंध्र प्रदेश में घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है और रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लिया जा रहा है। वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए कुछ उपाय ढूंढे जाने चाहियें। बिक्री कर ढांचे की जांच के लिए एक भूतलिगम समिति गठित की गई थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था परन्तु उनकी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, यदि इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है, तो राजस्व में 4 करोड़ रुपये वार्षिक की वृद्धि हो सकती है।

आंध्र प्रदेश में प्रेषण में 25 प्रतिशत विद्युत की कमी हो जाती है जबकि अखिल भारतीय औसत 14 प्रतिशत का है। यह इस कारण है कि विद्युत का उत्पादन कुछ एक स्थानों पर होता है और राज्य में दूर दूर स्थानों पर ले जाया जाता है। मेरा निवेदन है कि कोयला क्षेत्रों के निकट ही ताप बिजलीघर बनाये जायें। विजयवाडा में तुरन्त 400 मैगावाट शक्ति का एक बिजलीघर बनाया जाना चाहिये। नागार्जुनसागर बांध में भी बिजलीघर स्थापित किया जाना चाहिये। इससे प्रेषण में जो हानि होती है उसको कम किया जा सकता है। इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सरकार ने बी बी नगर से नाडीकुडा तक नई रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। इससे हैदराबाद और मद्रास के बीच लगभग 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। यह तेलंगाना और आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यह आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी जायेगी। यदि इस कार्य को तुरन्त आरम्भ किया जाता है तो इससे लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। गुन्टूर से मचरेला तक की मीटरगेज लाइन को भी बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू किया जाना चाहिये। इससे इन क्षेत्रों के किसान सस्ती लागत पर अपने उत्पादों को बाजार में ला सकेंगे। रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार मुफ्त भूमि देने पर सहमत हो गई है।

गुन्टूर जिले के अग्नीकुण्डा क्षेत्र में तांबा, जस्ता तथा सीशे की खाने हैं। उनको आयात पर विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। इन परियोजनाओं पर बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं को बिजली सप्लाई की जानी चाहिए।

सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक इस परियोजना पर कार्य शुरु नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इसको खपत वाले क्षेत्र के निगट स्थापित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे दस मिनट से अधिक समय न लें।

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar) : I cannot understand how long the Government will continue work like this. They are presenting the Andhra budget every three or four months. If they do not want to solve the problem, they should dissolve the Assembly and dictate letters from here. The Prime Minister had stated that they will solve the problem after the improvement of law and order situation. But even now when the normalcy has restored, the Government is not doing anything to solve this problem. The Government should solve this problem in accordance with the wishes and feelings of the people. The Government should change his attitude in regard to the creation of small states. Punjab and Haryana have made tremendous progress in industrial and agricultural fields of the brifurcation of United Punjab. There is no harm in creating Small States. On the other hand small states can make rapid progress. Even several here. Members from Uttar Pradesh plead for bifurcation of the state outside the House but they can not say any thing in the House. I will say that if Government can create small states on an border with China then there should be no hesitation in creating such small state within the country far from the border.

Seperate Andhra should be fromed immediately.

Andhra Pradesh is full of resources but it is sad that there is shortage of electricity in that state. Electricity is not produced there. Although U. P. and Andhra Pradesh are the biggest states of the country, yet the production in those states is the lowest **(Interruptions)** It is sad that we have so much resources and yet the production is very small. Even state like Orissa which is not self sufficient, is producing electricity. In case all the projects in the states are completed there will not be any difficulty for the state.

Not a single railway line has been laid in Andhra after independence. Railway lines play a very important part in the development of agriculture and industries. We have requested several lines for construction or railway lines in Andhra Pradesh but nothing has been done in this respect.

The Government has done nothing for the development of the backward areas in the state.

So far as education is concerned there are no women's college in Telangana. This matter was also raised in the Consultative Committee. But nothing has been done in this matter so far. A woman College should immediately be opened there.

Land reform is a praiseworthy thing. The Government has done nothing for implementation in this direction. The Government has simply issued on ordinance prohibiting alienations, as a result of it registration has been stopped and the Government is losing lakhs of ruppes. Land reform should have been done one and a half years back. If this has not been done during the popular rule or the Congress rule how can it be done during President's rule ?

श्री के० नारायणन राव (बोबिली) : काकीनाडा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये मैं सरकार का आभारी हूं।

यदि आज हरियाणा और पंजाब समृद्ध हैं तो उनकी समृद्धि का कारण यह नहीं है कि वे छोटे छोटे राज्य हैं बल्कि उनके पास पर्याप्त इन्फास्ट्रक्चर है। विकास आकार के आधार पर नहीं होता।

जहां तक आंध्र समस्या की प्रश्न है। इससे केवल एकतावादियों और पृथकतावादियों के मध्य कोई राजनीतिक समाधान ढूंढने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये। इस संबन्ध में एक स्थायी हल निकाला जाना चाहिये।

1969 में तेलंगाना के लोगों ने अधिशेष के प्रश्न पर आन्दोलन किया। तेलंगाना अधिशेष इस क्षेत्र में उत्पादन या अर्थ व्यवस्था के भूलभत विकास के बारे में नहीं था वरन् यह इस तथ्य के कारण था कि उनके पास स्कूल कालेज, अस्पताल नहीं थे जिन पर वे धन खर्च कर सकते। आंध्र प्रदेश में अब मद्यनिषेध लागू है। तेलंगाना क्षेत्र में अब स्कूल और कालेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है। अतः तेलंगाना के लिये पृथक राज्य स्थापित किया जाना चाहिये।

आंध्र प्रदेश की पांचवी योजना के लिये 900 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। मेरे विचार से उक्त राशि छोटे से कार्य के लिये भी पर्याप्त नहीं है। इस धनराशि से नये कार्य, कार्यक्रम और परियोजनाएं कैसे आरम्भ की जा सकती है? इस मामले में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये। आंध्र प्रदेश को लगातार सूखे और अकाल का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर से कम है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश की बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिये।

मुख्य इंजीनियर (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ने गोदावरी जल को विजाग की ओर ले जाने के लिए 13.80 करोड़ रुपये की लागत की योजना तैयार की है। भारत सरकार ने उक्त परियोजना के लिये 11 करोड़ रुपये दिया है और इसके अतिरिक्त वह ऋण के रूप में धन देने का विचार रखती है। यह केन्द्रीय योजना है अतः केन्द्रीय सरकार को इस योजना पर स्वयं ही पूरा व्यय करना चाहिये।

परियोजना के अन्वेषण के लिये राज्य सरकार ने 50 लाख रुपये का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री को उक्त धनराशि केन्द्र को शीघ्र दे देनी चाहिये।

आंध्र प्रदेश में नेहरु प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय को शीघ्र चलाने की अनुमति दी जानी चाहिये। वंसधारा परियोजना पर शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री ने कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां अकाल की सी स्थिति विद्यमान है। उक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अकाल राहत कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये। सरकार को आदिम जाति के लोगों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। श्रीकाक्कुलम और विशाखापतनम के आदिम जाति लोगों के लिये तैयार की गई योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल): मुझे भय है कि देश में लोकतंत्र का अन्त न हो जाये। तेलंगाना और आंध्र के लोग गत चार वर्षो से पृथक राज्यों की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। 1972 में हुए चुनाव के समय तेलंगाना के लोगों से किये गये वायदों पर भी कायम नहीं रहा गया है।

हमारा लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है। लेकिन सरकार जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है। अत सत्र में प्रधान मंत्री ने यह आवश्वासन दिया था कि आंध्र में सामान्य

स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य के विभाजन के मामले पर विचार किया जायेगा। राज्य में सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर भी अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है । विधान सभा को भंग किया जाना चाहिये क्योंकि विधायक कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हैं ।

तेलंगाना एक पिछड़ा राज्य है और वहां गत चार वर्षों से वर्षा नहीं हुई है अतः वहां के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । अब राज्य की स्थिति बिगड़ती जा रही है । अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त स्थिति कब तक कायम रहेगी और क्या इस समस्या का कोई समाधान है अथवा नहीं ? राज्य की समस्या हल न होने पर मैं नहीं समझता क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है ? कांग्रेस के भी अनेक सदस्यों ने राज्य का विभाजन करने का सुझाव दिया है । अतः मेरा यह अनुरोध है कि प्रधान मंत्री के द्वारा किये गये वायदे के अनुसार राज्य का शीघ्र विभाजन किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् के एक संकल्प के अनुसार रेलवे तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिये । लेकिन ऐसे उपक्रमों में तेलंगाना के 20–30 प्रतिशत लोगों को भी नियुक्त नहीं किया गया है । अब उक्त राज्य केन्द्रीय सरकार के अधीन है अतः अब सरकारी उपक्रमों को यह निदेश देना उचित होगा कि कम से कम 500 रूपये मासिक के वेतन के पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त करना चाहिये ।

मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि प्रधान मंत्री राज्य के विभाजन की मांग को शीघ्र स्वीकार करेंगी और तेलंगाना और आंध्र के लोगों में व्याप्त निराशा को दूर करेंगी ?

. **श्री अप्पलानायडू (अनकपल्ली)** : आन्ध्र प्रदेश राज्य के बजट सम्बन्धी प्रस्तावों का समर्थन करते हुए मैं सरकार का ध्यान स्थानीय समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। आन्ध्र प्रदेश के कुछ अत्याधिक उपजाऊ क्षेत्रों में भीषण सूखा पड़ा हुआ है। पिछले चार पांच वर्षों के दौरान सरकार कृषि के लिये आवश्यक सुविधाएं देने में असफल रही है। खुले बाजार में उचित मूल्यों पर आवश्यक उर्वरक नहीं मिलते हैं।

कृषि अनुसंधान के लिये 50 लाख रुपये की बहुत थोड़ी राशि आवंटित की गई है। जब अनुसंधान पर धनराशि खर्च नहीं की जायेगी तो सरकार कृषि क्षेत्र में प्रगति कैसे करेगी ? मैंने हाल ही में पंजाब और हरियाणा का दौरा किया। वहां की सरकारें कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काफी प्रयास कर रही है। यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई सुधार करना है तो वहां की समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिये।

आन्ध्र क्षेत्र में अध्यापकों के द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण छात्रों का एक शैक्षिक वर्ष खराब हो सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए उसे तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

विशाखापत्तनम जिले में बालीमाला के निकट पन-बिजली परियोजना है। आन्ध्र प्रदेश में जल संसाधन उपलब्ध है। सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना पूरी हो।

* तेलुगू में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

राज्य में प्रति व्यक्ति कराधान बहुत अधिक है और आगे कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को उदारतापूर्वक अतिरिक्त अनुदान देना चाहिए ताकि धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

विशाखापतनम पिछड़ा जिला है और वहां बहुत से उद्योग हैं परन्तु इन उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। वहां के किसानों को उद्योगों की स्थापना के लिए विवश होकर अपनी जमीनों को बेचना पड़ता है फिर वे बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों में इन लोगों को रोजगार मिले।

कुछ समय से विशाखापतनम के किसान गोदावरी के जल को गोदावरी जिले से विशाखापतनम जिले की ओर मोड़ने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। वहां यदि सरकार उठांऊ सिंचाई योजना आरम्भ करे तो ऐसी योजना की लागत में किसान पैसा देने को तैयार हैं। विशाखापतनम क्षेत्र में भूमिगत जल के उपलब्ध संसाधनों का सरकार को उचित सर्वेक्षण करवाना चाहिये।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : इस बजट पर चर्चा करते हैं, क्या इसका अर्थ यह है कि हमने इसे स्वीकृत कर दिया ; बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है परन्तु लोग इसे नहीं चाहेंगे।

तेलगांना में गत चार वर्षों से संघर्ष चल रहा है, फिर भी हमें इसका अन्त नहीं दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर लोग एकता की बात कर रहे हैं। हाल ही में आन्ध्र क्षेत्र के छह मुंसिफ मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया गया था। तेलगांना के लोगों के लिये इससे अधिक रोष की बात और क्या हो सकती है? सभा को यह सूचित करना आवश्यक है कि एकता के लिये आगे कोई बातचीत हुई तो उससे तेलगांना और आन्ध्र आन्दोलनों में और तेजी आयेगी तथा अन्त में पृथक्करण करना होगा।

बजट के अन्य पहलू भी हैं। वे कह रहे हैं कि तेलगांना के पृथक्कतावादी लोग पूंजीपति और भू-स्वामी हैं और वे भूमि सुधार नहीं चाहते हैं। हमने परामर्शदात्री समिति की बैठक में यही कहा है कि वहां राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत भी हम इन कानूनों को तुरन्त लागू करना चाहते हैं। हम सरकार का पूर्णतया समर्थन करेंगे।

वहां ऐसे पूंजीपति नहीं रहे हैं जो कालेजों को धन दे सकें। वहां शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाता? सभी निजी कालेजों को हम सरकार को सौंपने को तैयार हैं। वे अध्यापकों को उचित वेतन नहीं देते हैं।

तेलंगांना में वर्षा न होने के कारण पेय जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। रोजगार की संभावना भी कम है। सूखा राहत कार्यों और रोजगार के मामले में तेलंगांना को महाराष्ट्र या गुजरात के समान नहीं रखा गया है और खर्च की गई राशि बहुत थोड़ी है। वहां जब विधान सभा कार्य नहीं कर रही है तो सरकार को अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए।

आगामी पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 1260 करोड़ रुपये के लिये अनुरोध किया था। इसे कम करके 250 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस कमी से रायलसीमा, निजाम, श्रीकाकुलम, तेलंगांना जैसे क्षेत्रों के विकास में बाधा पड़ेगी। मैं योजना मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को कम न किया जाये और समय पर पूरी-पूरी राशि दी जाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : आन्ध्र प्रदेश बजट 15 मार्च को प्रस्तुत किया गया था और यह बजट सम्बन्धी चर्चा का दूसरा प्रक्रम है।

माननीय सदस्यों ने आन्ध्र राज्य की कई समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं उन पर विस्तार-पूर्वक बोलने में असमर्थ हूं।

बजट के प्रथम प्रक्रम की चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि इस राज्य के लोगों ने राष्ट्रीय संघर्ष में काफी योगदान दिया है। इस राज्य ने कई कठिनाइयों का सामना किया है।

यह आश्चर्य की बात है कि आन्ध्र के संकट के लिए प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया गया है। आन्ध्र और तेलगांना के बीच मतभेद के पीछे इतिहास है। मुल्की नियम सम्बन्धी विवाद केन्द्रीय सरकार ने उत्पन्न नहीं किया है। यह राज्यों के एकीकरण के परिणामस्वरुप उत्पन्न हुआ है। जब यह सूत्र (फार्मूला) अपनाया गया था तब आन्ध्र प्रदेश के सभी दलों का परामर्श लिया गया था । किसी न किसी तरह वह सफल नहीं हो सका और राज्य में अशांति हो गई। अब वहां स्थिति सामान्य हो गई है और अराजपत्रित अधिकारी काम पर आ गए हैं। आशा है कि आंध्र प्रदेश के लोग इस समस्या का हल निकाल सकेंगे।

चर्चा के दौरान यह कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश और अनेक अन्य राज्यों में राष्ट्रपति-शासन लागू करना कतिपय तानाशाही प्रवृत्ति और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन को दर्शाता है। आन्ध्र प्रदेश की समस्या बहुत ही असाधारण समस्या थी और उसके लिये असाधारण हल ही ढूंढ़ना था। यह एक राजनीतिक वास्तविकता है जिसे हमें मानना पड़ेगा और उसी वास्तविकता के साथ हमें समस्याओं का समाधान करना पड़ता है।

माननीय सदस्यों ने कुछ विशिष्ट प्रश्न उठाये हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

एक सूत्र बनाया गया था और तेलंगांना क्षेत्र के तीव्र विकास के लिये लगभग 45 करोड़ रुपये की विशेष सहायता सरकार द्वारा दी गई थी। वर्ष 1968–69 में उपयोग में ली गई 1.28 करोड़ रुपये की राशि से निकाल कर शेष 43.72 करोड़ रुपये की राशि विशेष विकास कार्यक्रम के लिये चौथी योजना के दौरान उपलब्ध थी। इस राशि का 1973–74 के अन्त तक पूरी तरह उपयोग किया गया।

जहां तक चालू वर्ष की योजना का सम्बन्ध है योजना आयोग ने 91.50 करोड़ रुपये के अधिक परित्याग का संकेत दिया था। परन्तु राज्य सरकार वहां गड़बड़ी की हालत और अन्य बातों के कारण अब 87.59 करोड़ रुपये ही देने की स्थिति में है।

माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक है कि यदि सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धनराधि दी जाये तो देश के समूचे खाद्य उत्पादन में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सिंचाई और विद्युत् के लिये अब भी चालू वर्ष की योजना का परिव्यय कुल योजना व्यय का लगभग दो तिहाई है।

आंध्र प्रदेश में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इन में से नागार्जुन सागर परियोजना बहुत महत्व-पूर्ण हैं। इस परियोजना के लिए 5.65 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। पोचमपाद परियोजना के लिए 10.53 करोड़ रुपये श्री सैलम के लिए 5.20 करोड़ रुपये, कोठगुडम तापीथ योजना के तीसरे चरण के लिए 8 करोड़ रुपये, तथा लोअर सिलेरु पनबिजली योजना के लिए 8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लोअर सिलेरू पनबिजली योजना के लिए भारत सरकार ने भी अतिरिक्त धन दिया है जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने सिद्वान्त रूप में दे दी है। आन्ध्र प्रदेश में भी सूखा की स्थिति है। 31 मार्च, 1973 के अन्त तक राज्य सरकार ने सूखा राहत कार्यों के लिए 40.66 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और ये कार्य अभी तक चल रहे हैं। इस महीने के अन्त तक 21 करोड़ रुपये राहत कार्यों पर खर्च किए जायेंगे। इन राहत कार्यों से यही संकेत मिलता है कि आन्ध्र प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है।

रोजगार प्रधान अनेक योजनाओं को और अधिक लाभप्रद बनाने और बेरोजगारों को उत्पादक रोजगार देने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों पर चालू वर्ष के दौरान 14.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। 5 लाख रोजगार कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इसके अतिरिक्त खेतीहर श्रमिकों के लिए 5.6 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है और शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार योजनाओं के लिए 70 लाख रुपये खर्च करने का विचार है।

आंध्र प्रदेश विधान सभा में जो आन्ध्र प्रदेश भूमि निर्धारण अधिनियम पास किया गया था उसे वहां लागू किया जायेगा।

पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपये की लागत का आवास निर्माण कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर आरम्भ किया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए सरकारी गृह निर्माण समिति संघ का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने अंशपूंजी और ऋण के रूप में 1 करोड़ रुपया दिया है और शेष राशि बीमा निगम से आयेगा।

प्राईवेट होस्टलों का एक प्रबन्ध कार्य असन्तोषजनक होने के कारण इसे राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है।

कोठागुडम के तीसरे चरण के लिए रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार को 2 करोड़ रुपये का विशेष ऋण दिया है। वहां कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

बिक्री कर सम्बन्धी बूथालिंगम समिति की सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति होने पर वहां लागू कर दी जायेगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु योजना आयोग ने 250 करोड़ रुपये की राशि देने का संकेत दिया है।

आन्ध्र प्रदेश का तेजी से विकास करने के बारे में विभिन्न माननीय सदस्यों ने जो मामले उठाए हैं उन्हें वित्त आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए। दूसरे ये मामले सामान्यतया राज्य सरकार का ही अंग है। आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद बनने के पश्चात् इन सब मामलों पर विचार किया जायेगा।

तम्बाकू के बारे में भी मैं स्थिति की जांच करने का प्रयास करूंगा। इस सम्बन्ध में मैं सही जानकारी दूंगा। उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाना ही चाहिए। इसके लिए आबकारी विभाग से तथ्य एकत्र करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये के 5 कटौती प्रस्ताव हैं जिन्हें मैं मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आन्ध्र प्रदेश के बारे में निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Andhra Pradesh were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
1.	भू-राजस्व	4,29,60,000
2.	आबकारी विभाग	1,93,12,000
3.	वाहनों पर कर	25,95,000
4.	बिक्री कर प्रशासन	1,11,91,000
5.	अन्य कर और महमूल प्रशासन	6,00,000
6.	स्टाम्प प्रशासन	18,67,900
7.	निबन्धन विभाग	51,72,000
8.	राज्य विधान मण्डल	52,15,000
9.	राज्य के प्रमुख, मन्त्रिगण, तथा मुख्यालय कर्मचारी-वर्ग	3,82,57,000
10.	जिला प्रशासन और प्रकीर्ण	9,49,86,000
11.	न्याय प्रशासन	1,98,81,000
12.	कारागार	98,31,000
13.	पुलिस	12,74,70,000
14.	व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग बाट और माप आदि	88,16,000
15	विविध विभाग	1,49,54,000
16.	खान और पुरातत्व आदि	34,32,000

31 LSS/73—12.

1	2	3
17.	शिक्षा	52,66,59,000
18.	चिकित्सा . . .	12,70,55,000
19.	सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रौर परिवार नियोजन	8,75,44,000
20.	कृषि . .	6,89,53,000
21.	मत्स्य पालन .	90,69,000
22.	पशु पालन	4,32,62,000
23.	सहकारिता . .	1,67,03 000
24.	उद्योग	1,91,45,000
25.	सामुदायिक विकास प्रयोजनायें राष्ट्रीय, प्रसार सेवा श्रौर स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य	7,25,02,000
26.	श्रम श्रौर सेवायोजन . .	1,41,98,000
27.	अन्य प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन .	63,09,000
28.	महिला कल्याण विभाग आदि . . .	37,10,000
29.	श्रनुसूचित जन जातियों, वन जातियों तथा अन्य पछड़ी हुई जातियों का कल्याण	10,08,74,000
30.	बहु प्रयोजन नदी योजनाश्रों पर पूंजी परिव्यय पर ब्याज	8,43,71,000
31.	सिंचाई .	17,86,31,000
32.	विद्युत् . .	6,42,24,000
33.	सार्वजनिक निर्माण कार्य . .	13,83,85,000
34.	बन्दरगाह श्रौर नौचालन . .	49,68,000
35.	दुर्भिक्ष सहायता	3,11,67,000
36.	पेंशनें .	4,47,73,000
37.	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें	2,63,000
38.	भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते .	17,000
39.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण .	1,52,25,000
40.	वन विभाग	4,02,35,000
41.	प्रकीर्ण	9,45,30,000
42.	नगर पालक प्रशासन . .	70,38,000
43.	अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा अभिहस्तांकन	5,72,70,000

1	2	3
44.	भूमि धारकों को क्षतिपूर्ति देय	5,94,000
45.	जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी परिव्यय	2,44,77,000
46.	कृषि उन्नति और अन्वेषण योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4,00,000
47.	औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	4,60,35,000
48.	बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	3,76,67,000
49.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . .	11,57,69,000
50.	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,07,58,000
51.	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	3,44,28,000
52.	अन्य निर्माण कार्य . . .	1,13,000
53.	वनों पर पूंजी परिव्यय	1,43,000
54.	पेन्शनों का राशिमूल्य . .	30,00,000
55.	राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	17,23,50,000
56.	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम .	2,41,53,000

आंध्र प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973
Andhra Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1973

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं; "कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2,3, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, 3, अनसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 ,3, the Schedule, Clause 1, the Exacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं; "कि विधेयक को पारित किया जाए"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानो की मांगे (उड़ीसा) 1973-74

Demands for Grants (Orissa) 1973-74

उपाध्यक्ष महोदय : अब वर्ष 1973-74 के लिए उड़ीसा राज्य के बजट संम्बन्धी अनुदानों की मागों पर चर्चा तथा मतदान किया जाएगा ।

माननीय सदस्यों ने अनेक कटौती प्रस्तावों के नोटिस दिए हैं। इन सब को प्रस्तुत किया जायेगा।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	सदस्य का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4
			राशि घटा-कर एक रुपया कर दिया जाए
48.	1	**श्री मधु लिमये** : राज्य का पिछड़ापन	
52.	2	**श्री मधु लिमये** : निःशुल्क, अनिवार्य तथा समान प्राथिमिक शिक्षा के सिद्धांन्त को लागू करना।	
56.	3	**श्री मधु लिमये** : ग्राम विकास के माध्यम से बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों के लिये लाभप्रद रोजगार ढूढने के लिये एक स्पष्ट नीति तथा योजना की आवश्यकता।	

1	2	3	4
			100 रुपये घटा दिये जाएं
16.	4	**श्री पी० के० देव**: भुखमरी को रोकने, खाद्यान्न की कमी को दूर करने तथा चावल, गेहूं, चीनी और वनस्पति जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करने में विफलता।	,,
16.	5	**श्री पी० के० देव**: सरकारी तथा सहकारी शुल्क वसूल करने हेतु विपत्ति वारंट तथा प्रमाणपत्र जारी करने की आवांछनीयता जबकि लोग अर्ध अकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं।	,,
20.	6	खनिज तथा धातु व्यापार निगम की गलत तथा विलम्बकारी नीति के कारण मैंगनीज़ खानों के बंद हो जाने से खनन क्षेत्र में बेरोजगारी की भयंकर समस्या तथा मयूरबंज ज़िला में टाटा द्वारा खनन कार्य का बंद किया जाना।	,,
20.	7	**श्री पी० के० देव**: राज्य में देहाती क्षेत्रों में भयंकर बेरोजगारी तथा श्रमिकों का बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों में चले जाना एवं द्रुत कार्यक्रम की विफलता।	,,
23.	8	**श्री पी० के० देव** : डा० अजीत बोस समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार कटक में एक बड़ा कैंसर संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
24.	9	**श्री पी० के० देव**: कालाहांडी ज़िला में पिछले सप्ताह अभूतपूर्व बाढ़ों का आना जिससे खड़ी फसल को क्षति पहुंची है तथा बहुत बड़ा क्षेत्र में रेतमय हो गया है।	,,
24.	10	**श्री पी० के० देव** : लागत लाभ अनुपात का विचार किये बिना रंगाली बांध का कार्य आरंभ करने में उड़ीसा सरकार की हठधर्मी।	
24.	11	**श्री पी० के० देव** : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपर इंदरावती परियोजना को आरंभ करने की आवश्यकता।	,,
24.	12	**श्री पी० के० देव** : उड़ीसा राज्य में ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में विलम्ब तथा विद्युत् सप्लाई का बार-बार फेल होना।	
48.	13	**श्री पी० के० देव** : उड़ीसा में नयागढ़ (कौनझर ज़िला) अथवा बोनाईगढ़ (सुन्दरगढ़ ज़िला) के निकट दूसरा इस्पात संयंत्र अविलम्ब स्थापित करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4
			100 रुपये कम कर दिए जाएं
48.	14	**श्री पी० के० देव** : पाराद्वीप में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब ।	,,
48.	15	**श्री पी० के० देव** : चांदवाली और गोपालपुर पत्तनों का विकास करने में विफलता ।	,,
17(क)	30	**श्री डी० के० पण्डा** : दैतरी आयरन ओर माइंस लि० के संबंध में मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	,,
20.	31	**श्री डी० के० पण्डा** : विकास कार्य तथा अन्य प्रकार के कार्य आरम्भ करके ग्रामीण निर्धन लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता ।	,,
20.	32	**श्री डी० के० पण्डा**: कृषि श्रमकों को न्युनतम मजूरी देने की आवश्यकता	,,
24.	33	**श्री डी० के० पण्डा** : उड़ीसा राज्य में गंजम में आरम्भ की गई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
24(क)	34	**श्री डी० के० पन्डा** उड़ीसा राज्य में 10 हजार उत्थान बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
31	35	**श्री डी० के० पण्डा** : उड़ीसा में नाम मात्र की वन को भूमि हीनों में वितरण हेतु राजस्व विभाग को अन्तरित करने की आवश्यकता	,,
37.	36	**श्री डी० के० पण्डा** : उड़ीसा राज्य में समान्यतया तथा गंजम में विशेषतया भूमिहीन आदवासियों और हरिजनों में 34 लाख एकड़ सरकारी भूमि का वितरण करने में विफलता ।	,,
37.	37	**श्री डी० के० पण्डा** : मूल अधिनियम भूमि सीमाबंदी विधि, जो सत्पथी मंत्रालय द्वारा लागू की गयी थी, को ज्यों का त्यों कायम रखने में विफलता ।	,,
4.	16	**श्री पी० के० देव** : उड़ीसा योजना बोर्ड के दोषपूर्ण गठन तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण ।	,,
4.	17	**श्री पी० के० देव** : पांचवी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये न्युनतम कार्यक्रम की वांछनीयता ।	,,
4.	18	**श्री पी०के० देव** : केन्दु पत्तों के मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4
			100 रुपये कम किए जाएं
6(क)	19	**श्री पी० के० देव** : भारत सरकार के तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों को देने की वांछनीयता।	,,
7.	20	**श्री पी० के० देव** : उड़ीसा में एक खेलकूद स्कूल की स्थापना। विद्यमान सड़कों को उचित रुप में बनाए रखने तथा योजना आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नई सड़कों का निर्माण करने में असफलता।	,,
27.	22	**श्री पे० के० देद**: बेहरामपुर–रायपुर राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास स्थगित करने का कारण।	
32.	23	**श्री पी० के० देव** : उड़ीसा तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने की वांछनीयता।	,,
32.	24	**श्री पी० के० देव** : चिल्का झील के मुहाने को गहरा करना और वहां पर मत्स्य उद्योग का विकास करना।	
36.	25	**श्री पी० के० देव** : सरकार द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों को देय लाखों रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करके उन्हें जान-बूझकर तंग किया जाना।	,,
48.	26	**श्री पी० के० देव** : सुकिन्दा में एक निकल संयत्र और सरगीपाली में शीशा पिघलाने का संयत्र स्थापित करने में असफलता।	,,
	27	**श्री पी० के० देव** : गोपालपुर पर एक रेयर अर्थ संयंत्र स्थापित करने की साछंनीयता।	
50.	28	**श्री पी० के देव** : पारादीप पर जहाज बनाने का कारखाना बनाने में असफलता।	,,
54.	29	**श्री पी० के० देव**: उड़ीसा बन निगम द्वारा एकत्र किये गए 'केन्द्रु पत्रों की बिक्री में धांधली।	,,

***श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल)** : उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में मांगों पर विस्तार से चर्चा उड़ीसा विधान सभा में अच्छी तरह से की जा सकती है। किन्तु वहां राष्ट्रपति शासन है और विपक्ष को लोकप्रिय सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया है। उड़ीसा सलाहकार समिति ने बहुत तेजी से तीनं विधेयक पास किए है और वे विधान बन जाएगे किन्तु उड़ीसा के विधायकों को इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया है ।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

समझ में नहीं आता कि गत 6 महीनों में उड़ीसा में चुनाव क्यों नहीं करांये गये हैं और वहां लोकप्रिय सरकार क्यों नहीं बनाई गई है ।

उड़ीसा में खनिज संसधन बहुत अधिक हैं इसी से यह राज्य धनी राज्य है ,तथा वन-सम्पदा भी बहुत है। किन्तु बहुत कम लोग ही इन संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। यदि इन संसाधनों का उपयोग जन-साधारण के लिए समान रूप से होता तो उड़ीसा की दशा ही बदली होती । इसके अतिरिक्त उड़ीसा में कृषि उत्पादन बढ़ाने की काफी क्षमता है क्योंकि वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। यदि सरकार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करें और बार बार आने वाली बढ़ों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं जाएं तो यह राज्य केवल अपनी खाद्यान्न की आवश्यकताओं को ही पूरी नहीं करेगा अपितु अन्य राज्य को भी खाद्यान्न सप्लाई कर सकता है ।

राज्य के आदिवासियों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है और न ही कोई परिवर्तन हुआ है। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत चिंताजनक है । आज भी उड़ीसा के कोरापुर जैसे कई आदिवासी क्षेत्रों में अकाल पड़ रहा है। किन्तु हमें पता नहीं कि सरकार ने इस स्थिति का सामाना करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इन मांगों को पास करने बाद भी मुझे सन्देह है कि सरकारी अधिकारी वहां के लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य करेंगे । यह कार्य राज्य के विधायकों के व्यक्तिगत अनुभव तथा लोगों से गहन सम्पर्क के बिना अधिकारी अपना कतर्व्य अच्छी तरह नहीं निभा पायेंगे, क्योंकि वहां के विधायक ही अपनी समस्याओं को भली प्रकार हल कर सकते हैं।

उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों की वेश्यावृत्ति के अवैध व्यापार का प्रश्न अभी हाल ही में इस सदन में उठाया गया था । इन लड़कियों का अवैध व्यापार अभी भी चल रहा है। मुझे पता लगा है कि हाल ही में कुछ ठेकेदारों ने एक आदिवासी लड़की का अपहरण कर वेश्यावृत्ति करने के लिये उसे पंजाब में बेच दिया था । यदि यह घटना सच है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस घटना का पर्याप्त प्रचार क्यों नहीं किया गया है और इस मामले को दबाने के प्रयास क्यों किये जा रहें है। मंत्री महोदय को इस सारे मामले की जांच करनी चाहिये और हमें इस के बारे में जानकारी दी जानी चाहिय । यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह घटनाएं दुबारा न होने पायें कठोर कदम उठाए जाने चाहिये।

समाचारों पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान देना इसलिये बन्द कर दिया है कि वहां अनुदानों का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है यह बड़े खेद बात है। उड़ीसा जैसा राज्य को, ज्यादा कृषि विकास का बहुत संम्भावानाएं हैं कृषि अनुसन्धान के लिये आवश्यकता अनुदान देने से इन्कार किया गया है । इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिये ।

राज्य में अकाल की स्थिति का सामना करने हेतु बहुत कुछ कदम उठाने जाने चाहिये। राज्य में भुखमरी से कई व्यक्ति मर गये हैं । छोटे मोटे राहत कार्य जैसे, सड़कों की मरम्मत, प्रभावित लोगों को कुछ वित्तीय सहायता देने के बजाए सरकार को इस समस्या का कोई स्थाई हल निकालना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भूमिहीन श्रमिक किसानों को वर्ष भर के लिये कुछ रोजगार दिया जाए। जिस समयावधि में वे बेरोजगार रहते हैं उन्हें निःशूल्क राशन दिया जाना चाहिये । बजट में ऐसे उपबन्धों की अवस्था की जानी चाहिये ।

उड़ीसा में लोकप्रिय सरकार की स्थापना करने हेतु वहां चुनाव शीघ्र ही कराए जाने चाहिये ।

श्री जगन्नाथराव (छतरपुर) : मैं वर्ष 1973-74 के लिये उड़ीसा राज्य को मांगों का समर्थन करने लिये खड़ा हुआ हूं। उड़ीसा में राष्ट्रपित शासन के बारे में चर्चा करने की यहां अब कोई आवश्यकता नही है मैं भी चाहता हूं कि उड़ीसा में शीघ्र ही चुनाव कराए जाने चाहिये किन्तु, चुनाव क्षेत्रों के परिसींवन कार्य को दृष्टि में रखते हुए चुनाव 1974 के आरंभ में ही कराए जा सकते हैं।

उड़ीसा की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर ही आधारित है। अतः राज्य के प्रत्येक ज़िले में सिंचाई के साधन जुटाए जाने चाहिये। कृषि के लिये सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। यदि राज्य के प्रत्येक ज़िले में छोटी-बड़ी सिंचाई योजनाएं होनी चाहिये अन्यथा राज्य में लोग शान्ति से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। किन्तु बजट में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतः राज्य में प्रत्येक ज़िले में प्रतिवर्ष कम-से-कम एक सिंचाई योजना आवश्य बनाई जानी चाहिये कुछ लोगों को लाभ हो और हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके।

पांचवीं योजना अवधि में कुछ योजनाओं के बारे में निर्णय किया जाना है। इस वर्ष केन्द्रीय बजट में पांचवीं योजना में ली जाने वाली परियोजनाओं के लिये आरम्भिक कार्य का प्रावधान किया गया है। किन्तु उड़ीसा में परियोजनाओं के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उड़ीसा में भी ऐसे कार्यों के लिये प्रावधान किये जाने चाहियें। इससे पांचवीं योजना में शीघ्र कार्य करने में सुविधा मिलेगी और पांचवीं योजना में वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये आरम्भिक कार्य हाथ में लिया जा सकता है।

केन्द्रीय क्षेत्र का उड़ीसा में कोई उद्योग या कारखाना नहीं है। पारा दीप में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये हमें वचन दिया गया है। इस कारखाने को शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये। पारादीप में पोत निर्माण कारखाने की मांग की जाती रही है। किन्तु अभी तक आश्वासन तक भी नहीं मिला है। हमारी यह मांग पूरी की जानी चाहिय।

देश में बिजली की बहुत कमी है। उड़ीसा में कोरापुर और कालाहांडी ज़िले और मध्य प्रदेश में बस्तर जिला गोदावरी नदी के स्रवण क्षेत्र हैं। हमारे पास ऊपरी तटीय भाग है किन्तु हम अपने क्षेत्र में जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि गोदावरी जल विवाद अभी तक अनिर्णीत पड़ा हुआ है। विभिन्न राज्यों में जल-वितरण सम्बन्धी निर्णय के अनिर्णीत रहने की स्थिति में सरकार को इन विद्युत् परियोजना को अपने हाथों में ले लेना चाहिये क्योंकि कम से कम इन्द्रावती बिजली घर जो 600 मेघावाट बिजली बना सकता है और अपर कोलाब परियोजना 240 मेघावाट बिजली बना सकता है इन बिजली परियोजनाओं को तो आरम्भ किया जाना चाहिये।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इन दो विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाये जिससे एकमात्र उड़ीसा को ही मदद नहीं मिलेगी अपितु इसके पड़ौसी राज्यों आन्ध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी मदद मिलेगी।

भूमि सुधारो और भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयक को अब राष्ट्रपति अधिनियम के रूप में लाना होगा। उड़ीसा विधान सभा में पेश किये गये इस विवधेयक में कई त्रुटियां और कमियां हैं जिससे इस विधेयक से वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

इस विधेयक के सभी उपबन्धों पर दोबारा दृष्टि डालनी पड़ेगी जिससे यह अन्य राज्यों में बनाये गये भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधानों के समान हो सके। और इस बारे में जुलाई, 1972

के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को भी ध्यान में रखना होगा । इस के लिये राष्ट्रीय मार्ग दर्शी सिद्धांन्त बनाये गये हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिये । एक काश्तकार के पास कानूनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित भूमि से अधिक भूमि नहीं होनी चाहियें । अतिरिक्त भूमि अन्य काश्तकार को दे दी जानी चाहिये । इस विधेयक को बनाते समय राज्य सरकार ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है । अतः इस विधेयक के उपबन्धों पर दोबारा दृष्टि डालनी चाहिये ।

यह बताया गया है कि फालतू भूमि श्रमिकों को विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबन्धित श्रमिकों को दे दी जानी चाहिये । यदि केवल 2 या $2\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि उन्हें दे दी जायें । तो इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । सरकार को चाहिये कि वह इनके लिये उर्वरक आदि की भी व्यवस्था करे ।

उड़ीसा में बहुत सी भूमि बेकार पड़ी हुई है । पूर्व बंगाल के विस्थापितों को हजारों एकड़ भूमि दी गई थी और उन्होंने इसे खेती योग्य बनाया । राज्य सरकार ऐसी अनारक्षित वन भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने का प्रयास क्यों नहीं करती हैं ? यह भूमि निर्धन लोगों को दे दी जानी चाहिये उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम, को अनेक आशय-पत्र दिये गये थे । और इनमें से एक या दो आशय-पत्र लाइसेंस पाने के योग्य हो गये हैं ।

उड़ीसा को एक पिछड़े राज्य के रूप में मान्यता दी जा चुकी है । राज्य में कुछ जिलों को पिछड़ा हुआ माना गया है । इसलिये केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकार को कुछ उद्योगों को शुरु करने के लिये बड़े पैमाने पर सहायता दे। कुछ समय पूर्व वहां सीमेंट के कारखाने और लुगदी के कारखाने को स्थापित करने की बात सुनी गयी थी । किन्तु अब इस विषय में कुछ नहीं सुना जा रहा है । हमारे यहां प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं । कोटापुर जिले में पर्याप्त बांस उपलब्ध हैं और चूना पत्थर के भंडार भी उपलब्ध हैं इन सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिये । यदि इन पहलुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये तो केन्द्र राज्य सरकार की सहायता कर सकती है । गोपालपुर में लघु पत्तन की स्थापना करने का एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है । लेकिन अभी तक इस प्रश्न का हल नहीं खोज निकाला गया है । उड़ीसा में कुछ रक्षा परियोजनाओं की स्थापना करने के बारे में केन्द्र ने निर्णय किया है । इन परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित कर ली गयी है लेकिन अभी तक इन परियोजनाओं को शुरु नहीं किया गया है ।

उड़ीसा 30 वर्षों से अधिक की अवधि से धान और चावल का थोक व्यापार कर रहा है । किन्तु बदली हुई परिस्थितियों में वसूली के तंत्र को बदलना होगा । इससे पूर्व सरकार व्यापारियों और चावल मिल मालिकों के लिये खरीददारी करने वाले एजेंटों के रूप में नियुक्त करती थी । अब थोक विक्रेताओं को समाप्त किया जाना चाहिये और छोटे व्यापारियों को जो साप्ताहिक मंडी में आते हैं, उन्हें लगभग 20 क्विंटल प्रतिदिन खरीदने और इसे सरकारी गोदामों में भेजने के लिये अधिकार दिया जाना चाहिये ।

श्री डी० के० पण्डा (भंज नगर) : भू-स्वामियों, सामन्तशाही और भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों के कारण अब तक लोगों को उड़ीसा में अत्याचार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । 1960 से 1970 तक अर्थात दस वर्षों की अवधि में उड़ीसा राज्य की आय 936 करोड़ रुपये से 991 करोड़ रुपये की हो गयी है । अतः इसमें केवल 55 करोड़ की वृद्धि हुई है इसी अवधि के दौरान एकाधिकार गृहों ने

308.7 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है इससे हम कल्पना कर सकते है कि हम कितने पिछड़े हुए और लोग कितनी बुरी तरह से पीड़ित हैं वर्ष 1951 में अनपढ़ व्यक्तियों को संख्या 137 लाख थी जो अब 161 लाख हो गई है ।

उड़ीसा में पांच लाख लोग बिल्कुल भूमिहीन हैं । एक तिहाई जनता के पास आधा एकड़ से कम भूमि है । 1971 के आंकड़ों के अनुसार कृषि योग्य बेकार भूमि और परती भूमि 34.33 लाख एकड़ थी। यह भूमि भूमिहीन लोगों में बांटी जानी चाहिये थी ।

उन भूमि हीन लोगों को जिन्होंने पहले ही परती भूमि और कृषि योग्य बनाई गई परती भूमि पर अधिकार कर लिया है, खेती करने के लिये वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये । इस प्रयोजन के लिये बजट में उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

यह खेद की बात है कि संभलपुर जिले में सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई है कि भूमिहीन लोगों को दो एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध नहीं होगी । भूमिहीन लोगों की भी परिभाषा इस प्रकार की गई है कि वे जिनके पास दो एकड़ से कम भूमि है, कुछ बड़े जमीदारों को संभलपुर में लगभग 150 एकड़ गोचर भूमि दी गई है।

अधिकतर अमीर लोगों, कुलको, जमीदारों और सामन्तशाही लोगों ने न केवल आदिवासी हरिजनों की जमीनों को बेइमानी से हथिया लिया है बल्कि कांग्रेस सरकार ने भी उन्हें पट्टे दिये हैं । अतः इन पट्टों को रद्द किया जाना चाहिये । पुलिस बल का उपयोग इन भूमिहीन लोगों पर नहीं किया जाना चाहिये जिन्होंने भूमि पर अधिकार कर उसे कृषि योग्य बनाया है ।

जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है उसमें धर्मस्व न्यासों को मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है। धर्मस्व न्यास वाले सभी मठों और मन्दिरों को मुआवजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिये । न्यासों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये ।

वसूली श्रेणीवार की जानी चाहिये । 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से अनिवार्य रूप से चावल की वसूली की जानी चाहिए । यदि वे नहीं दें तो उसके लिए दण्डिक व्यवस्था होनी चाहिए और उनके विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का प्रयोग करना चाहिए ।

वसूली का काम क्षेत्रीय विपणन सहकारी समितियों को सौंपा जाना चाहिए । भारतीय खाद्य निगम निजी लोगों को एजेंट नियुक्त कर रही है । 45 प्रतिशत वसूली इन्हीं लोगों के द्वारा होती है । इन निजी लोगों को कोई लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहियें और इस पद्धति को सर्वथा समाप्त कर दिया जाना चाहिए । किसी निजी दुकानदार को वसूली के लिये नियुक्त नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार वितरण के लिये प्रत्येक पंचायत में बड़ी संख्या में सहकारी दुकानें होनी चाहिए । वर्तमान सप्लाई निरीक्षक समितियों के स्थान पर नई समितियां नियुक्त की जानी चाहिए जिनके सदस्य जमाखोरी विरोधी हों।

उद्योग के बारे में उड़ीसा राज्य की बिल्कुल उपेक्षा की गई है । सरकार ने यह वादा किया था कि उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना स्थापित किया जायेगा तथा इस कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में हाथ में ले लिया जायेगा । अब यह कहा गया है कि दूसरे इस्पात कारखाने के प्रश्न को छटी पंचवर्षीय योजना के बाद लिया जायेगा । इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में दाहा सिंचाई परियोजना को लिया जाना चाहिए था । लघु सिंचाई परियोजनाओं पर 36 लाख रुपये की राशि खर्च करने से 3480 एकड़ भूमि लाभान्वित हो सकती है । मध्यम दर्जे की और लघु सिंचाई परियोजनाएं जैसे दाहा, मोर-हरभंगी और भगवा सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिए और पूरा किया जाना चाहिए बजट में इसकी व्यवस्था करनी होगी और इनका निर्माण कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए । कोई प्रगति न होने पर और असफल होने पर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस स्थिति का लाभ उठायेंगी और तब इसके परिणाम भुगतने होंगे ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा जो सूखे से पीड़ित था अब बाढ़ के प्रकोप में फंसा है । अतः उड़ीसा को तत्कालिक आवश्यकता ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों पर रेगाली और भूमिकुण्ड परियोजनाओं के कार्य में शीघ्रता करना है । सरकार को इस बारे में तुरन्त उपाय करने चाहिएं ।

बजट की कुल 346 करोड़ रुपये की राशि में से उड़ीसा सरकार को ऋण सेवाओं की अदायगी के रूप में केन्द्रीय सरकार को 29 करोड़ रुपये देना है । अब समय आ गया है जब कि ऋण सेवाओं से सम्बन्धी समस्याओं का गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए । हीराकुण्ड बांध चरण । का निर्माण कार्य 1947 में शुरू हुआ था तथा इस मद में हमें केन्द्रीय सरकार को लगभग 65-70 करोड़ रुपये की राशि देनी है । इसके अतिरिक्त हम इस पर चक्रवृद्धि व्याज दे रहे हैं । अतः भारत सरकार को कम से कम अपने 65-70 करोड़ रुपये के ऋण को युक्तियुक्त बनाना चाहिए । यह बाढ़ नियंत्रण और बहुप्रयोजनीय परियोजना है ; केन्द्र हम से बिजली का पैसा ले सकती है । बाढ़ नियंत्रण केन्द्र की जिम्मेदारी है तथा उस खर्च को पृथक रखा जाए और उस पर चक्रवृद्धि व्याज न लिया जाये । केन्द्र को वह सब व्याज वापिस कर देना चाहिये जो हम पिछले 25 वर्षों से देते आ रहे हैं ।

उड़ीसा में सूखा पड़ने के समय यह कहा गया कि आवश्यक वस्तुओं के लिए सरकार ने 631 उचित दर दुकाने खोली हैं । इन दुकानों को खोलना तब तक कोई अर्थ नहीं रखता जब तक कि इन दुकानों में पर्याप्त स्टाक की मात्रा उपलब्ध नहीं करायी जाती है । केन्द्रीय सरकार को इस बारे में अनुदेश जारी करने चाहिये कि सभी उचित दर दुकानों को पर्याप्त मात्रा में चावल दिये जायें ।

उड़ीसा में गांवों की संख्या 46,000 है और इन में उचित वितरण नहीं होता है । आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये । वितरण में कुछ युक्तियुक्त होना चाहिये ।

यह विचार किया गया था कि राष्ट्रपति शासन के अन्तगत अनेक कमियों को दूर कर लिया जायेगा । लेकिन अभी तक राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई आशा नहीं बंधी है । उड़ीसा के पिछड़ेपन और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को देखते हुये पांचवीं योजना में इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का नियतन किया जाना चाहिये । लेकिन योजना आयोग उड़ीसा के साथ न्याय नहीं कर रहा है । चिल्का झील मत्स्य पालन योजना बड़ी ही लाभदायक योजना है तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये ।

भारत सरकार ने पारादीप और धमरा में मत्स्य बन्दरगाह बनाना सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है लेकिन इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं ।

उड़ीसा में इस वक्त तीन लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने केवल दो करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया है। इस छोटी सी राशि से उड़ीसा की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। इस बारे में उड़ीसा राज्य को कुछ और सहायता दी जानी चाहिये।

मेरे जिले में सलिया परियोजना 1960 में आरम्भ की गई थी। लेकिन 13 वर्षों के बाद भी नहर प्रणाली अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। डेल्टा सिंचाई भाग 1955 में आरम्भ किया गया था। इसका मूल प्राक्कलन 14 करोड़ रुपये की राशि का था और अब यह 64 करोड़ रुपये तक हो गया है। प्रति वर्ष व्यय बढ़ता ही जा रहा है। अब जब कि वहां राष्ट्रपति शासन है सरकार को इस मामले में कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वहां कुछ प्रगति हो।

गोडाहाडो परियोजना 1960 में आरम्भ की गई थी। वहां बांध का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पितामहल परियोजना 1967-68 में आरम्भ की गई थी और वह भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उट्टी परियोजना 1968-69 में आरम्भ की गई थी और वह भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वहां बड़ी संख्या में परियोजनाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। यदि यह योजनाएं पूरी हो गई होती तो इनसे हजारों एकड़ भूमि को सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध होतीं और इससे किसान लाभान्वित होते। लेकिन विलम्ब के कारण ऐसा न हो सका। अब चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है अतः इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 20 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने केवल 3 करोड मन्जूर किए हैं और वे भी अभी नहीं मिले हैं।

गोपालपुर पत्तन एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और इसका व्यय केन्द्रीय ऋणों की सहायता से चल रहा है। जांच कार्य 1971-72 में आरम्भ हो गया था। किन्तु अन्तिम रूप से इसके लिए स्थान का चुनाव करने में विलम्ब किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि परमाणु संयंत्र अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है और न ही रेअर अर्थस फैक्टरी का ही निर्माण हो सका है। इसके लिए स्थान का चयन शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिये और निर्माण कार्य जल्दी से आरम्भ किया जाना चाहिये।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त अन्तर्देशीय जल यातायात समिति ने चौथी योजना में उड़ीसा में कई परियोजनाओं की सिफारिश की है किन्तु अब तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है।

अकाल राहत कार्य के लिये 1,48,50,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। यह धनराशि पूर्णतया अपर्याप्त है। पुलिस बजट के लिए तो 9 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है जब कि आदिवासी विकास के लिये 5 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा भेजे गये इस बजट पर पूरी तरह से गौर करना चाहिये।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, वहां की कई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई हैं। सरकार को राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पर 300 करोड़ रुपये की राशि का निवेश करना चाहिये।

Shri Ishwar Chaudhary (Gaya): In Orissa, we find extreme backwardness. President Rule has been imposed there, instead of giving an opportunity to the opposition parties to form popular Government. Every year there is severe drought and hence people are moving to other states in want of food etc. There are deaths due to starvation.

We find wide unemployment in the state but no concrete steps have been taken so far to remove it. Moreover, the amount allocated for this purpose is insufficient. Government should reconsider it and special attention should be given to remove the harships and suffering of the people. Long-term and short-term development schemes should be implemented epeditiously. After 25 years of independence, we have not been able to solve the problem of drinking water. There is shortage of water but Government has not taken any steps to ensure adequate supply to the people.

Closure of mines in Orissa has aggravated the unemployment problem. The Government should take steps so that work again start in the mines and people get work in the present difficult situation.

There is shortage of power in Orissa. Also irrigation facilities are meagre. Agriculture is suffering on this account. Steps should be taken to provide electricity to the farmers so that they can help in increasing agricultural production.

Cotton yarn has disappeared after nationalisation. In handloom and powerloom sector lakhs of pjeople have become unemployed. The Government should remove control on yarn so that people can get work.

There is lot of forest wealth in Orissa. Steps shoupld be taken by the Government to protect this forest wealth. People can earn their livelihood if cottage industries and Paper Mills are set up there.

It was proposed by the government to set up a ship-building fortory at Paradeep in Orissa. But nothing has been done in this regard so far by the government. I demand that all these steps should be taken during the President's rule by the Government for the development of this state.

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : लोक सभा के गत सत्र में उड़ीसा की आर्थिक स्थिति पर इस सभा में चर्चा की गई थी। उस स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। गत ग्रीष्मकाल में उड़ीसा में भूख से मौतें हुई तथा लोगों ने आत्महत्या की तथा भोजन के लिये बच्चों तक को बेच डाला। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां की जनता की इस दयनीय स्थिति में सुधार तथा उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को अवश्य पूरा किया जाये। खाद्यान्न की कमी नहीं है किन्तु उनके मूल्य इतने अधिक हैं कि साधारण जनता उन्हें खरीद नहीं पाती।

उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उड़ीसा के लिए चावल और धान की वसूली और वितरण के लिए सुव्यवस्थित नीति बनाई जाये तथा इस कार्य में होने वाली जालसाजी को समाप्त किया जाए। मेरा सुझाव है कि यह कार्य राज्य सरकार को सौंपा जाना चाहिये जिससे यह कार्य ठीक प्रकार से चल सके। किसानों को उसके उत्पाद के उचित मूल्य मिलने चाहिये तथा दलाल व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये। उड़ीसा में खाद्य समस्या को हल करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

उड़ीसा सरकार ने उत्पादक के लिए जो 75 क्विंटल धान की मात्रा निर्धारित की है वह मेरे विचार से कम है। इसमें बीज सम्बन्धी आवश्यकता पूरी नहीं होती। तीसरे उड़ीसा सरकार ने चावल का वसूली मूल्य 46 रुपया प्रति बोरा निर्धारित किया है। मेरे विचार से यह मूल्य भी बहुत कम है। सरकारी एजेंसियों से भी बीज 92 रुपया प्रति बोरे की दर में प्राप्त होता है। अतः मेरा सुझाव है कि

चावल का वसूली मूल्य कम से कम 60 रुपया प्रति बोरा निर्धारित किया जाना चाहिये तथा किसानों को कम से कम 100 क्विंटल धान अपने पास रखने की अनुमति दी जानी चाहिये जिससे वह अपनी बीज सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा अधिक उत्पादन कर सकें।

यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा में औद्योगिक प्रगति के लिए प्रयत्नशील है तथा उसने उद्योगों की स्थापना के लिए अधिक आशयपत्र जारी किये हैं। फिर भी सलाह सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं, विशेषज्ञों और संसाधनों के अभाव के कारण निगम पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि निगम को अधिक संसाधन और शक्तियां प्रदान की जाएं।

उड़ीसा में विद्युत् प्रजनन और सिंचाई की पर्याप्त क्षमता है किन्तु प्रशासनिक अथवा कुछ अन्य कारणों से इस देश में प्राप्ति में बाधा पड़ी है। अतः मेरा सुझाव है कि इस कार्य के लिए स्थानीय सहकारी समितियों आदि को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये जैसाकि अन्य राज्यों में किया जा रहा है।

उड़ीसा राज्य में पिछड़ेपन का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव तथा पौषाहार की कमी है। आश्चर्य है कि बजट में शिक्षा, जनस्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए बहुत कम धन-राशि नियत की गई है। मेरा सुझाव है कि 1973-74 के लिए इस राशि में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिये।

हम बहुत दिनों से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की एक पृथक कलक्टरी स्थापित की जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि सरकार इस न्यायसंगत करों को शीघ्र स्वीकार कर लें। राज्यपाल के प्रतिवेदन में उड़ीसा के विकास के लिए कई लाभप्रद प्रस्ताव किये गये हैं। सरकार को उन पर सहानुभूति से विचार करना चाहिये जिसे वहां की जनता की आकांक्षाएं पूरी हो सके तथा इस राज्य का विकास हो सके।

श्री पी० के० देव (कोलाहांडी) : उड़ीसा बजट पर चर्चा के लिए केवल दो घण्टे का समय दिया गया है। यह प्रजातंत्र प्रणाली का उपहास है कि उड़ीसा विधान-सभा को तानाशाही ढंग से भंग कर दिया गया है। मैं उसे तानाशाही इसलिए मानता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में 22 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है जबकि पहले 16 वर्षों में केवल 10 बार ऐसा किया गया था। प्रगति असेम्बली पार्टी के सदस्यों की संख्या 82 थी किन्तु उसे सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया जबकि श्रीमती नन्दिनी सत्पती को 49 विधायकों के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया गया उड़ीसा में केन्द्र से मुख्य मंत्री थोपा गया किंतु उड़ीसा ने उसका पूरा विरोध किया इसके लिए समस्त देश को उड़ीसा का आभार मानना चाहिये।

अत्यंत खेद की बात है कि पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाने वाला है तथा विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय राजस्व के वितरण के बारे में निर्णय होने वाला है किन्तु इस कार्य के लिए उड़ीसा राज्य से वहां के लोकप्रिय प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया। राज्य के योजना बोर्ड में श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी जैसे व्यक्तियों को लिया गया है जो चुनावों में बुरी तरह पराजित हुए थे। सरकार यदि उन्हें किसी प्रकार का लाभ पहुचाना चाहती थी तो वह उन्हें पोंडिचेरी का उप-राज्यपाल बना देती उड़ीसा के लिए जो योजना तैयार की गई है वह अत्यंत हानिकारक है तथा उसमें वहां की कोई समस्या हल नहीं हो सकती।

कई माननीय सदस्यों ने जिनमें कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी सम्मिलित हैं इस बात की पुष्टि की है कि वहां भूख से मौत हुई हैं। मैंने क्योंझर और मयूरभंज आदि जिलों का दौरा किया वहां भी भूख

से मौतें होने की लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार नहीं किया किन्तु यह सच हैं कि भूख के कारण लोगों की मृत्यू हुई है। लोगों ने अपने पशु, जेवर और बर्तन तक बेचे हैं तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे हैं।

बढ़ते हुए मूल्यों के विरुद्ध कटक की जनता ने शांति पूर्ण प्रदर्शन किया। इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह रेलगाड़ी से अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें। उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि लोग एक-एक रोटी के लिए किस प्रकार तरस रहे हैं। वहां पर वही स्थिति उत्पन्न की जा रही है जो बंगाल में अंग्रेजों ने कृत्रिम अकाल पैदा करके की थी जिससे चुनावों के दौरान मतदाताओं को लालच दिया जा सके।

उड़ीसा में भारी वर्षा और उसके परिणामस्वरूप नदियों में आई बाढ़ों से फसल नष्ट हो गई है बहुत से मकान गिर गए हैं तथा जान-माल की भारी क्षति हुई है सरकार ने बाढ़पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रयाप्त राहत नहीं प्रदान की। इस स्थिति में किसानों को बीज देने की व्यवस्था करनी चाहिये थी किन्तु इसके विपरीत सरकार ने किसानों से ऋण की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कड़ी कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

यहां यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा। खनिज तथा धातु व्यापार निगम की गलत नीति के कारण खानों में काम करने वाले बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। गुरुमहीशनी और बदामपहाड़ में लौह अयस्क खानों के बन्द होने के कारण क्योंझार और मयूर भंज जिले में भारी बेरोजगारी फैल गई है। इस समस्या को हल करने के लिए मंत्री महोदय ने बजट में क्या व्यवस्था की है।

यह भी खेद की बात है कि उडीसा में राहत कार्यों के लिये तलचेर से बिमलगढ़ तक भी रेलवे लाइन बनाने का कार्य आरम्भ नहीं किया जबकि यह 5 मील का टुकड़ा है। महाराष्ट्र और आंध्र-प्रदेश में इस उद्देश्य से दो रेलवे लाइन बनाने की मंजूरी दी गई है। वहां की जनता खुसनसीब है। किन्तु उड़ीसा की जनता के साथ भेद-भाव बरता जा रहा है।

श्री भगत ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया था कि उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में चौथी पंजवर्षीय योजना के दौरान कदम उठाये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

उड़ीसा में परादीप पत्तन देश का एक प्रमुख पत्तन है किन्तु वहां शिप बिल्डिंग यार्ड की स्थापना नहीं की गई और यह सौभाग्य हल्दिया को दिया गया जबकि वह इतना महत्वपूर्ण पत्तन नहीं है।।

इन्द्रावती बहु प्रयोजनीय परियोजना के बारे में सलाहकार समिति को यह आश्वासन दिलाया गया था कि परियोजना प्रतिवेदन जुलाई, 1973 तक तैयार हो जाएगा किन्तु अब कहा गया है कि वह जून, 1974 में तैयार होगा। आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में पारस्परिक मतभेद के कारण इस परियोजना में विलम्ब की गई थी किन्तु अब तो आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। अतः इस बारे में अब कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये।

बाढ़ नियंत्रण के बारे में मेरा निवेदन है कि यदि डा० विश्वेस्वरैया प्रतिवेदन को क्रियान्वित कर दिया जाता तो बाढ़ की समस्या हल हो जाती। किन्तु सरकार की हठधर्मी के कारण यह समस्या हल नहीं हो सकी।

अन्त में मैं राज्यपाल पर यह आरोप लगाता हूं कि उनका रवैया पक्षपात पूर्ण है क्योंकि (1) राष्ट्रपति शासन लागू होने पर बुनकरों के अस्का सहकारी विद्युतचालित कर्घा कारखाने को श्री के० सी० त्रिपाठी को केवल 3 लाख रुपयों में बेच दिया गया जबकि उनका मूल्य लगभग 12 लाख रुपया है। श्री त्रिपाठी हाल में सतारूढ़ कांग्रेस में सम्मिलित हो गये हैं। (2) कुछ समाचार पत्रों का गला घोटने का प्रयत्न किया जा रहा है। उनमें से दैनिक स्वराज्य भी है। तीसरे. नगर पालिका के चुनावों में राज्य पाल ने सीधे हस्तक्षेप किया है। मैंने सभा-पटल पर कुछ पत्र रखने की अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली थी। उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने राज्यपाल को 7-6-73 को एक पत्र लिखा था जिसमें चुनाव परिणाम के सरसरी तौर पर प्रकाशन को स्थगित करने को कहा गया था।

सभापति महोदयः सरकार इन बातों का उत्तर देगी। मेरा सुझाव है कि आप महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करें। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

---

*औषधि निर्माता फ़र्मो को सी० ओ० बी० लाइसेंस

*C.O.B. LICENSES TO DRUG MANUFACTURING FIRMS

सभापति महोदय अब सभा में सी०ओ०बी० लाइसेंसों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा होगी। श्री बसु। आपके बाद चार माननीय सदस्य और इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः यदि मैं कुछ अधिक समय भी लूं तो आप कृपया बुरा न माने।

भारतीय औषधि उद्योग में विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व बहुत अधिक है। यद्यपि यह उद्योग इतना महत्वपूर्ण है कि देश की जनता का स्वास्थ्य और यहां तक जीवन भी उस उद्योग पर आश्रित है तथापि इस उद्योग का लक्ष्य भी आज पैसा कमाना हो गया है जिसके परिणामस्वरूप लोग विभिन्न बिमारियों से ग्रस्त हैं।

देश में केवल 40 विदेशी फर्में हैं किन्तु उनके हाथों में देश का औषधि सम्बन्धी आधा व्यापार है। विदेशी कम्पनियों के हित के लिए हमारे संसाधनों का शोषण किया जा रहा है। सरकार ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किया किन्तु उससे विदेशी कम्पनियों के मुनाफे में कोई कमी नहीं हुई।

अल्कालिस एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया को वर्ष 1969-70 में 88.66 लाख रुपयों का शुद्ध लाभ अर्जित किया तथा वर्ष 1970-71 में मुनाफे की राशि बढ़कर 237.84 लाख रुपया हो गई इसी प्रकार एंग्लो-फ्रेंच ड्रग कम्पनी की प्रदत्त पूजी 0.10 लाख रुपया थी। उसने 1969 में 143.29 लाख रुपयों के मूल्य का उत्पादन किया। वर्ष 1968-69 में उसे 23.33

*आधे घण्टे की चर्चा

*Half-an-Hour Discussion.

लाख रुपयों का मुनाफा हुआ तथा 1969-70 में 29.78 लाख रुपयों का और 1970-71 में 33.53 लाख रुपयों का । बेयर, बीचम्स बुट्स आदि अनेक ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने भारी मुनाफा कमाया है किन्तु मैं आंकड़े प्रस्तुत करके सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता ।

फिजर्स नामक कम्पनी ने 1959 में 5.88 लाख रुपयों की राशि स्वदेश भेजी तथा 1960 में 8.19 लाख रुपयों की राशि भेजी । प्रति वर्ष इस राशि में भारी वृद्धि होती गई तथा 1969 में यह राशि 60,40,170 रुपये हो गई । वर्ष 1970 और 1971 में इसमें भारी वृद्धि हुई तथा उसने इस अवधि में लांभ के रूप में कुल 4,82,87,637 रुपये की राशि अपने देश भेजी ।

महोदय ! मेरे प्रेश्न संख्या 4880 का उत्तर बड़ा भ्रामक था । जिन कम्पनियों को सी०ओ०बी० लाइसेंस दिया जाता है वे अपनी आर्थिक, राजनीतिक शक्ति का प्रभाव डालती हैं । अकेली ग्लैक्सो कम्पनी को 100 सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये तथा ये विदेशी कम्पनियां सरकार की सहायता से भारतीय औषधि निर्माता फर्मों का अस्तित्व समाप्त कर रहीं हैं ।

सी०ओ०बी० लाइसेंसों में अनियमितताओं के बारे में मुझे एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । लगभग 400 आशयपत्र गैर-कानूनी ढंग से दिये गये हैं तथा (2) सी०ओ०बी० लाइसेंस देते समय इन आशयपत्रों को ध्यान में रखा गया है । तीसरी अनियमितता यह है कि होइचस्ट तथा मे एण्ड वेकर आदि फर्मों ने उन आशयपत्रों को लाइसेंसों में बदलने का समय पर आवेदनपत्र नहीं दिया । फिर भी उनके आवेदनपत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने यह बताया है कि सेंडोज और रोचे नामक विदेशी फर्मों को उन औषधियों के लिये सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये हैं जिनका उन्होंने कभी उत्पादन नहीं किया ? क्या इस मामले की जांच का कार्य संसदीय समिति को सौंपा जाएगा ?

(5) अनियमितता यह है कि कुछ विदेशी फर्म सी०ओ०बी० लाइसेंसों में उल्लिखित मात्रा से अधिक औषधियों का उत्पादन कर रहीं हैं ।

(6) सी०ओ०बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत वस्तुओं के उत्पादन का विक्रय मूल्य आज लगभग 85 करोड़ रुपया बताया जाता है जिसका अर्थ है कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत । वास्तव में सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी करते समय सावधानी नहीं बरती जाती । कुछ विदेशी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है ।

(7) सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी करते समय सरकार निर्यात और विदेशी साम्य पूंजी से सम्बन्धित कुछ शर्तें लगा सकती है किन्तु यह शर्तें नहीं लगाई गयीं । मैं इसके कारण जानना चाहता हूं ।

(8) इन अनियमितताओं को ध्यान में रखकर सी०ओ०बी० लाइसेंसों पर पुनः विचार किया जाना चाहिये तथा यह कार्य औषधि नियंत्रण को सौंपा जाना चाहिये तथा सर्वदलीय संसदीय समिति की देखरेख में उनका निपटान होना चाहिये ।

मेरा यह सुझाव है कि सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी करने में जो भारी अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं उनकी जांच करने का कार्य एक सर्वदलीय संसदीय निरीक्षण समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

मैंने अभी बताया कि हमारी पूंजी निवेश 250 करोड़ रुपये है और उत्पादन लगभग 300 करोड़ रुपये का है । भारत में उत्पादन पूंजी का अनुपात विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम हैं ।

मूल्य नियंत्रण आदेश की बात आती है। यद्यपि उसके अनुसार लाभ की सीमा 15 प्रतिशत है परन्तु वास्तविकता यह है कि साम्य पूंजी पर 60 से 80 प्रतिशत तक लाभ अर्जित किया जा रहा है। परन्तु सरकार पूर्णतया इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुये है।

मैंने एंग्लो-फ्रांस कम्पनी का उल्लेख किया जिसकी साम्य पूंजी 10,000 रुपये है और वार्षिक आय 200 लाख रुपये है, इसी प्रकार के अन्य कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

लिब्रियम का आयात भारत में 5,500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाता है जबकि अन्य देशों को यह 312 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अब विदेशी फर्मों ने यह नई नीति अपना ली है कि वह आधारभूत रसायनों को विदेशों से बहुत अधिक मूल्यों पर खरीदते हैं। उनके अन्दर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार वह पहले तो रसायनों के माध्यम से और फिर औषधियों के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं। सरकार विदेशी फर्मों के एकाधिकार-वाद को समाप्त करने की किसी भी प्रकार इच्छुक नहीं है। विदेशी फर्मों द्वारा जाली आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं। उन्होंने कई भारतीय उत्पादकों को पछाड़ फैंका है। विदेशी फर्मों का उत्पादन उनके निर्धारित उत्पादन से कहीं अधिक होता है।

मैंने सी०ओ०बी० लाइसेंसों के आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं। हम इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि पूंजी निवेश की तुलना में कम उत्पादन के क्या कारण हैं? निर्धारित क्षमता लाइसेंस क्षमता से कहीं अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है? यदि सरकार को विदेशी फर्मों के साथ मिली भगत न होती तो यह सब कैसे हो सकता था। आज भारत सरकार की स्थिति यह है कि इसके प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी का अपना मूल्य है और विदेशी फर्में इन भारतीय अधिकारियों को खरीद लेती है और फिर उनसे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाती रहती है। इन व्यक्तियों में सरकारी अधिकारियों के साथ साथ हमारे राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों के भाई भतीजों का सहयोग भी रहता है। क्या यह हमारे देश के लिये कलंक की बात नहीं है कि मंहगाई से देश की गरीब जनता तो पिस रही है परन्तु दूसरी ओर सरकार उन विदेशी फर्मों पर किसी प्रकार का नियंत्रण करने को तैयार नहीं है जो आये दिन लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा विदेशों को भेजते रहते हैं।

श्री के० एस० चावड़ा (पटना) : मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जब भारतीय एकाधिकारवादियों द्वारा अपनी क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने पर सजा दी जाती है तो फिर विदेशी एका-धिकारवादी जो कि अपनी निर्धारित क्षमता से 300-400 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन करते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब निपटान और पूर्ति के महानिदेशक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्लेक्सो आदि कुछ ऐसी फर्में हैं जिन्होंने कुछ ऐसे रसायनों का निर्यात किया है जिनसे उन्होंने किसी प्रकार की औषधियों का निर्माण नहीं किया है, तो क्या इसकी जांच करने के लिए सभी सी० ओ० बी० के मामले मंत्रिमण्डल सचिवालय को सौंपे जायेंगे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): May I know whether it is a fact that D.P.L. also manufactures medicines from the same basic material from which Foreign Companies manufacture their medicines, if so, whether it is also a fact that the medicines produced by Government factory are Cheaper than those produced by Foreign Companies? Is it also a fact that medicines produced by I.D.P.L. are not purchased by Indian Hospitals and if so what are its reasons? Is it also a fact

that Foreign Companies indulge in adulteration and earn huge profit and if so, what action Government propose to take against them? How much profit has been remitted to foreign countries by these firms during the last three years? what action is being taken by the Government to popularise I.D.P.L. drugs?

Shri M. C. Daga (Pali) : May I know if an enquiry has been instituted by the Government regarding issue of C.B.Q. licences, if so, whether Government is satisfied with the enquiry and whether it will take action against those who are found guilty of favouring foreign firms and harming the country? Will a Committee of all party Members of Parliament will be constituted to enquire into this affairs?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुग्रा) : आज की चर्चा में जो मुख्य प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि क्या सी०ओ०बी० लाइसेंस भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जारी किये गये अथवा क्या वह नियमानुसार थे। वैसे यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सी०ओ०बी० लाइसेंस का तात्पर्य अर्थ व्यापार जारी रखने का लाइसेंस जारी करना होता है। सी०ओ०बी० लाइसेंस विभिन्न वस्तुओं के लिए जारी किये गये थे। व्यापार जारी रखने की सिफारिश पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा की गई थी और यह डी० जी० टी० डी० और स्वास्थ्य सेवा निदेशक की मार्फत लाइसेंस समिति को भेजा गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि चाहे विदेशी कम्पनियां हो अथवा विदेशी इनके मामलों की जांच एक सुनिश्चित प्रक्रिया और पद्धति के आधार पर की जाती है।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने यह आरोप भी लगाया है कि सी०ओ०बी० लाइसेंस केवल विदेशी फर्मों को ही दिये जाते हैं। ऐसा कहना सही नहीं है। यह लाइसेंस भारतीय फर्मों को भी दिये जाते हैं। 12 ऐसी विदेशी फर्में हैं जिन्हें यह लाइसेंस दिये गये हैं तथा ऐसी भारतीय फर्मों की संख्या 4 है जिन्हें यह लाइसेंस दिये गये हैं।

आज इस विषय पर जो चर्चा की गई है उसको दृष्टिगत रखते हुये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सी०ओ०बी० लाइसेंस देने के लिए कुछ शर्तें रखी जायें। विदेशी फर्मों के सम्बन्ध में हमने यह दो शर्तें रखी हैं कि प्रथम तो 100 प्रतिशत विदेशी इक्वीटी पूंजी को घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाये। दूसरे यह कि फर्म कच्चे माल को आयात करने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करे। इसके साथ ही हमने यह सुझाव दिया है कि कुछ प्रतिशत उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों द्वारा इस मामले की जांच की जो मांग की गई है उसे स्वीकार करना तो कठिन है परन्तु मैं यहां यह आश्वासन दे सकता हूं कि नियमों का पालन किया जायेगा।

[इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 26 जुलाई, 1973, 4 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।]

[The Lok Sabha adjourned till eleven of the Clock on Thursday, July 26, 1973/ Sravana 4, 1895 (Saka).]

MGIPRRND—31 LSS 73—CR III—13-12-73—490